

**CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS WITH
AUDIT REPORT FOR THE YEAR 2022-23**



**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
HEAD OFFICE**

**PLATE A, GROUND FLOOR, OFFICE BLOCK II,
EAST KIDWAI NAGAR, NEW DELHI-110023**

INDEX

S.NO.	CONTENTS	PAGE
1.	Consolidated Balance Sheet.....	1-2
2.	Schedules forming the part of Balance Sheet.....	3-13
3.	Consolidated Income & Expenditure Account.....	15-17
4.	Schedules forming the part of Income & Expenditure Account.....	18-20
5.	Details of Fixed Assets and Investment Schedules.....	21-23
6.	Receipt and Payment Account, EPS, 1995 (Contribution Account).....	24
7.	Receipt and Payment Accounts, EDLI, 1976 (Contribution Account).....	25
8.	Receipt & Payment Accounts, EDLI, 1976 (Administration Account).....	26
9.	Schedule forming part of the Accounts.....	28-52
10.	Audit Report.....	53-64
11.	Audit Certificate.....	65-66

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31-03-2023

		Amount-Rs.	
	Schedule	Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS A/C			
Members Operative A/c	1	1,17,73,40,19,94,087.20	1,00,07,99,52,42,638.70
Members Inoperative A/c	2	68,04,87,90,103.00	49,62,70,00,178.00
RESERVES AND SURPLUS			
Special Reserve Fund	3	5,14,99,56,300.58	4,76,18,64,355.60
Interest A/c - EPF Contribution Fund	4	3,21,85,34,62,587.10	3,84,94,19,60,965.08
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	5	11,09,60,24,98,363.96	9,23,64,11,13,333.28
SUB -TOTAL - EPF CONTRIBUTION FUND		1,32,78,05,67,01,441.90	1,13,70,96,71,81,470.70
<i>Employees' Pension Scheme, 1995</i>			
EPS CONTRIBUTION FUND	6	77,71,46,51,85,419.52	68,62,01,10,75,316.22
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
Sundry Credits	7	33,47,59,27,850.23	30,09,61,22,393.84
SUB -TOTAL - PENSION FUND		78,04,94,11,13,269.75	68,92,10,71,97,710.06
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI CONTRIBUTION FUND	8	4,15,81,55,26,421.06	3,77,56,53,90,867.05
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
Sundry Credits	9	83,17,69,943.46	72,02,27,812.58
SUB -TOTAL -EDLI CONTRIBUTION FUND		4,16,64,72,96,364.52	3,78,28,56,18,679.63
<i>Employees' Administration Fund (EPF scheme-1952)</i>			
EPF - ADMINISTRATION FUND	10	3,31,17,45,81,031.29	3,00,21,78,78,898.92
RESERVES AND SURPLUS			
Staff Provident Fund- Interest A/c	11	5,27,57,97,222.47	4,52,33,35,303.39
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS			
Building Construction Fund	12	-	8,87,25,41,897.04
Staff Provident Fund A/c	13	18,63,61,45,267.80	17,59,95,09,342.56
Staff Pension-cum-Gratuity A/c	14	1,85,37,09,03,631.23	1,51,73,02,75,201.43
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	15	3,25,13,16,781.22	3,36,39,20,088.88
SUB -TOTAL - EPF ADMINISTRATION FUND		5,43,70,87,43,934.02	4,86,30,74,60,732.23
<i>EDLI Administration Fund</i>			
EDLI ADMINISTRATION FUND	16	40,75,90,79,152.91	38,36,13,33,285.89
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	17	59,81,94,633.52	59,88,45,685.17
SUB -TOTAL -EDLI ADMINISTRATION FUND		41,35,72,73,786.43	38,96,01,78,971.06
GRAND TOTAL		2,20,84,71,11,28,796.60	1,91,66,62,76,37,563.70

ASSETS			
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS	18	1,30,50,94,70,17,089.00	1,10,55,04,90,27,147.00
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	19	2,27,10,96,84,352.85	3,15,91,81,54,323.67
SUB -TOTAL - EPF CONTRIBUTION FUND		1,32,78,05,67,01,441.90	1,13,70,96,71,81,470.70
<i>Employees' Pension Scheme, 1995</i>			
EPS CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS	20	77,03,08,05,95,145.84	67,63,99,00,66,657.23
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	21	1,01,86,05,18,123.91	1,28,11,71,31,052.83
SUB -TOTAL - PENSION FUND		78,04,94,11,13,269.75	68,92,10,71,97,710.06
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI CONTRIBUTION FUND -INVESTMENTS	22	4,11,67,86,12,071.97	3,73,89,15,81,725.35
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	23	4,96,86,84,292.55	4,39,40,36,954.28
SUB -TOTAL -EDLI CONTRIBUTION FUND		4,16,64,72,96,364.52	3,78,28,56,18,679.63
<i>Employees' Administration Fund (EPF scheme-1952)</i>			
FIXED ASSETS	24	6,00,11,21,352.12	5,73,09,40,212.92
CAPITAL WORK IN PROGRESS		8,71,83,96,118.90	8,62,77,97,453.90
EPF ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS	25	3,10,85,38,95,353.19	2,90,38,78,10,790.95
STAFF PROVIDENT FUND - INVESTEMENTS	26	23,52,15,76,162.60	21,76,76,25,965.96
PENSION CUM GRATUITY FUND - INVESTMNETS	27	1,82,70,40,08,517.05	1,49,61,45,02,646.14
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	28	11,90,97,46,430.15	10,17,87,83,662.37
SUB -TOTAL - EPF ADMINISTRATION FUND		5,43,70,87,43,934.02	4,86,30,74,60,732.23
<i>EDLI Administration Fund</i>			
EDLI ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS	29	40,18,47,83,692.19	37,54,41,13,259.76
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	30	1,17,24,90,094.24	1,41,60,65,711.30
SUB -TOTAL -EDLI ADMINISTRATION FUND		41,35,72,73,786.43	38,96,01,78,971.06
GRAND TOTAL		2,20,84,71,11,28,796.60	1,91,66,62,76,37,563.70

Sd/-
(T. L. YADEN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(NEELAM SHAMI RAO)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

		Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
<u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u>			
<u>SCHEDULE No. 1</u>			
<u>EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS OPERATIVE A/C</u>			
	Opening Balance	1,00,07,99,52,42,638.70	85,74,31,64,10,873.64
Add :			
1	Contribution (including refund of withdrawal / loans and transferred securities) received	19,11,16,65,87,779.23	16,29,80,20,87,004.40
2	Contributions received by way of transferred securities (H.Q. Office contra.)	14,04,97,30,339.06	-16,50,98,45,311.78
3	Interest credited to members Account	7,30,36,38,35,293.00	6,71,38,33,23,400.00
4	Transferred from Inoperative A/c during the year	0.00	0.00
5	Other Receipts	39,63,04,88,929.00	84,56,61,11,704.96
6	Past Accumulations (A/c No. 1)	2,89,51,13,50,377.70	1,66,50,44,01,902.63
	Total	29,84,72,19,92,717.99	25,35,74,60,78,700.21
Less :			
1.	Payment made during the year to outgoing members on final settlement	5,20,34,74,69,399.01	4,45,18,77,00,108.10
2.	Premia paid on members life insurance policy	11,19,73,698.00	37,87,69,764.00
3.	Withdrawals / Loan paid during the year to the members	5,97,76,52,24,576.00	5,81,32,77,78,578.00
4.	Transferred to Inoperative A/c during the year	45,16,15,46,835.00	33,01,59,78,122.00
5.	Other Payments	55,92,90,26,761.51	42,15,70,20,363.00
	Total	12,19,31,52,41,269.52	11,02,06,72,46,935.10
	Balance as on 31st March	1,17,73,40,19,94,087.20	1,00,07,99,52,42,638.70
<u>SCHEDULE No. 2</u>			
<u>EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS INOPERATIVE A/C</u>			
	Opening Balance	49,62,70,00,178.00	39,30,85,48,158.00
Add :			
1.	Amount transferred from Operative A/c during the year	45,16,15,46,835.00	33,01,59,78,122.00
2	Interest credited to members Account	0.00	0.00
	Total	45,16,15,46,835.00	33,01,59,78,122.00
Less :			
1	Amount transferred to Operative Members A/c during the year	0.00	0.00
2	Payment made during the year to members on settlement	26,73,97,56,910.00	22,69,75,26,102.00
	Total	26,73,97,56,910.00	22,69,75,26,102.00
	Balance as on 31st March	68,04,87,90,103.00	49,62,70,00,178.00
<u>SCHEDULE No. 3</u>			
<u>Special Reserve Fund :</u>			
	Balance as per last Balance Sheet	4,76,18,64,355.60	4,40,50,54,908.05
Add :			
1.	Amount recovered from Employers	0.00	0.00
2.	Interest on S.R.F. Account	38,80,91,944.98	35,68,09,447.55
	Total	38,80,91,944.98	35,68,09,447.55
Less :			
1.	Amount paid from Special Reserve Fund	0.00	0.00
2.	Amount transferred to Death Relief Fund	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	5,14,99,56,300.58	4,76,18,64,355.60

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

		Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
SCHEDULE No. 4			
Interest A/c - EPF Contribution Fund			
	Opening Balance	3,84,94,19,60,965.08	2,58,52,57,02,982.65
Add :			
1.	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EPF Contribution Fund	42,73,34,71,463.37	1,26,41,62,57,982.43
	Adjustments	(1,05,82,19,69,841.35)	
	Balance as on 31st March	3,21,85,34,62,587.10	3,84,94,19,60,965.08
SCHEDULE No. 5 (Current Liabilities and Provision)			
I - CURRENT LIABILITIES			
1	TDS Payable-deducted on claim settlements	39,86,61,648.00	23,80,43,675.00
2	Sundry Credits :		
	A. Regional :		
a	Suspense Account (Unclassified) (EPF)	53,93,28,824.34	44,09,32,360.86
b	Irregular payments	9,93,72,458.82	10,18,31,584.73
c	Over Payments	25,19,06,758.54	24,76,84,571.24
	B. Central :		
a	Amount credited to Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional) but not debited to A/c No. 5 (EPF Contribution A/c -	12,13,13,339.00	12,13,13,339.00
b	Excess credits to Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	3,07,65,33,588.60	1,54,95,52,666.19
c	Excess credits in EPF investment A/c	13,59,27,112.62	0.00
d	Advance from Govt. towards Disabilities Scheme	44,06,975.00	44,06,975.00
e	Recovery of PMRPY Benefits	11,88,34,310.00	11,19,17,514.00
3	Cash Book Balance		
	State Bank of India (Over Draft)		
	Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional)	15,01,98,44,109.18	11,72,64,12,298.54
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	12,95,89,06,963.14	0.00
4	EPS Investment A/c-TREP Borrowing- Payable	0.00	0.00
5	Others	0.00	0.00
	Total	32,72,50,36,087.24	14,54,20,94,984.56
II - PROVISIONS			
a	Provision for Interest payable on Members PF A/c	8,98,33,66,00,000.00	7,63,19,08,00,000.00
b	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the earlier years	1,78,54,08,62,276.72	1,45,90,82,18,348.72
	Total	10,76,87,74,62,276.72	9,09,09,90,18,348.72
	Balance as on 31st March	11,09,60,24,98,363.96	9,23,64,11,13,333.28
Employees' Pension Scheme, 1995			
SCHEDULE No. 6			
EPS Contribution Fund			
	Opening Balance	68,62,01,10,75,316.22	59,95,19,34,57,324.13
Add :	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EPS Contribution Fund	9,48,60,87,70,800.04	8,66,81,76,17,992.10
	Adjustments	(39,15,46,60,696.74)	
	Balance as on 31st March	77,71,46,51,85,419.52	68,62,01,10,75,316.22
SCHEDULE No. 7 -CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
	Sundry Credits :		
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	6,14,04,117.31	32,11,90,271.31
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	60,36,95,982.84	1,42,90,43,138.84
b	Recovery of PMRPY Benefits payable to PMRPY A/c	53,60,37,038.00	50,51,55,364.00
3.	EPS Investment A/c-TREP Borrowing- Payable	0.00	0.00
	Cash Book Balance		
4.	State Bank of India (Over Draft)		
	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	7,43,22,67,928.02	4,70,62,35,399.74
	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	14,91,79,69,365.38	14,30,44,86,722.95
5	Amount payable to EP Fund (PMRPY)	9,64,24,20,087.00	8,83,00,11,497.00
6	Excess received from Government of India under Minimum Pension scheme	28,21,33,331.68	
7	Others (Excess credit of PMRPY)		
	Balance as on 31st March	33,47,59,27,850.23	30,09,61,22,393.84

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

		Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
<u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u>			
<u>SCHEDULE No. 8</u>			
	<u>EDLI Contribution Fund</u>		
	Opening Balance	3,77,56,53,90,867.05	3,45,46,28,24,683.54
Add :	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EDLI Contribution Fund	38,07,71,81,737.40	32,10,25,66,183.51
	Adjustments	17,29,53,816.81	
	Balance as on 31st March	4,15,81,55,26,421.06	3,77,56,53,90,867.05
<u>SCHEDULE No. 9- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS</u>			
<u>Sundry Credits :</u>			
1.	Excess credit in A/c No. 21 (EDLI Cont. A/c - Regional)	2,52,21,867.15	3,55,99,097.37
2.	Excess credit in A/c No. 25 (EDLI Cont. A/c -Central)	9,63,95,144.21	9,64,43,612.21
3.	Excess credit in R.B.I. A/c	13,44,061.55	13,44,061.55
4	Excess credits in EDLI Investment A/c		
5	Amount payable to EDLI Adm. A/c	0.00	0.00
6	Cash Book Balance		
	State Bank of India (Over Draft)		
	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	0.00	0.00
	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	70,88,08,870.55	58,68,41,041.45
	Balance with Investment A/c(SCB)	0.00	0.00
7	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	83,17,69,943.46	72,02,27,812.58
<u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952 - Administration Fund</u>			
<u>SCHEDULE No. 10</u>			
<u>EPF - ADMINISTRATION FUND</u>			
	Opening Balance	3,00,21,78,78,898.92	2,79,54,02,32,685.27
Add :			
1.	Amount adjusted by the Regional Offices	1,02,92,548.73	-4,64,40,134.92
2.	Excess of Income over Expenditure during the year transferred from Income & Expenditure A/c of EPF Administration Fund	22,08,31,46,497.00	20,73,96,65,394.35
3.	Others	8,87,25,41,897.04	0.00
	Total	30,96,59,80,942.77	20,69,32,25,259.43
Less			
1.	Amount adjusted by the Regional Offices	42,78,767.40	1,55,79,045.78
2.	Excess of Expenditure over Income during the year transferred from Income & Expenditure A/c of EPF Administration Fund	0.00	0.00
3.	Others	50,00,043.00	0.00
	Total	92,78,810.40	1,55,79,045.78
	Balance as on 31st March	3,31,17,45,81,031.29	3,00,21,78,78,898.92

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

		Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
SCHEDULE No. 11			
Staff Provident Fund Interest Account :			
	Opening Balance	4,52,33,35,303.39	3,84,40,92,763.71
Add :			
1.	Interest realised on investment of securities	1,27,51,49,477.82	1,19,71,69,626.03
2	Interest accrued but not due on Investments	39,29,80,311.19	35,36,08,934.10
3	Interest due but not received on Investments	30,01,500.00	24,37,500.00
4	Interest on S.B. Account	16,310.00	17,379.00
5	Profit on Sale of ETF Securities	3,27,388.75	0.00
6	Adjustments	1,36,30,425.16	
	Total	1,68,51,05,412.92	1,55,32,33,439.13
Less :			
1.	Interest credited to members account	92,36,23,952.24	86,86,85,711.45
2.	Accrued Interest paid to vendors on purchase of investment	90,19,541.60	53,05,188.00
3	Loss on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
	Total	93,26,43,493.84	87,39,90,899.45
	Balance as on 31st March	5,27,57,97,222.47	4,52,33,35,303.39
SCHEDULE No. 12			
Building Construction Fund :			
	Opening Balance	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
Add :			
1.	Provision made during the year	0.00	0.00
2	Interest credited to the Fund	0.00	0.00
Less:	Written back to EPF Adm. Fund	8,87,25,41,897.04	
	Balance as on 31st March	0.00	8,87,25,41,897.04
SCHEDULE No. 13			
A. Staff Provident Fund :			
	Opening Balance	11,39,80,53,164.66	11,46,26,62,998.22
Add :			
1.	Contribution (including refund of withdrawal)	2,00,38,07,318.00	2,18,63,55,362.99
2.	Interest credited to member's account	92,33,28,461.24	86,86,85,711.45
3.	Other receipts	78,16,22,543.39	2,18,96,91,436.00
	Total	3,70,87,58,322.63	5,24,47,32,510.44
Less :			
1.	Payment made during the year to outgoing members on final settlement	2,58,72,34,123.00	2,69,06,42,731.00
2.	Premia paid on members life insurance policy	0.00	0.00
3.	Loan paid during the year to members	24,47,61,558.00	26,87,41,492.00
4.	Other Payments (Transfer to other Regions)	73,64,87,442.00	2,34,99,58,121.00
	Total	3,56,84,83,123.00	5,30,93,42,344.00
	Balance as on 31st March	11,53,83,28,364.29	11,39,80,53,164.66
B. S.P.F. A/c transferred from other Regions :			
	Opening Balance	66,08,54,182.94	50,05,87,497.94
Add :	Amount transferred out to the Regions	73,64,87,442.00	2,34,99,58,121.00
	Total	1,39,73,41,624.94	2,85,05,45,618.94
Less :	Amount received from other Regions	78,16,22,543.39	2,18,96,91,436.00
	Balance as on 31st March	61,57,19,081.55	66,08,54,182.94
C. Amount payable from SPF A/c to EPF Adm. A/c			
		6,48,20,97,821.96	5,54,06,01,994.96
	Total (A+B+C)	18,63,61,45,267.80	17,59,95,09,342.56

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
SCHEDULE No. 14			
Staff Pension-cum-Gratuity Fund			
	Opening Balance	1,51,73,02,75,201.43	1,26,49,25,29,263.29
Add :			
1	Amount transferred from Account No. 4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	22,85,55,00,000.00	16,30,69,00,000.00
2	Interest realised on S.B. Account	20,76,539.00	13,91,484.00
3	Interest realised on investment of securities	8,22,37,73,885.28	6,83,12,88,092.55
4	Interest accrued but not due on Investments	2,66,63,63,484.77	2,13,09,96,421.27
5	Interest due but not received on Investments	1,46,24,400.00	1,11,46,400.00
6	Profit on Sale of ETF Securities	52,50,811.82	0.00
7	Amount paid by the Regions from A/c No. 2 (EPF Administrative Charges A/c - Regional)	6,82,01,02,546.17	6,25,90,54,562.71
8	Adjustments	5,12,06,226.13	
	Total	40,63,88,97,893.17	31,54,07,76,960.53
Less :			
1.	Payment made by the Regions	6,82,01,02,546.17	6,25,90,54,562.71
2.	Accrued Interest paid to vendors on purchase of investments during the year	17,81,66,917.20	4,39,76,459.67
3	Loss on Sale of ETF Securities	0.00	0.00
	Total	6,99,82,69,463.37	6,30,30,31,022.38
	Balance as on 31st March	1,85,37,09,03,631.23	1,51,73,02,75,201.43
SCHEDULE No. 15 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
I -CURRENT LIABILITIES			
1	New Pension Scheme Contribution Payable	17,57,012.94	1,24,04,753.01
2	Provision for Board's Share towards N.P.S. Payable	0.00	0.00
3	Security Deposit Refundable	2,05,04,477.32	1,94,24,086.32
4	Group Insurance Scheme (New)	51,24,147.82	48,13,610.82
5	Sundry Credits :		
	A. Regional :		
a	Suspense Account (Admn. Fund)	23,33,74,038.94	30,80,03,860.39
	B. Central :		
a	Excess credits to Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	3,21,85,494.88	3,21,85,494.88
b	Excess credits to Account No. 9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	8,29,781.01	8,29,780.00
c	Amount payable to EPF Contribution A/c	0.00	0.00
6	Cash Book Balance		
	State Bank of India : (Over Draft)		
	EPF A/c No.2 (EPF Administrative Charges A/c - Regional)	39,25,89,065.25	27,24,98,175.92
	EPF A/c No.4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	0.00	0.00
	Account No.8 (Staff Provident Fund A/c)	0.00	0.00
	Account No.9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	0.00	0.00
	Head Office	1,81,27,187.44	2,77,14,242.44
	PDNASS	55,13,858.00	19,35,210.08
	EPF Appellate Tribunal	0.00	0.00
7	Proportionate (1%) of Total Administration Cost Excess received from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central)	1,11,84,52,880.20	1,36,18,39,900.45
8	Others (Excess credit Pen. Cum Gratuity Fund Inv. A/c)	0.00	0.00
	Total	1,82,84,57,943.80	2,04,16,49,114.31

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

		Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
II - PROVISIONS			
a	Provision for amount transferable to A/c 9 (Staff Pension Cum Gratuity Fund)	0.00	0.00
b	Provision for Rent, Rates & Taxes Payable (SPF TDS payable)	2,59,476.00	0.00
c	Other Expenses Payable	1,42,25,99,361.42	1,32,22,70,974.57
	Total	1,42,28,58,837.42	1,32,22,70,974.57
	Balance as on 31st March	3,25,13,16,781.22	3,36,39,20,088.88
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 - Administration Fund			
SCHEDULE No. 16			
EDLI Administration Fund			
	Opening Balance	38,36,13,33,285.89	35,96,92,06,703.88
Add :			
1.	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EDLI Administration Fund	2,39,77,45,867.02	2,39,21,26,582.21
	Balance as on 31st March	40,75,90,79,152.91	38,36,13,33,285.89
SCHEDULE No. 17- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
a	Sundry Credits :		
1	Excess credit in A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	1,27,87,746.47	1,35,73,799.69
2	Excess credit in A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges -Central)	4,83,68,577.89	4,83,77,675.89
b	Proportionate (1%) of Total Administration Cost transferrable to A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c -Central)	0.00	0.00
c	Cash Book Balance : (Over Draft)		
	A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	6,64,674.83	6,54,913.87
	A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	53,63,73,634.33	53,62,39,295.72
d	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	59,81,94,633.52	59,88,45,685.17
Employees' Provident Fund Scheme, 1952			
SCHEDULE No. 18			
Employees' Provident Fund -Investments		1,30,50,94,70,17,089.00	1,10,55,04,90,27,147.00

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET		
	Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
SCHEDULE No. 19 (Current Assets, Loans & Advances)		
I - CURRENT ASSETS		
1	Amount in Transit :	
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	4,49,79,15,128.43
		7,99,60,19,088.43
2	Cash Book Balance	
	State Bank of India :	
	Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional)	0.00
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	0.00
	E.P.F. Investment Account (Standard Chartered Bank)	76,09,50,047.62
		58,74,83,425.73
3	Interest on EPF Investment receivable	
a	Interest accrued but not due on Investments	2,02,50,19,88,504.52
		2,80,39,46,44,821.88
b	Interest due but not received on Investments	7,00,56,79,769.85
		5,04,18,24,326.66
c	Interest accrued on FDRs	2,11,65,14,998.36
		1,73,18,82,082.00
4	Sundry Debits :	
a	Suspense Account (Unclassified) :	
	Suspense Account (Unclassified) (EPF)	1,13,26,29,174.72
		80,76,74,908.50
b	Irregular Payments	9,93,72,458.82
		10,18,31,584.73
c	Over Payments	25,19,06,768.54
		24,76,84,571.24
d	Erroneous Debit to Account Nos. 5, 8 & 9 :	
i	Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No. 5 from A/c No.1 and vice-versa	44,70,07,726.70
		44,70,07,726.70
ii	Extra debit made to Account No. 5 by bank	1,68,84,235.38
		1,63,80,249.38
iii	Amount debited to A/c No. 5 but not credited to A/c No.1 & vice-versa	3,67,26,624.29
		3,67,26,624.29
		0.00
		0.00
5	Amount receivable from EPF Admn. A/c	4,48,62,02,533.00
		4,68,68,73,757.00
6	Amount receivable from EPS Fund (PMRPY)	3,06,12,07,405.00
		3,06,12,07,405.00
7	Amount receivable from Govt. (PMRPY)	0.00
		0.00
8	Others	
	Total	2,26,41,49,85,365.23
		3,15,22,34,55,336.05
II - LOAN & ADVANCES		
	Special Reserve Fund (Recoverable) :	
	Balance as per last Balance Sheet	69,46,98,987.62
		69,46,98,987.62
		0.00
		0.00
Add :	Amount paid to Members during the year	-
		-
Less :	Amount received from Employers	-
		-
	Total	69,46,98,987.62
		69,46,98,987.62
	Balance as on 31st March	2,27,10,96,84,352.85
		3,15,91,81,54,323.67
Employees' Pension Scheme, 1995		
SCHEDULE No. 20		
	Employees' Pension Fund -Investments	77,03,08,05,95,145.84
		67,63,99,00,66,657.23

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

	Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
SCHEDULE No.21- CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES		
a Cash Book Balance :		
1. Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	0.00	0.00
2. Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	0.00	0.00
3. Balance in Investment Account (Standard Chartered Bank)	29,52,66,177.30	20,47,77,696.04
b Sundry Debits :		
1. Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	1,22,03,48,524.01	1,61,61,90,733.70
2. Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	19,24,86,061.31	-16,31,54,447.20
3. Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c. 10 to 11 & vice-versa	20,17,63,057.60	20,17,63,057.60
4. Amount debited to A/c No.11 but not credited to A/c No. 10 & vice-versa	1,01,38,839.20	24,28,21,866.20
c Remittance in Transit	1,66,79,71,362.68	3,23,88,15,362.68
d Interest on EPS Fund Investment receivable		
1 Interest accrued but not due on Investments	91,50,14,87,603.61	1,18,36,08,76,795.86
2 Interest due but not received on Investments	2,60,11,67,761.65	1,85,18,43,761.65
3 Interest accrued on FDRs	53,03,09,840.55	43,47,81,356.00
4 Interest receivable on Public Account of Govt. of India	3,41,39,00,000.00	1,48,25,00,000.00
5 Interest receivable under Minimum Pension scheme	0.00	0.00
e Pension contribution receivable from Central Govt.	22,56,78,896.00	64,59,14,870.30
f Others	0.00	0.00
Balance as on 31st March	1,01,86,05,18,123.91	1,28,11,71,31,052.83
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976		
SCHEDULE No. 22		
EDLI CONTRIBUTION FUND -INVESTMENTS	4,11,67,86,12,071.97	3,73,89,15,81,725.35
SCHEDULE No.23-CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES		
a Cash Book Balance :		
1. A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	3,77,02,590.30	6,17,20,732.95
2. A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	0.00	0.00
3. Balance in Investment Account (Standard Chartered Bank)	3,97,72,335.45	8,55,532.55
b Remittance in Transit :		
1. From A/c No. 21 to 25	9,74,96,579.96	9,74,96,579.96
2. From Bank to A/c No. 25	5,32,224.15	5,32,224.15
c Sundry Debits :		
1. A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	10,71,70,924.35	12,40,30,824.16
2. A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	2,39,87,768.04	1,65,96,337.50
3. Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c. 21 to 25 & vice-versa	1,35,47,809.14	1,35,47,809.14
d Interest on EDLI Fund Investment receivable		
1 Interest accrued but not due on Investments	4,52,77,91,374.58	4,00,69,89,036.25
2 Interest due but not received on Investments	6,23,11,635.62	4,50,53,635.62
3 Interest accrued on FDRs	5,83,71,050.96	2,72,14,242.00
4 Interest receivable on Public Account of Govt. of India	0.00	0.00
e Others	0.00	0.00
Balance as on 31st March	4,96,86,84,292.55	4,39,40,36,954.28

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

		Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
Employees' Provident Fund Scheme, 1952 - Administration Fund			
SCHEDULE No. 24			
FIXED ASSETS		6,00,11,21,352.12	5,73,09,40,212.92
SCHEDULE No. 25			
EPF ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS			
Special Deposit Account		3,08,83,78,95,353.19	2,88,28,78,10,790.95
FDRs		2,01,60,00,000.00	2,10,00,00,000.00
Balance as on 31st March		3,10,85,38,95,353.19	2,90,38,78,10,790.95
SCHEDULE No. 26			
EPF STAFF PROVIDENT FUND -INVESTMENTS		23,52,15,76,162.60	21,76,76,25,965.96
SCHEDULE No. 27			
EPF STAFF PENSION CUM GRATUITY FUND -INVESTMENTS		1,82,70,40,08,517.05	1,49,61,45,02,646.14
SCHEDULE No.28-CURRENT ASSETS,LOANS & ADVANCES			
1 Amount in Transit :			
a EPF A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)		5,18,03,113.18	5,18,03,113.18
b Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)		1,22,68,499.25	1,22,68,499.25
Total		6,40,71,612.43	6,40,71,612.43
2 Cash Book Balance			
(A) State Bank of India :			
a EPF A/c No.2 (EPF Administrative Charges A/c- Regional)		0.00	0.00
b EPF A/c No.4 (EPF Administrative Charges A/c- Central)		25,28,49,877.60	22,85,42,849.04
c Account No.8 (Staff Provident Fund A/c)		1,18,15,615.40	1,73,26,461.19
d Account No.9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)		8,503.45	2,416.04
e Head Office		0.00	0.00
f PDNASS		0.00	0.00
g EPF Appellate Tribunal		40,81,60,453.57	39,62,03,653.57
Total		67,28,34,450.02	64,20,75,379.84
(B) Standard Chartered Bank:			
a S.P.F. Investment Account		19,80,168.96	3,35,003.33
b Pension-cum-Gratuity Investment A/c		95,88,735.98	2,84,911.80
Total		1,15,68,904.94	6,19,915.13
(C) Imprest Account		3,09,552.90	2,71,444.90
3 Sundry Debits :			
Suspense Account (Unclassified) :			
a. Suspense Account (Admn. Fund)		18,49,96,427.30	21,56,97,522.77
4 Erroneous Debit to Account Nos. 8 & 9 :			
a Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No. 8 from A/c No. 2 and vice-versa		2,04,38,794.97	2,04,38,794.97
b Erroneous debit made to A/c No.8 (Staff Prov. Fund A/c)		5,05,727.75	1,78,339.00
c Erroneous debit made to A/c No.9 (Staff Pen cum Gr. A/c)		52,50,811.82	0.00
Total		21,11,91,761.84	23,63,14,656.74

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

		Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
5	Recoverable Advances (Staff)		
a	Conveyance advance	50,08,393.86	17,06,262.10
b	House Building advance	27,70,26,144.58	26,19,95,033.44
c	Fan advance	64,704.00	73,520.80
d	Warm Clothing advance	1,234.75	1,234.75
e	Festival advance	5,65,890.88	5,85,206.82
f	Natural Calamity advance	1,96,400.45	1,24,600.45
g	Advance of Pay	-11,60,493.27	-4,16,417.88
h	Advance of DA/TA	1,53,14,467.94	1,60,64,191.94
i	Food grain advance	0.00	0.00
j	Advance to Staff Co-operative Canteen/Stores	1,91,444.00	1,91,444.00
k	Computer Advance	2,10,05,664.57	2,34,77,937.57
l	Unorganised Workers Social Security Scheme	0.00	0.00
m	Miscellaneous Payments	35,88,014.30	38,16,373.30
	TOTAL	32,18,01,866.06	30,76,19,387.29
6	Prepaid Expenditure	0.00	0.00
7	Interest on EPF Adm. Fund Investment receivable		
1	Interest accrued but not due on Special Deposit A/c	0.00	0.00
2	Interest due but not received on Special Deposit A/c	0.00	0.00
3	Interest accrued on FDRs	9,12,11,572.60	6,91,93,561.64
8	Interest on Staff Provident Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	39,29,80,311.19	35,36,08,934.10
	Interest due but not received on Investments	30,01,500.00	24,37,500.00
9	Interest on Pension cum Gratuity Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	2,66,63,63,484.77	2,13,09,96,421.27
	Interest due but not received on Investments	1,46,24,400.00	1,11,46,400.00
10	Proportionate (1%) of Total Administration Cost receivable from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central)	0.00	0.00
11	Security Deposits (Advance to parties)	3,52,79,431.19	3,45,57,182.20
12	Others (TDS refundable)		
13	Advance to Agencies/Contractors (Capital Work)	88,49,25,784.42	74,27,65,067.42
14	Accrued Interest recoverable on Advances paid to staff	5,86,91,475.83	4,37,11,704.45
15	Amount receivable from SPF a/c	6,48,08,90,321.96	5,53,93,94,494.96
	Balance as on 31st March	11,90,97,46,430.15	10,17,87,83,662.37

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET			
		Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 - Administration Fund			
SCHEDULE No. 29			
EDLI ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS			
	Special Deposit Accounts	40,18,47,83,692.19	37,54,41,13,259.76
SCHEDULE No.30-CURRENT ASSETS,LOANS & ADVANCES			
A Cash Book Balance :			
1.	A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	0.00	0.00
2.	A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	0.00	0.00
B Remittance in Transit :			
1.	From A/c No. 22 to 24	1,54,34,043.77	1,54,34,043.77
C Sundry Debits :			
1.	A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	1,01,55,290.91	1,03,43,887.72
2.	A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	1,18,39,758.32	1,18,39,758.32
3.	Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c 22 to 24 & vice - versa	1,66,08,121.04	1,66,08,121.04
D Interest on EDLI Adm. Fund Investment receivable :			
	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
E	Amount receivable from EDLI Contribution A/c	0.00	0.00
F	Excess Transfer of Proportionate (1% share) of Total Administration Cost A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c	1,11,84,52,880.20	1,36,18,39,900.45
G	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	1,17,24,90,094.24	1,41,60,65,711.30

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2023			
		Amount-Rs.	
	Schedule	Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
INCOME			
<i><u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u></i>			
<i><u>EPF- Contributions Fund</u></i>			
Interest Income	31	9,43,57,22,97,777.76	8,91,35,12,89,386.65
Other Income	32	9,03,81,24,957.85	4,24,14,00,042.86
TOTAL INCOME- EPF CONTRIBUTION FUND (A)		9,52,61,04,22,735.61	8,95,59,26,89,429.51
<i><u>Employees' Pension Scheme, 1995</u></i>			
<i><u>EPS CONTRIBUTION FUND</u></i>			
Income from Pension Contribution	33	6,48,85,60,59,493.24	5,75,26,17,50,439.39
Interest Income	34	5,21,71,00,10,942.82	5,06,13,94,68,757.32
Other Income	35	5,64,20,52,588.65	3,70,71,39,015.72
TOTAL INCOME - PENSION FUND (B)		11,76,20,81,23,024.71	10,85,10,83,58,212.43
<i><u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u></i>			
<i><u>EDLI CONTRIBUTION FUND</u></i>			
Income from Contribution from employers		30,30,84,97,211.12	25,68,46,56,001.76
Interest Income	36	28,77,59,36,806.75	26,49,41,27,866.75
Other Income	37	50,02,89,676.84	32,04,33,070.16
TOTAL INCOME -EDLI CONTRIBUTION FUND (C)		59,58,47,23,694.71	52,49,92,16,938.67
<i><u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u></i>			
<i><u>EPF - Administration Fund</u></i>			
Income from Contribution, Penal Damages & 7Q Interest during the year	38	53,74,88,20,365.16	44,86,99,96,411.21
Interest income	39	20,64,35,64,935.37	19,18,83,12,038.22
Receipt from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central) -Proportionate share (1%) of Total Administrative Expenses of EPFO for the current year (receivable) & arrears for earlier years received		52,90,77,061.48	43,91,02,592.15
Other Income - Miscellaneous Receipts		6,93,90,282.68	15,25,13,567.51
TOTAL INCOME - EPF ADMINISTRATION FUND (D)		74,99,08,52,644.68	64,64,99,24,609.09
<i><u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u></i>			
<i><u>EDLI ADMINISTRATION FUND</u></i>			
Income from Contribution, Penal Damages & 7Q Interest during the year	40	28,14,01,051.62	34,39,15,728.61
Interest income	41	2,64,06,75,640.66	2,48,73,75,446.35
Other Income -Receipts from A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c -Regional)		2,86,923.22	212.40
Other Income -Receipts from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central)		50,00,043.00	-
TOTAL INCOME -EDLI ADMINISTRATION FUND (E)		2,92,73,63,658.50	2,83,12,91,387.36

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2023			
			Amount-Rs.
EXPENDITURE	Schedule	Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
<u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u>			
<u>EPF- Contributions Fund</u>			
Interest payment to the Members	42	8,98,33,66,00,000.00	7,63,19,08,00,000.00
Interest paid to vendors on purchase of securities		10,44,78,27,257.85	7,05,75,50,259.40
Loss on Sale of ETF Securities/PY adjustments		-	(2,01,54,47,709.62)
Interest accrued on SRF		38,80,91,944.98	35,68,09,447.55
Interest on overdraft paid to Banks		70,44,32,069.41	58,67,19,449.75
Misc-Intt. paid on deposits refunded to exempted trusts		-	-
TOTAL EXPENDITURE - EPF CONTRIBUTION FUND (A-1)		9,09,87,69,51,272.24	7,69,17,64,31,447.08
I - Excess of Income (A) over Expenditure (A-1) carried to Balance Sheet		42,73,34,71,463.37	1,26,41,62,57,982.43
<u>Employees' Pension Scheme, 1995</u>			
<u>EPS CONTRIBUTION FUND</u>			
Amount paid to outgoing members / beneficiaries	43	2,21,12,82,42,371.69	2,13,04,59,94,594.73
Commission to Banks for disbursement of pension		1,46,07,01,620.24	1,21,13,87,404.35
Accrued Interest paid on purchase of Investments (Securities)		4,77,55,05,083.76	3,35,19,81,796.59
Loss on Sale of ETF Securities/PY adjustments		-	52,85,72,364.27
Other payments:			
A/c No. 10 (EPS Contribution A/c Regional)		1,59,47,808.96	23,24,403.00
A/c No. 11 (EPS Contribution A/c Central)		-	15,04,79,657.39
Interest on overdraft paid to Banks		21,89,55,340.02	-
TOTAL EXPENDITURE - PENSION FUND (B-1)		2,27,59,93,52,224.67	2,18,29,07,40,220.33
II- Excess of Income (B) over Expenditure (B-1) carried to Balance Sheet		9,48,60,87,70,800.04	8,66,81,76,17,992.10
<u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u>			
<u>EDLI CONTRIBUTION FUND</u>			
Assurance Benefits paid		21,33,91,38,648.08	20,25,32,21,698.68
Accrued Intt. paid on purchase of Invest. (Securities)		14,42,21,750.00	4,99,59,955.46
Loss on Sale of ETF Securities		-	7,64,41,912.00
Other payments:			
A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)		60,581.20	1,03,414.00
A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c - Central)		-	1,69,23,775.02
Interest on overdraft paid to Banks		2,41,20,978.03	-
TOTAL EXPENDITURE-EDLI CONTRIBUTION FUND (C-1)		21,50,75,41,957.31	20,39,66,50,755.16
III- Excess of Income (C) over Expenditure (C-1) carried to Balance Sheet		38,07,71,81,737.40	32,10,25,66,183.51

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2023			
		Amount-Rs.	
<u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u>			
EPF - Administration Fund - (100% Expenditure of EPFO)		Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
A- Establishment Expenses			
Salaries of Officers and Staff & Bonus		13,45,80,69,164.39	12,64,44,75,988.00
Allowances and Honorarium		3,33,08,57,857.00	3,25,10,08,518.00
Grants - Welfare Funds etc		11,96,11,233.00	15,42,54,319.05
Contribution to Staff Pension cum Gratuity Fund		29,67,56,02,546.17	22,56,59,54,562.71
S.P.F. D.L.I. Benefits		7,07,253.00	37,76,174.00
Board's share towards N.P.S.		73,51,00,347.87	61,64,54,203.57
Interest on N.P.S. Contribution		416.00	2,63,143.00
Service Charges towards N.P.S.		-30,898.56	11,15,667.32
TA & LTC		9,70,85,660.80	5,01,33,614.00
TOTAL A		47,41,70,03,579.67	39,28,74,36,189.65
B- Other Administrative Expenses			
Electricity Expenses		31,09,28,893.20	25,71,05,722.00
Postage		5,11,31,425.00	4,60,21,947.80
Printing & Stationery		13,92,92,963.23	11,37,42,028.00
Rent, Rates & Taxes		33,87,54,049.14	36,27,44,140.00
Vehicle Running & Maintenance Expenses		1,05,72,659.00	1,18,56,266.00
Telephone, Internet & Communication Charges		8,16,40,595.51	7,42,49,592.80
Insurance Expenses			
Water Charges		87,73,131.00	83,66,718.00
Staff Paid from contingencies		1,23,05,60,226.00	1,08,95,13,160.03
Audit Fee		40,38,936.00	51,46,926.00
Legal Charges		11,67,46,197.00	10,49,30,344.00
Consultancy Expenses		1,03,95,633.00	3,18,56,670.00
Conveyance Hire		10,16,73,262.00	7,76,95,748.55
Advertisement & Publicity		3,51,39,785.00	3,42,49,480.00
AMC - Computers, Servers, Elect. Equip. & other Office Equip.		1,04,97,82,334.41	59,44,79,376.20
Travelling Expenses		19,69,77,433.52	16,78,94,962.00
Other Charges (Recurring/Non-Recurring)		30,41,63,426.32	21,50,63,436.46
Bank Commission and T.T. Charges		77,89,33,143.98	85,19,95,186.64
Maintenance of Office Buildings/Staff Quarters		26,99,51,466.00	24,18,73,167.00
Net Depreciation on Fixed Assets		41,58,92,253.94	33,41,80,609.61
Loss/Gain on Liquidation of Assets		-19,25,654.54	-1,42,456.00
Provision for Building Construction Fund		0.00	0.00
Interest on overdraft paid to Banks		3,72,80,409.31	0.00
Total B		5,49,07,02,568.02	4,62,28,23,025.09
TOTAL EXPENDITURE- EPF ADMINISTRATION FUND (D-1)		52,90,77,06,147.69	43,91,02,59,214.74
IV- Excess of Income (D) over Expenditure (D-1) carried to Balance Sheet		22,08,31,46,497.00	20,73,96,65,394.35
<u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u>			
EDLI ADMINISTRATION FUND			
Proportionate share (1%) in the total administrative expenditure of EPFO		52,90,77,061.48	43,91,02,592.15
Other payment:			
Account No. 22		5,40,730.00	62,213.00
Account No. 24		-	-
TOTAL EXPENDITURE -EDLI ADMINISTRATION FUND (E-1)		52,96,17,791.48	43,91,64,805.15
V- Excess of Income (E) over Expenditure (E-1) carried to Balance Sheet		2,39,77,45,867.02	2,39,21,26,582.21
TOTAL EARNING OF THE EPFO (I + II + III + IV + V)		10,53,90,03,16,364.83	10,48,46,82,34,134.61

Sd/-
(T. L. YADEN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(NEELAM SHAMI RAO)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

		Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
<u>EPF Contributions Fund</u>			
SCHEDULE No. 31			
Interest Income			
1	Interest received on investment for the year	6,22,37,27,03,925.26	5,47,68,70,41,568.44
2	Interest accrued but not due on Investments	2,02,50,19,88,504.52	2,80,39,46,44,821.88
3	Interest due but not received on Investments	7,00,56,79,769.85	5,04,18,24,326.66
4	Profit on Sale of ETF Securities	1,09,57,53,06,005.53	56,48,66,56,387.88
5	Interest accrued on FDRs	2,11,65,14,998.36	1,73,18,82,082.00
6	Interest on Regional Savings Bank Account	34,776.24	22,764.23
7	Interest on Securities received from estts.	69,798.00	92,17,435.56
8	Interest from subscribers / members on loans	0.00	0.00
9	Excess Provision of Interest payable for earlier year - written back	0.00	0.00
Total		9,43,57,22,97,777.76	8,91,35,12,89,386.65
SCHEDULE No. 32			
Other Income			
1	Penal Damages collected during the year	5,47,20,13,523.23	2,46,93,89,712.23
2	7Q Interest collected during the year	3,56,61,11,066.62	1,77,20,10,330.63
3	Other receipts (INTEREST ON S.B. A/C)	368.00	0.00
Total		9,03,81,24,957.85	4,24,14,00,042.86
<u>EPS CONTRIBUTION FUND</u>			
SCHEDULE No. 33			
Income from Pension Contribution			
1	Pension contribution received from employers	5,61,70,84,28,799.22	4,97,19,97,84,351.98
2	Pension contribution received from Central Govt. during FY	86,92,19,51,798.02	77,41,60,51,217.11
3	Pension contribution receivable from Central Govt. during the FY	22,56,78,896.00	64,59,14,870.30
Total		6,48,85,60,59,493.24	5,75,26,17,50,439.39
SCHEDULE No. 34			
Interest Income			
1	Interest received on investment for the year	2,64,45,50,44,303.27	2,32,67,43,04,230.67
2	Interest accrued but not due on Investments	91,50,14,87,603.61	1,18,36,08,76,795.86
3	Interest due but not received on Investments	2,60,11,67,761.65	1,85,18,43,761.65
4	Profit on Sale of ETF Securities	12,29,57,481.51	0.00
5	Interest accrued on FDRs	53,03,09,840.55	43,47,81,356.00
6	Interest received on Public Account of Govt. of India	1,59,08,47,00,000.00	1,51,33,39,00,000.00
7	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	3,41,39,00,000.00	1,48,25,00,000.00
8	Interest received under Minimum Pension scheme	0.00	0.00
9	Interest receivable under Minimum Pension scheme	0.00	0.00
10	Interest on Regional Savings Bank Account	4,43,952.23	12,62,613.14
Total		5,21,71,00,10,942.82	5,06,13,94,68,757.32
SCHEDULE No. 35			
Other Income			
1	Penal Damages collected during the year	2,61,37,48,356.42	1,76,13,05,963.50
2	7Q Interest collected during the year	1,56,60,52,074.70	85,29,86,104.19
3	Other receipts - Regional Contribution A/c No. 10	1,46,22,52,153.53	1,09,28,46,948.03
4	Other receipts - Central Contribution A/c No. 11	4.00	0.00
Total		5,64,20,52,588.65	3,70,71,39,015.72

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT			
		Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
EDLI CONTRIBUTION FUND			
SCHEDULE No. 36			
Interest Income			
1	Interest received on investment for the year	12,99,77,66,497.36	12,15,78,72,915.93
2	Interest accrued but not due on Investments	4,52,77,91,374.58	4,00,69,89,036.25
3	Interest due but not received on Investments	6,23,11,635.62	4,50,53,635.62
4	Profit on Sale of ETF Securities	73,91,430.54	0.00
5	Interest accrued on FDRs	5,83,71,050.96	2,72,14,242.00
6	Interest received on Public Account of Govt. of India	11,12,23,00,000.00	10,25,69,00,000.00
7	Interest receivable on Public Account of Govt. of India	0.00	0.00
8	Interest on Regional Savings Bank Account	4,817.69	98,036.95
Total		28,77,59,36,806.75	26,49,41,27,866.75
SCHEDULE No. 37			
Other Income			
1	Penal Damages collected during the year	16,26,19,372.68	10,47,66,195.16
2	7Q Interest collected during the year	9,27,46,700.97	5,20,79,521.97
3	Other receipts in A/c No. 21	24,49,23,603.19	16,35,17,715.00
4	Other receipts in A/c No. 25	0.00	69,638.03
Total		50,02,89,676.84	32,04,33,070.16
EPF - Administration Fund			
SCHEDULE No. 38			
Income from Administration Charges, Penal Damages & 7Q			
1	EPF Administration Charges received during the year	49,74,29,43,822.99	41,03,16,94,289.71
2	EPF Inspection Charges received during the year	3,48,91,39,913.00	3,50,84,34,432.00
3	Penal Damages collected during the year	31,54,68,799.34	21,83,51,662.91
4	7Q Interest collected during the year	20,12,67,829.83	11,15,16,026.59
Total		53,74,88,20,365.16	44,86,99,96,411.21
SCHEDULE No. 39			
Interest Income			
1	Interest received on investment for the year	20,55,21,29,717.61	19,11,88,10,388.42
2	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Interest accrued on FDRs	9,12,11,572.60	6,91,93,561.64
5	Interest on Regional Savings Bank Account	2,23,645.16	3,08,088.16
Total		20,64,35,64,935.37	19,18,83,12,038.22
Less:	Interest credited to Building Construction Fund	0.00	0.00
Total		20,64,35,64,935.37	19,18,83,12,038.22
EDLI ADMINISTRATION FUND			
SCHEDULE No. 40			
Income from Administration Charges, Penal Damages & 7Q			
1	EDLI Administration Charges received during the year	20,25,33,543.04	25,51,06,842.25
2	EDLI Inspection Charges received during the year	5,51,77,253.00	6,64,42,814.09
3	Penal Damages collected during the year	1,62,55,897.60	1,44,95,476.10
4	7Q Interest collected during the year	74,34,357.98	78,70,596.17
Total		28,14,01,051.62	34,39,15,728.61
SCHEDULE No. 41			
Interest Income			
1	Interest received on investment for the year	2,64,06,70,432.43	2,48,73,73,722.60
2	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Interest on Savings Bank Account	5,208.23	1,723.75
Total		2,64,06,75,640.66	2,48,73,75,446.35

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT			
		Current year(2022-23)	Previous Year (2021-22)
<u>EPF Contributions Fund</u>			
SCHEDULE No. 42			
Interest payment to the Members			
1	Interest credited to Members PF A/c during the year (Including In operative A/c's)	0.00	0.00
2	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the FY 2022-23	8,98,33,66,00,000.00	7,63,19,08,00,000.00
3	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the earlier years	0.00	0.00
Total		8,98,33,66,00,000.00	7,63,19,08,00,000.00
<u>EPS Contributions Fund</u>			
SCHEDULE No. 43			
Amount paid to outgoing members / beneficiaries			
1	Withdrawal / retirement benefits	76,88,66,58,963.34	84,92,91,94,829.04
2	Life Assurance Benefits	0.00	3,363.00
3	Pension Payments	1,44,24,15,83,408.35	1,28,11,67,96,402.69
Total		2,21,12,82,42,371.69	2,13,04,59,94,594.73

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
ALL ZONAL OFFICES/ FIELD OFFICE:

FIXED ASSETS 2022-23

(ENTIRE REGION i.e. REGIONAL OFFICE INCLUDING SUB-REGIONAL OFFICES UNDER THE JURISDICTION OF THE REGION)												
S No.	Fixed Asset	Gross Block					Depreciation				Amounts (in Rs.)	
		Cost/Valuation at the beginning of the year	Additions of fixed assets during the year	Deletions of fixed assets during the year	Cost/Valuation at the end of the year (A)	Accumulated depreciation at the beginning of the year	Depreciation for the current year	Depreciation on fixed assets deleted during the year	Accumulated depreciation at the year end (B)	As at the Current Year-end (A-B)	As at the Previous year-end	
1	Land											
a	Freehold Land	1,17,37,66,447.63	2,47,140.00	-	1,17,40,13,587.63	-	-	-	-	1,17,40,13,587.63	1,17,37,66,447.63	
b	Leasehold Land	22,89,93,729.50	-	-	22,89,93,729.50	4,19,71,719.46	19,74,359.87	-	4,39,46,079.33	18,50,47,650.17	18,70,22,010.04	
2	Building											
a	Building-Office	2,65,97,96,941.82	11,88,34,530.00	27,48,401.00	2,77,58,83,070.82	46,44,48,622.72	4,81,14,818.70	3,25,495.24	51,02,35,946.18	2,26,56,47,124.64	2,19,53,50,319.10	
b	Lease hold Building-Office	84,58,78,016.47	1,04,51,245.00	-	85,61,29,261.47	24,87,80,590.09	3,52,77,413.89	-	28,40,58,003.98	57,20,71,257.49	59,69,97,426.38	
c	Building-Residential	88,37,79,922.99	8,76,54,238.00	49,95,781.11	96,64,38,379.88	26,33,96,216.64	4,44,47,593.75	49,95,781.11	30,28,48,029.28	66,35,90,350.60	62,03,83,706.35	
d	Lease hold Building-Residential	15,58,45,865.00	(2,07,92,070.00)	-	13,50,53,795.00	8,35,91,812.00	(2,65,77,005.00)	-	5,70,14,807.00	7,80,38,988.00	7,22,54,053.00	
3	Plant Machinery & Equipment	97,27,109.25	1,41,02,104.00	1.00	2,38,29,212.25	55,01,348.99	21,10,700.52	-	76,12,049.51	1,62,17,162.74	42,25,760.26	
4	Vehicles & Motor Car	1,92,50,310.04	8,48,183.00	1.76	2,00,98,491.28	1,14,97,231.72	17,56,562.39	1.76	1,32,53,792.35	68,44,698.93	77,53,078.32	
5	Furniture & Fixtures	36,56,37,136.44	9,61,15,807.25	84,150.00	46,16,68,793.69	10,80,21,930.70	3,34,96,613.34	51,413.47	13,94,67,130.58	32,22,01,663.11	25,96,15,205.74	
6	Office Equipment	16,61,52,621.58	2,95,62,868.89	14,49,691.00	19,42,65,799.47	7,06,23,575.53	2,14,88,398.79	14,49,691.00	9,06,62,283.32	10,36,03,516.15	9,55,29,046.05	
7	Computers/Peripherals	1,22,29,11,983.62	34,25,59,965.73	1,05,49,239.00	1,55,49,22,690.35	93,03,86,430.11	18,79,47,017.24	1,05,49,010.09	1,10,77,84,437.25	44,71,38,253.10	29,25,25,533.51	
8	Electrical Installations	6,91,57,390.33	14,80,803.00	444.00	7,06,37,749.33	2,08,17,912.38	57,53,687.75	42.18	2,65,71,557.95	4,40,66,191.38	4,83,39,477.95	
9	Library Books	55,93,827.00	14,32,084.00	14,733.00	70,11,178.00	4,53,964.03	14,35,036.25	23,417.80	18,65,592.47	51,45,595.53	51,39,862.97	
10	Tube wells & Water Supply	26,55,014.00	6,37,175.00	-	32,92,189.00	16,41,413.31	6,57,522.05	-	22,98,935.36	9,93,253.64	10,13,600.69	
11	Other Fixed Assets	2,88,91,491.13	21,12,105.00	82,855.00	3,09,20,741.13	57,48,651.19	2,72,413.22	1,38,346.00	58,82,718.41	2,50,38,022.72	2,31,42,839.94	
	Total	7,83,78,37,766.80	68,52,46,178.87	1,99,25,296.87	8,50,31,58,668.80	2,25,48,79,418.87	35,61,55,132.76	1,75,33,198.65	2,59,35,01,352.98	5,90,96,57,315.82	5,58,29,58,367.93	
S No.	Fixed Asset (INTANGIBLE)	Gross Block					Depreciation				Net Block	
		Cost/Valuation at the beginning of the year	Additions of fixed assets during the year	Deletions of fixed assets during the year	Cost/Valuation at the end of the year (A)	Accumulated depreciation at the beginning of the year	Depreciation for the current year	Depreciation on fixed assets deleted during the year	Accumulated depreciation at the year end (B)	As at the Current Year-end (A-B)	As at the Previous year-end	
1	Computer Software	15,19,31,396.50	31,94,326.50	91,946.00	15,50,33,777.00	39,49,551.52	5,97,37,121.18	91,946.00	6,35,94,726.70	9,14,39,050.30	14,79,81,844.98	
2		-	24,986.00	-	24,986.00	-	-	-	-	24,986.00	0.00	
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
	Total	15,19,31,396.50	32,19,312.50	91,946.00	15,50,58,763.00	39,49,551.52	5,97,37,121.18	91,946.00	6,35,94,726.70	9,14,64,036.30	14,79,81,844.98	
	GRAND TOTAL	7,98,97,69,183.30	68,84,65,491.37	2,00,17,242.87	8,65,82,17,431.80	2,25,88,28,970.39	41,58,92,253.94	1,76,25,144.65	2,65,70,96,079.68	6,00,11,21,352.12	5,73,09,40,212.92	

NOTE:- INTANGIBLE ASSETS PRIOR TO 01-04-2017, IF ANY ARE INCLUDED IN TANGIBLE ASSETS

NOTE:- INTANGIBLE ASSETS PRIOR TO 01-04-2017, IF ANY ARE INCLUDED IN TANGIBLE ASSETS

SCHEDULE No. 18

Employees' Provident Fund - Investments

s No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value					Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities - CTG	19,87,87,86,04,500.00	19,76,16,17,18,151.14	4,94,43,48,68,909.00	1,70,45,30,000.00	41,33,82,32,800.00	-1,89,47,46,599.24	24,32,85,97,49,659.38	24,71,89,60,91,700.00
2(i)	Public Sector Undertaking - PSU	19,91,04,57,71,946.00	19,90,61,49,76,880.51	3,21,85,70,000.00	-	81,73,91,44,707.00*	-11,61,47,384.33	22,30,90,89,79,557.64	22,31,35,56,27,239.00
2(ii)	CBLOTREPS	29,21,42,89,361.48	29,21,42,89,361.48	-	-	3,29,35,75,04.46	-	25,92,06,14,177.02	25,92,06,14,177.02
3	Private Securities	5,61,45,70,09,494.00	5,61,47,54,78,544.67	2,25,90,00,000.00	-	36,02,05,94,000.00	50,40,694.31	7,51,34,98,43,850.36	7,51,33,64,15,494.00
4	CCIL Margin Money	-	4,37,00,000.00	21,05,00,000.00	-	-	-	25,42,00,000.00	-
5	State development Loans - SDL	46,99,62,69,86,600.00	47,04,79,52,25,235.46	10,68,85,00,54,996.00	4,38,47,70,000.00	1,35,88,69,81,700.00	1,34,46,52,099.31	56,40,80,44,16,432.16	56,41,21,55,94,900.00
6	State Govt Securities - STG	1,07,48,56,69,789.00	1,07,53,01,42,132.87	45,00,00,000.00	9,65,71,312.00	9,62,06,80,000.00	3,94,14,541.30	1,42,96,66,18,903.57	1,42,96,15,61,101.00
7	Special Deposit Scheme - SDS	5,32,83,34,51,602.10	5,32,83,34,51,602.10	-	6,34,90,74,482.88	-	-	5,39,18,25,26,084.98	5,39,18,25,26,084.98
8	Public Account	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ETF	10,17,12,43,86,608.12	10,17,12,43,86,608.12	3,68,22,00,60,028.45	-	1,56,92,43,10,101.80	-	12,28,42,01,36,534.77	12,28,42,01,36,534.77
10	LMF	82,95,04,43,174.87	82,95,04,43,174.87	-	-	52,51,69,11,465.93	-	10,43,35,31,688.94	10,43,35,31,688.94
11	FDR	53,75,00,000.00	53,75,00,000.00	47,84,64,000.00	-	53,76,00,000.00	-	47,84,64,000.00	47,84,64,000.00
12	Amount under reconciliation	-	(1,51,47,84,544.16)	-	1,51,47,84,544.18	-	-	0.00	-
Total		1,10,53,29,66,13,075.60	1,10,55,04,90,27,147.00	26,72,31,90,03,933.45	14,04,97,30,339.06	5,91,09,25,29,979.19	(62,17,85,848.65)	1,30,50,94,70,17,089.00	1,30,90,49,04,98,919.70

* Rs. 11 has been subtracted from maturity for arriving at correct figures of holding as on 31.03.2023, the issuer NHPC has paid excess amount of 11 Rs at the time of payment of partial redemption, which should be counted in Misc receipt instead of Maturity, that's why maturity has been reduced by Rs. 11. (security code: 783711)

SCHEDULE No. 20

Employees' Pension Fund - Investments

s No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value					Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities - CTG	9,80,11,71,92,700.00	9,78,44,90,41,177.48	2,71,40,84,98,951.00	-	19,95,60,10,000.00	(76,28,32,149.47)	12,28,66,43,62,277.94	12,43,84,82,32,700.00
2(i)	Public Sector Undertaking - PSU	8,55,07,45,36,500.00	8,55,00,25,11,927.29	1,55,61,66,000.00	-	26,10,69,06,587.00*	(3,09,26,744.31)	9,84,54,31,32,104.60	9,84,71,56,29,933.00
2(ii)	CBLOTREPS	10,84,57,05,064.86	10,84,57,05,064.86	1,45,06,70,416.81	-	-	-	12,29,63,75,461.67	12,29,63,75,461.67
3	Private Securities	2,51,15,42,30,600.00	2,51,15,95,54,421.50	94,65,00,000.00	-	16,96,36,17,600.00	22,49,703.07	3,26,84,36,86,918.43	3,28,84,06,12,800.00
4	CCIL Margin Money	-	1,15,00,000.00	4,00,00,000.00	-	-	-	5,15,00,000.00	-
5	State development Loans - SDL	20,66,43,12,15,400.00	20,66,04,65,08,650.90	3,81,97,46,47,403.00	-	68,16,39,77,800.00	55,54,64,166.46	23,81,00,77,14,587.45	23,80,65,18,58,100.00
6	State Govt Securities - STG	50,20,10,00,000.00	50,21,07,98,461.94	-	-	1,10,70,00,000.00	60,65,621.35	49,09,77,13,840.59	49,09,40,00,000.00
7	Special Deposit Scheme - SDS	14,00,52,28,022.64	14,00,52,28,022.64	-	-	-	-	14,00,52,28,022.64	14,00,52,28,022.64
8	Public Account	-	19,76,15,10,36,012.86	2,38,41,72,00,000.00	-	2,05,21,48,00,000.00	-	20,09,35,34,36,012.86	20,09,35,34,36,012.86
9	ETF	5,28,99,45,78,500.25	5,28,99,45,78,500.25	1,52,07,74,56,342.44	-	17,48,04,94,980.55	-	6,81,07,20,36,842.69	6,81,07,20,36,842.69
10	LMF	19,64,36,03,417.52	19,64,36,03,417.52	-	-	13,47,00,000.00	-	2,16,31,09,056.97	2,16,31,09,056.97
11	FDR	13,47,00,000.00	13,47,00,000.00	11,98,83,00,000.00	-	13,47,00,000.00	-	11,98,83,00,000.00	11,98,83,00,000.00
Total		47,89,93,72,90,205.27	47,89,93,72,90,205.27	13,07,32,33,75,113.25	-	3,68,46,28,06,027.55	(22,99,59,402.91)	77,03,03,05,95,145.84	77,18,02,88,18,945.83

*Rs. 4 has been subtracted from maturity for arriving at correct figures of holding as on 31.03.2023, the issuer NHPC has paid excess amount of 4 Rs at the time of payment of partial redemption, which should be counted in Misc receipt instead of Maturity, that's why maturity has been reduced by Rs. 4. (security code: 783711)

SCHEDULE No. 22

Employees' Deposit Linked Insurance Scheme - Investments

s No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value					Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities - CTG	38,09,47,97,000.00	38,02,17,21,342.16	7,69,80,75,000.00	-	1,33,78,00,000.00	(4,01,56,007.27)	44,42,21,52,349.43	44,55,69,97,000.00
2(i)	Public Sector Undertaking - PSU	49,23,88,00,000.00	49,23,16,70,710.11	6,09,40,000.00	-	1,41,61,70,000.00	(9,24,421.35)	54,51,04,25,131.46	54,51,66,30,000.00
2(ii)	CBLOTREPS	42,08,40,426.53	42,08,40,426.53	66,21,58,731.47	-	-	-	1,08,29,99,198.00	1,08,29,99,198.00
3	Private Securities	9,88,85,34,550.00	9,89,32,68,109.07	2,75,00,000.00	-	1,03,26,39,900.00	12,18,281.36	11,60,94,09,927.71	11,60,59,94,650.00
4	State development Loans - SDL	1,15,41,55,35,000.00	1,15,41,11,87,646.65	12,14,06,50,000.00	-	3,91,43,83,000.00	3,59,35,934.61	1,23,80,15,00,714.04	1,23,63,32,02,000.00
5	State Govt Securities - STG	2,30,50,00,000.00	2,31,06,484.92	-	-	-	13,00,578.10	2,30,88,95,906.82	2,30,50,00,000.00
6	Special Deposit Scheme - SDS	2,49,76,309.05	2,49,76,309.05	-	-	-	-	2,49,76,309.05	2,49,76,309.05
7	Public Account	-	1,30,85,09,30,388.14	11,12,23,00,000.00	-	-	-	1,41,97,32,30,388.14	1,41,97,32,30,388.14
8	ETF	25,50,16,99,866.44	25,50,16,99,866.74	5,08,56,33,001.55	-	-	-	30,58,73,32,868.29	30,58,73,32,868.29
9	LMF	44,59,95,672.98	44,59,95,672.98	-	-	40,42,21,120.95	-	4,17,74,552.03	4,17,74,552.03
10	FDR	1,57,91,14,767.00	1,57,91,14,767.00	1,31,53,00,000.00	-	1,57,90,000.00	-	1,31,59,14,767.00	1,31,59,14,767.00
Total		2,42,91,52,93,592.01	2,42,91,52,93,592.01	47,46,86,16,725.36	-	9,68,42,14,020.55	(26,27,634.54)	4,11,67,85,12,071.98	4,11,94,39,51,692.22

Investment Schedule

SCHEDULE No. 26

EPF Staff Provident Fund - Investments

S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount invested during the year	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value				Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities -CTG	4,68,93,01,000.00	4,66,12,71,400.21	28,55,55,000.00	28,64,60,000.00	(49,30,476.24)	4,66,52,76,876.45	4,70,28,21,000.00
2(i)	Public Sector Undertaking -PSU	4,39,37,71,000.00	4,39,10,78,521.88	67,00,00,000.00	15,01,00,000.00	-476,741.02	4,91,14,55,262.90	4,91,36,71,000.00
2(ii)	CBO/IREPS	3,66,86,089.44	3,66,86,089.44	-	29,04,831.10	-	3,37,81,258.34	3,37,81,258.34
3	Private Securities	91,30,35,000.00	91,30,003,377.62	15,00,00,000.00	7,68,15,000.00	5,248.97	98,61,83,128.65	98,62,20,000.00
4	State development Loans -SDL	9,62,90,30,000.00	9,54,41,87,974.98	1,45,54,40,000.00	40,87,10,000.00	32,25,385.22	10,58,76,92,579.76	10,57,42,10,000.00
5	State Govt Securities -STG	16,00,00,000.00	16,05,36,083.73	-	-	1,24,559.48	16,04,11,524.25	16,00,00,000.00
6	Special Deposit Scheme -SDS	83,33,20,534.92	83,33,20,534.92	-	-	-	83,33,20,534.92	83,33,20,534.92
7	Public Account	1,21,28,87,881.06	1,21,28,87,881.06	12,76,71,181.85	-	-	1,34,05,59,072.91	1,34,05,59,072.91
8	ETF	1,46,54,092.12	1,46,54,092.12	-	1,17,58,167.70	-	28,95,924.42	28,95,924.42
9	LMF	21,78,26,85,607.54	21,78,26,85,607.54	2,88,86,66,181.85	93,87,67,998.80	(20,52,013.59)	23,52,15,76,162.80	23,54,74,78,760.59
	Total							

SCHEDULE No. 27

EPF Staff Pension cum Gratuity Fund - Investments

S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount invested during the year	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized/Cost value				Amortized/Cost Value	Face Value
1	Central Govt Securities -CTG	15,96,29,54,200.00	15,97,35,72,347.60	6,11,13,45,000.00	1,07,42,50,000.00	(2,29,81,125.92)	22,93,36,48,473.52	23,48,87,04,200.00
2(i)	Public Sector Undertaking -PSU	31,76,37,58,000.00	31,74,70,37,842.97	7,00,00,00,000.00	39,17,50,000.00	(35,95,115.74)	38,35,88,82,958.71	38,37,20,08,000.00
2(ii)	CBO/IREPS	19,35,26,618.95	19,35,26,618.96	-	2,52,19,984.54	-	16,83,06,624.42	16,83,06,624.41
3	Private Securities	5,12,66,50,000.00	5,13,01,81,382.81	2,75,00,00,000.00	7,32,50,000.00	7,95,351.30	7,80,61,36,031.51	7,80,34,00,000.00
4	State development Loans -SDL	74,45,81,40,000.00	74,62,33,54,515.81	12,84,44,50,000.00	1,08,49,70,000.00	3,02,48,152.44	88,35,25,86,363.37	86,21,14,20,000.00
5	State Govt Securities -STG	57,90,00,000.00	58,09,43,517.18	-	-	4,48,956.23	58,04,94,560.95	57,90,00,000.00
6	Special Deposit Scheme -SDS	91,79,27,326.87	91,79,27,326.87	-	-	-	91,79,27,326.87	91,79,27,326.87
7	Public Account	20,16,10,09,305.05	20,16,10,09,304.91	5,30,18,23,065.83	-	-	25,46,28,32,370.74	25,46,28,32,370.88
8	ETF	38,69,49,769.04	38,69,49,769.04	-	26,37,55,982.08	-	12,31,93,806.96	12,31,93,806.96
9	LMF	1,49,54,99,15,239.91	1,49,61,45,02,646.15	36,00,76,18,085.83	2,91,31,95,976.62	49,16,718.31	1,82,70,40,08,517.05	1,83,12,87,92,329.12
	Total							

EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995						
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-23						
(CONTRIBUTION ACCOUNT)						
Previous Year (2021-22)	S. No.	Receipts	Current year (2022-23)	Previous Year (2021-22)	S. No.	Payments
58,04,92,90,40,378.44	1.	Opening Balance	66,46,91,48,94,530.57		1.	Amount paid to outgoing members/ beneficiaries :
4,97,19,97,84,351.98	2.	(i) Contribution deposited by Employers	5,61,70,84,28,799.22	0.00		(a) Amount of Employee's share with interest
78,06,19,66,087.41		(ii) Govt. contribution received (including arrears)	77,85,00,00,000.00	84,92,91,94,829.04		(b) Withdrawal/Retirement benefits
1,71,44,79,00,000.00	3.	Interest on the balance in the Public Account of Govt. of India	1,60,56,72,00,000.00	3,363.00		(c) Life Assurance benefits
12,62,613.14	4.	Interest on Saving Bank Account	4,43,952.23	1,28,11,67,96,402.69		(d) Pension
3,09,32,99,69,939.94	5.	Interest received on Securities	3,46,07,08,43,001.55		2.	Amount paid as commission for disbursement of pension
2,61,42,92,067.69	6.	Penal Damages	4,17,98,00,431.12	1,21,13,87,404.35		Amount paid towards Pension Fund Admin. Expenses
	7.	Other receipts :		0.00	3.	Amount of securities transferred on grant of exemption
1,09,28,46,948.03		(a) Regional Contribution A/c No. 10	1,46,22,52,153.53	0.00	4.	Amount paid as accrued interest on purchase of Securities
0.00		(b) Central Contribution A/c No. 11	4.00	3,35,19,81,796.59	5.	Other payments :
				23,24,403.00	6.	(a) Regional Contribution A/c No. 10
				15,04,79,657.39		(b) Central Contribution A/c No. 11
				66,46,91,48,94,530.57	7.	Closing Balance
68,64,67,70,62,386.63		TOTAL	77,98,75,38,62,872.22	68,64,67,70,62,386.63		TOTAL
						77,98,75,38,62,872.22

*Including a sum of Rs 10,00,00,00,000.00 received from MoL&E against reimbursement of minimum pension of Rs 1000.00

Sd/-
(T. L. YADEN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(NEELAM SHAMI RAO)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976							
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-23							
(CONTRIBUTION ACCOUNT)							
Amount (in Rs.)							
Previous Year (2021-22)	S. No.	Receipts	Current year (2022-23)	Previous Year (2021-22)	S. No.	Payments	Current year (2022-23)
3,42,14,90,74,449.90	1.	Opening Balance	3,74,33,22,30,375.23	20,25,32,21,698.68	1.	Assurance Benefits	21,33,91,38,648.08
25,68,46,56,001.76	2.	Contribution of Employers	30,30,84,97,211.12	0.00	2.	Amount refunded to employers on grant of exemption	0.00
10,25,69,00,000.00	3.	Interest on investment in Public Account of Govt. of India	11,12,23,00,000.00	4,99,59,955.46	3.	Amount paid as accrued interest on purchase of securities	14,42,21,750.00
16,24,12,77,659.62	4.	Interest on investment in securities	17,25,73,68,658.38		4.	Other payments in :	
98,036.95	5.	Interest on S.B. Accounts	4,817.69	1,03,414.00		Account No. 21	60,581.20
15,68,45,717.13	6.	Penal Damages & 7Q Intt.	25,53,66,073.65	1,69,23,775.02		Account No. 25	2,41,20,978.03
	7.	Other receipts in :		3,74,33,22,30,375.23	5.	Closing Balance	4,12,01,31,48,781.95
16,35,17,715.00		Account No. 21	24,49,23,603.19				
69,638.03		Account No. 25	0.00				
3,94,65,24,39,218.39		TOTAL	4,33,52,06,90,739.26	3,94,65,24,39,218.39		TOTAL	4,33,52,06,90,739.26

Sd/-
(T. L. YADEN)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(NEELAM SHAMI RAO)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976							
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2022-23							
(ADMINISTRATION ACCOUNT)							
Previous Year (2021-22)	S. No.	Receipts	Current year (2022-23)	Previous Year (2021-22)	S. No.	Payments	Current year (2022-23)
35,96,89,64,038.08	1.	Opening Balance	38,36,10,90,620.29	43,91,02,592.15	1	1% Proportionate expenditure on EPFO	52,90,77,061.48
25,51,06,842.25	2.	Administrative Charges received from the employers	20,25,33,543.04		2	Other payments in :	
6,64,42,814.09	3	Inspection Charges received	5,51,77,253.00	62,213.00		Account No. 22	5,40,730.00
2,23,66,072.27	4	Penal Damages & 7Q Intt.	2,36,90,255.58	0.00		Account No. 24	0.00
2,48,73,73,722.60	5	Interest received on Investment	2,66,39,77,256.91	38,36,10,90,620.29	3	Closing Balance	40,77,71,43,268.79
1,723.75	6	Interest on Savings Bank A/c	5,208.23				
	7.	Other receipts in :					
212.40		Account No. 22	2,86,923.22				
0.00		Account No. 24	0.00				
38,80,02,55,425.44		TOTAL	41,30,67,61,060.27	38,80,02,55,425.44		TOTAL	41,30,67,61,060.27

Sd/-

(T. L. YADEN)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(NEELAM SHAMI RAO)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Schedule forming part of the Accounts
for the period 2022-23

Schedule 44: Significant Accounting Policies
Schedule 45: Contingent Liabilities and Notes
on Accounts

Employees' Provident Fund Organisation
Schedule forming part of the Accounts for the period 2022-23

Schedule 44: Significant Accounting Policies:

1. Accounting Convention

The financial statements are prepared on accrual basis unless otherwise stated, under the historical cost convention in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of Common Format of Accounting as recommended by Government of India.

2. Investments

(A) The policy of Accounting of ETF investment has been proposed to Government of India and will be applicable after notification of proposed amendment in Schemes under EPF & MP Act., 1952. At present, ETF investments is shown at 'Cost Price'.

(B) The investment in debts securities has been valued at amortized value as per the revised accounting policy for investments as approved by Central Board in its 178th meeting held on 27.01.2007.

3. Fixed Assets:

3.1 Till 2015-16, Land & Buildings were shown together; however, in new format land is separately shown for 2015-16 onwards. Land is classified as leasehold land and freehold land.

3.2 Expenditure on all items costing more than Rs. 5,000 and having useful life more than one year is considered as capital expenditure and Depreciation on these assets will be treated as expenditure for the year.

3.3 Fixed Assets are valued at historical cost.

3.4 All assets except Land and Building, acquired before 01.04.2015 (Date of switching from cash basis to accrual basis of accounting) have been valued at nominal price @ Re. 1 per item.

Explanation:

Till F.Y.2015-16, only Land & Building were considered as Fixed Assets, but in new system all the items falling under definition of Fixed Assets are treated as Fixed Asset and

depreciation is charged accordingly. Prior to 01.04.2015 all the assets (except Land and Building) purchased and booked as expenditure in the respective years, are valued at Re. 1 per asset and accounted for as opening assets. This is done as per guidelines of Indian Government Financial Reporting Standard (IGFRS) issued by Government Accounting Standard Advisory Board (GASAB) constituted by C&AG of India with the support of Government of India which is working on migration to accrual basis accounting in Union and State Government organisations.

4. Depreciation

- 4.1 Depreciation on fixed assets is provided on Straight Line Method at the rates specified in the Companies Act, 2013 (as amended).
- 4.2 Full rate of depreciation is provided on fixed assets, which have been used for 180 days or more and at half rate is provided if it is used for less than 180 days during the year.
- 4.3 On leasehold buildings such as buildings acquired from government agencies or lump sum payment for specified number of the year of lease, depreciation is provided on Straight Line Method with reference to lease period.
- 4.4 The lump sum lease amount paid on lease hold land is amortised proportionately every year over the lease period of the holding.
- 4.5 On freehold building depreciation is first applied for the period from date of acquisition to 01.04.2015. There after normal process of depreciation is being followed as per depreciation chart provided.

(Ref. Accounting Standards-6 and 10)

Explanation: Depreciation Rate chart as per Part "C" of Schedule II of the Companies Act, 2013 is being followed for calculating depreciation.

5. Government Grants/Subsidies:

Government Grants/contribution due for the Employees' Pension Scheme and Employees Provident Fund Scheme is accounted on accrual basis.

6. Employees Dues:

- 6.1 The salary payable to staff for the month of March shall be treated as expenditure of same financial year on accrual basis, irrespective of actual date of payment.

6.2 The interest, on advances paid to staff will be equally distributed in the period of recovery irrespective of recovery period of the interest.

7. Lease

7.1 Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

7.2 Rent on hired buildings, payable by the end of the year shall be accounted on accrual basis and provision to that extent shall be made.

8. Interest Income

8.1 Interest income on investment pertaining to the year will be treated as income of that year.

8.2 As actual amount is not received it will be shown proportionately, as receivable in the account head "Interest accrued but not due".

8.3 Interest accrued and due but not received on investments are accounted on accrual basis from 2015-16 onwards.

9. Retirement Benefits:

9.1 EPFO maintains separate funds for staff Pension-cum-Gratuity. The liabilities of the EPFO on the account of such items are accounted on actuarial basis at the year end. The addition or deletion to funds on account of actuarial valuation is accounted for as expenditure or income, as the case may be, of EPFO in the year of addition or deletion. According to the provisions of Accounting Standard-15, the employees' benefits should be accounted for as per the Actuarial Valuation and as per provisions. The cost of retirement benefits should be accounted for during the period for which the services are rendered.

9.2 Leave encashment paid during the year shall be treated as revenue expenditure of that year.

10. Revenue Recognition:

In case of any recovery through demand/recovery notice issued to employers, the revenue is recorded on cash basis. Other disclosures with regard to assessment under section 7A, damages levied under section 14 B and interest levied under section 7Q of the EPF & MP Act, 1952 is disclosed in notes to accounts.

11. Advances to contractors/ Agencies for building construction:

Advances given for construction work will be treated as current asset and will be initially shown as "Advance to contractors/ agencies". On the basis of measurement at the end of the year the amount will be transferred to the head "Capital work in progress" to the extent of the work has been executed, but yet to be finally completed.

12. Addition/deletion of any head

In case any exigency due to policy decision or statutory requirement, if new head of Account is required to be added/deleted the same shall be done with authorization from competent authority which shall be FA & CAO, EPFO.

Schedule 45: Contingent Liabilities and Notes on Accounts:**1. Contingent Liabilities:**

S. No.	Contingent Liability	Current year (Rs.)	Previous year (Rs.)
1.	Claims against the entity not acknowledged as debts.		
(a)	Goods & Service Tax (formerly, Service Tax)	13,08,04,05,797.00	13,08,04,05,797.00

Status of cases of Goods & Services Tax (formerly, Service Tax) as on 31-03-2023:

S. No.	Period Covered	ST demand & Nature	Status
1	2009-10	1,74,75,51,733.00	Hon'ble Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, New Delhi, (Principal Bench-Court No-1) has issued final order No. 50644/2023 vide dated 08-05-2023 in favour of EPFO for all the years i.e. 2009-10 to 2013-14.
2	2010-11	2,16,32,29,135.00	
3	2011-12	2,73,05,43,957.00	
4	2012-13	3,41,89,46,448.00	
5	2013-14	3,02,01,34,524.00	
		13,08,04,05,797.00	

2. Capital Commitments:

Estimated value of contracts remaining to be executed at the end of F.Y.2022-23, on capital account and not provided for is Rs. 25,731.14 Lakh. At the end of previous year it was Rs. 26,316.11 Lakh.

NOTES ON ACCOUNTS

I. Adoption of Common Format of Accounts

The Accounts have been prepared in Common Format of Accounts approved by CAG of India and notified by Government of India vide G.S.R. No.284(E), G.S.R. No.285(E) and G.S.R. No.286(E) dated 04-04-2019.

II. Prior period Income & Expenditure

The Income and Expenditure Accounts includes the prior period expenditure for a sum of Rs. Nil.

III. Recovery of statutory dues:

1. Total statutory dues assessed under EPF & MP Act, 1952 and due for realization under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q as on 31st March, 2023 are tabulated as under: -

S. No.	Name of the scheme	Total arrear amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q (in Rs. in lakh) as on 31.03.2023		Total arrear amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q (in Rs. in lakh) as on 31.03.2022	
		Arrear	Penal Damages/ Interest	Arrear	Penal Damages/ Interest
1.	Employees Provident Fund	598,755.88	277,519.87	556,865.14	249,937.60
2.	EPF Admn. Fund	33,939.36	22,708.17	31,606.10	21,843.57
3.	Employees' Pension Fund	282,043.21	146,861.48	254,188.46	129,449.48
4.	Employees Deposit Link Insurance (EDLI) Fund	23,017.00	9,233.51	20,558.89	8,592.14
5.	EDLI Admn. Fund	788.55	450.72	762.65	416.01
Total		938,544.00	456,773.75	863,981.23	410,238.81

(Source MIS)

2. Realisable category amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q, and recovered through demand/recovery notices issued to employers, is recorded on cash basis.

3. Due to uncertainty of recovery and unable to quantify the exact amount of recovery before completion of proceedings, the recognition of revenue should be postponed as per provisions of Accounting Standard-9 with respect to revenue recognition. Further, on receipt of actual contributions amount are to be credited in EPF member's account and not on due basis.

IV. EMPLOYEES PENSION FUND:

Employees' Pension Fund actuarial valuation report has been submitted for 31-03-2018 and 31-03-2019 and has been accepted by the Government. The valuation results as on 31.03.2019 are as under:

Valuation Results:

Net Liability Bifurcation	Amount in Crore Rs.
(a) Present Value of all the benefits	10,32,537.55
(b) Present Value of contribution	5,57,448.07
(c) Net Present value of all benefits (c)=(a)-(b)	4,75,089.48
(d) Corpus as on 31-03-2019 (d)	4,37,762.54
(e) Net Liability (c)-(d) (Actuarial Shortfall)	37,326.94

The Government has appointed Valuer for Valuation of the Employees' Pension Fund for 3 years (i.e. as on 31.03.2020, 31.03.2021 and 31.03.2022) and the work of valuation is under process.

V. EMPLOYEES DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME:

Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) Fund was last valued as on 31-03-2019 and the valuation results are as under:

	Amount in (Rs. crore)
Net Liability (a)	10,779.34
Less Fund (b)	27,234.66
Surplus after Fund (b)-(a)	16,455.32

A number of amendments have been made by Central Government, vide G.S.R 299(E) dated 28.04.2021 for enhancing the benefits payable under the EDLI Scheme, 1976. These are listed as below:

1. The maximum assurance benefit payable under paragraph 22(3) of EDLI Scheme, 1976 has been enhanced to Rs. 7 lakh.
2. The Minimum Assurance benefit of Rs. 2.50 lakh payable under paragraph 22(3) of EDLI Scheme, 1976 has been implemented retrospectively w.e.f. 15.02.2020.
3. Extending the benefit payable under paragraph 22(3) of EDLI Scheme, 1976 to beneficiaries in respect of deceased member, who has been a member of the Fund for a continuous period of 12 months preceding the month in which he died.
4. The punishment for failure to submit the returns by the establishment has been extended from Rs. Four Thousand to Rs. Twenty-Five Thousand.

5. The average monthly wages drawn (maximum subject to maximum of Rs. Fifteen Thousand) during the twelve months preceeding the month in which he died multiplied by Thirty Five times plus Fifty percentage of the average balance in the account of deceased in the fund or of the Provident Fund exempted u/s 17 of the Act or u/p 27 or 27A of the EPF Scheme, 1952 as the case may be during the preceeding twelve months or during the period of his membership whichever is less, subject to the ceiling of Rs. One Lakh and Seventy Five Thousand.

The above amendments shall be in force for a period of three years from the date of notification i.e. 28.04.2021 and thereafter to be reviewed as per the financial position of the EDLI Fund.

VI. MEMBERS' ACCOUNTS:

(A) **In-operative Accounts:** The definition of Inoperative Accounts u/p 72(6) of EPF Scheme, 1952 has been amended w.e.f. 11-11-2016. The amount classified and reported as Inoperative Accounts in the Consolidated Annual Accounts for the year 2017-18 was based on the definition prior to 11-11-2016. Now the closing balances of In-operative accounts are being shown on the basis of system generated report at the end of the Financial Year. The amount in 'Inoperative Accounts' is Rs. 6804.88 Crore and No. of such accounts is 17,44,518 as on 31-03-2023.

(B) Irregular payments, and Overpayments:

As on 31.03.2023, a sum of Rs. 9.94 crore and Rs. 25.19 crore were the closing balance under the heads "Irregular Payment" and "Overpayments" respectively, taken on the basis of figures reported by Regional Offices. After detection of over payments or irregular payments, the loss is made good by officials responsible for the same. These payments are properly accounted for and monitored by a duly constituted Over Payment Review Committee. The field offices have also filed civil suits/criminal proceedings against the employees of the Organisation as well as outsiders for the recovery in such cases. Moreover, the Internal Audit Parties have been suitably directed to take up the issue relating to overpayments & irregular payments during the audit of the field offices."

VII. INVESTMENTS:

(A) Investments pending for realisation-

The details of investments showing yet to realise principal amount and interest thereon along with the action taken by EPFO is annexed as Annexure 'A'

(B) Refund of TDS:

The External Concurrent Auditor (ECA) of EPFO Investments has been given the task of taking up the matter with Income Tax authorities. Letter of refund of pending TDS amount (Rs.8.37 crore) along with Interest has been filed with Income Tax Department on 20.07.2022. The same is being followed up with the Income Tax Department.

(C) Difference in the figures of Investments:

The differences in figures of Securities transferred by Exempted PF trusts to CBT on cancellation of exemption has been reconciled and an amount of Rs. 151.48 has been adjusted this year in Annual Accounts.

(D) Accrued interest and penal charges claimed for payments received after the pay date as on 31.03.2023 is Rs. 1,38,487.09/-, out of which Rs. 72,392.00/- has been recovered and M/s SCB, Custodian is following up with issuers to recover remaining amounts.

(E) Previous Year Adjustments related to Accrued Interest Income

It has been noticed that due to a clerical oversight, the "Interest accrued but not due" on investments for the year 2021-22 was inadvertently over-reported/under-reported by M/s Standard Chartered Bank, the custodian of EPFO investments. The details of the over-reported/under-reported figures are as below:

(Rs in Crores)

	EPF Fund-Investment	EPS Fund-Investment	SPF Fund-Investment	Pension-cum-Gratuity Fund-Investment	EDLI Fund-Investment	Total
Interest accrued but not due (as reported in the Annual Accounts 2021-22)	28,039.46	11,836.09	35.36	213.10	400.70	40,524.71
Correct Figures	17,457.27	7,920.62	36.72	218.22	417.99	26,050.82
Overstatement (+) /Understatement (-) as incorporated in the Annual Accounts 2021-22	10,582.19	3,915.47	-1.36	-5.12	-17.29	14,441.98

Remedial Action taken in the Annual Accounts of this year (2022-23): All the above-mentioned over-reporting/under-reporting in the annual accounts of 2021-22 have now been adjusted under the headings "PY accrued Interest Overstated/Understated" in the respective affected schedules in the Annual Accounts of 2022-23 as per the following details:

- ▶ **EPF Scheme:**Rs. (-)10,582.20 Crores in Schedule no. 4.
- ▶ **EPS Scheme:**Rs. (-)3,915.47 Crores in Schedule no. 6.
- ▶ **EDLI Scheme:** Rs. 17.29 Crores in Schedule no. 8.
- ▶ **Staff PF Scheme:** Rs. 1.36 Crores in Schedule no. 11.
- ▶ **Pension-cum-Gratuity Scheme:** Rs. 5.12 Crores in Schedule no. 14.

Impact on the Balance Sheet for the FY 2021-22:

These variances in reporting of "Interest Accrued but not due" figures on investments for FY 2021-22 resulted in corresponding understatements or overstatements of Interest Income for these respective funds in the Annual Accounts of FY 2021-22. Consequently, this led to over/understatement of excess of income over expenditure carried to Schedule 4, 6 & 8 respectively of the Balance Sheet in the case of EPF, EPS, and EDLI Schemes, while it understated interest income in Schedule 11 and 14 of the Balance Sheet respectively for SPF Fund and Pension-cum-Gratuity Fund for FY 2021-22. The over/understated figures have now been adjusted under the headings "PY accrued Interest Overstated/Understated" in the respective affected schedules in the Annual Accounts of 2022 as mentioned above.

No impact on the EPF Interest declared for the FY 2021-22 and FY 2022-23:

The noted variance in reporting "Interest Accrued but not due" has no influence on the calculations for interest rate determination/declaration for EPF members. The interest calculation is performed on an actual income basis rather than an accrued income basis.

Remedial Action taken to prevent further occurrence of such an event:

The Custodian has been directed to implement additional safeguards to enhance the accuracy of data submitted to EPFO. It has been informed by the custodian that the process have been strengthened by introducing an additional layer of data checking before submission of data to EPFO. Furthermore, they are exploring the feasibility of semi-automation for handling this data, given its unique nature and the need to consolidate information from multiple touch points. In parallel, EPFO is getting the data submitted by the Custodian verified from the External Concurrent Auditor (ECA) of EPFO.

(F) The market value of amount invested in ETF as on 31-03-2023 was Rs. 2,58,980.13 Crore.

(G) The differences in investments of Special Deposit Account in EPF Administration Fund and EDLI Administration Fund in accounts of EPFO and amount intimated by Pay and Accounts Office of MOLE of Rs. -7.62 Cr. and Rs. 2.33 Cr. respectively, has been adjusted in interest income of respective funds after due reconciliation.

VIII. SUSPENSE ACCOUNTS:

Suspense Account (EPF), Schedule No.5 (Current Liabilities and Provision	
Opening Balance	44,09,32,360.86
Add: Amount remained unclassified during the year	4,36,00,81,638.39

Total	4,80,10,13,999.25
Less: Amount cleared during the year	4,26,16,85,174.91
Closing Balance	53,93,28,824.34

Suspense Account (Adm. Fund), Schedule No. 15 (Current Liabilities and Provision)	
Opening Balance	30,80,03,860.39
Add: Amount remained unclassified during the year	2,96,00,89,352.50
Total	3,27,17,92,384.89
Less: Amount cleared during the year	3,03,47,19,173.95
Closing Balance	23,33,74,038.94

Suspense Account (EPF), Schedule No. 19 (Current Assets, Loan & Advances)	
Opening Balance	80,76,74,908.50
Add: Amount remained unclassified during the year	128,94,47,929.19
Total	2,09,71,22,837.69
Less: Amount cleared during the year	96,44,93,662.97
Closing Balance	113,26,29,174.72

Suspense Account (Adm. Fund), Schedule No. 28 (Current Assets, Loan & Advances)	
Opening Balance	21,56,97,522.77
Add: Amount remained unclassified during the year	4,42,14,537.56
Total	25,99,12,060.33
Less: Amount cleared during the year	7,49,15,633.03
Closing Balance	18,49,96,427.30

IX (i)-PMRPY and PMPRPY:

PMRPY and PMPRPY Schemes are flagship incentive schemes of Government of India for the generation of new employment in private sector. These schemes were launched during October, 2016 for which, the Government provides grant-in-aid through the Bank Account of EPFO at Indian Bank for this purpose.

PMRPY Scheme provides for reduction of employer's responsibility of pension contribution with respect to newly inducted Provident Fund members. EPFO directly reimbursed the deducted amount from the above mentioned bank Account.

Government of India will pay full employer's contribution (EPF & EPS both) as admissible from time to time w.e.f. 01-04-2018 for a period of three years to the new employees and to the existing beneficiaries for their remaining period of three years through EPFO. The terminal

date of registration of beneficiaries through establishment is 31st March, 2019 (amendment in PMRPY was done by Government through Office Memorandum DGE-U-13015/01/2016-MP(G) dated 12-04-2018). PMPRPY scheme designated for textile sector employees had been discontinued and balance lying in account has been transferred to PMRPY scheme account.

Interest earned on savings Bank Accounts maintained for PMRPY and PMPRPY has been returned back to Government of India, while the unutilized grant-in-aid funds of both the schemes are lying in PMRPY and PMPRPY accounts separately opened for this purpose in Indian Bank. The details of the accounts are mentioned as under: -

S.No	Details of PMRPY		
1	Opening Balance (01.04.2022)		4,74,79,189.00
	Add		
2	Fund received from Govt. of India (MoL&E): Fund Received from Govt. of India (MoL&E) through TSA	00.00	
3	Interest Credited by Bank	48,723.00	4,75,27,912.00
	Less		
4	Upfront benefits Debited from PMRPY A/c to Indian bank collection A/c Bifurcation Account no.5 (PMPRPY) Account no.11 (PMRPY)	1,40,59,934.00 3,28,59,813.00	4,69,19,747.00
5	Interest Remitted to MoL&E, Govt. of India upto 2021-22 under GFR provisions		5,59,442.00
	Closing Balance		48,723.00

S.No	Details of PMPRPY		
1	Opening Balance (01.04.2022)		5,162.00
	Add		
2	Interest Credited by Bank	46.00	5,208.00
	Less		
3	Subsidy to employers	0.00	
4	Interest Remitted to MoL&E, Govt. of India upto 2021-22 under GFR provisions	5,162.00	5,162.00
	Closing Balance		46.00

IX (ii)- PMGKY :

The Government of India on 26.03.2020 announced relief package under PMGKY for the poor to help them fight the battle against Corona Virus Pandemic. As part of the said package, the Central Govt. proposes to pay 24% (employees and employers share under EPF Act) of the monthly wages into EPF accounts initially for the next three months i.e March 2020, April 2020, May 2020. The scheme was further extended for next three months i.e June 2020 to August 2020.

S.No.	Details of PMGKY		
1	Opening Balance (01.04.2022)		48,40,197.00
	Add		
2	Interest Credited by Bank	1,17,093.00	49,57,290.00
	Less		
3	Interest remitted to MoL&E, Govt. of India upto 2021-22 under GFR provisions	10,15,220.00	10,15,220.00
	Closing Balance		39,42,070.00

IX (iii)- ABRY:

ABRY was launched on October 1, 2020 to incentivise employers for creation of new employment, restoration of loss of employment through EPFO. Under this scheme Central Govt. will credit the employees and employers share, under different conditions for the period of two years.

S.No	Details of ABRY		
1	Opening Balance (01.04.2022)		8,01,84,37,166.00
	Add		
2	Fund received from Govt. of India (MoL&E) Fund received from TSA A/c	46,36,00,00,000.00	
3	Interest Credited by Bank	4,42,10,533.00	54,42,26,47,699.00
	Less		
4	Subsidy to employers Upfront benefits Debited from ABRY Scheme A/c to SBI Investment A/c 5 Upfront benefits Debited from ABRY Scheme A/c to SBI Investment A/c 11	35,39,47,82,970.00 15,56,71,09,054.00	50,96,18,92,024.00
5	Interest Remitted to MoL&E, Govt. of India upto 2021-22 under GFR provisions	2,60,06,590.00	2,60,06,590.00
	Closing Balance		3,43,47,49,085.00

X- Centralised Bank Collection Accounts:

EPFO has moved to Centralized Receipt of statutory contributions in Single Bank Account in Multiple Banks, during December, 2016 in place of earlier system of receipt in decentralized Five Collection Accounts of all the Regional/Sub-Regional Offices. Centralized Receipt of fund is being treated as under:

- i. Erroneous Credit against duplicate TRRN is liability, which will be refunded in future. For accounting convenience it is shown in PF Scheme Account.
- ii. Credited un-reconciled amount is treated as liability in EPF Scheme Account. Once the amount is reconciled it will be transferred to respective accounts as contribution.
- iii. Credits by banks for testing of transaction are treated as Misc. Income in Income and Expenditure Account. Similarly bank charges are shown in Income & Expenditure Account of EPF Scheme.
- iv. Closing balances of Single Collection Accounts is shown as bank Balance of EPF Scheme (After adjustment of transactions of other Schemes and Administration Accounts).

XI. Fixed Assets (Schedule No.24)

(A) "Other Fixed Assets" comprise the assets such as Plastic chair, Plastic Table, Television, Trade Mill, Exercise cycle, Almirah for canteen, creche, Paper Shredder, OFR's, LED Panels, TPNs, MCCB, Transformer, HT panel, LT Panel, DG Set, DG Pump, Water supply Motor, Box Cabinet, wooden podium, Newspaper stand, Light arrester, Finger print device, etc.

(B) The details of land not registered in the name of Employees' Provident Fund Organisation is as under: -

S. No.	Name of Zone/Office	Details of Land
1	Zonal Office Telangana (Hyderabad)	Sy. No. 276 / 2 at allwyn colony, Kukatpally, GO MS No. 166 dated 17.06.2016. Allwyn Employees Housing committee filed WP4896/2015 in the honourable High court of Telangana stating that the land was already registered in the name of Alwyn colony employee society. Communication is in progress with the concerned agency for refund of Rs. 8,01,26,300/-. Zonal Office has issued letters to the concerned agency for refund of Rs. 8,01,26,300/- vide letters dated 11.02.2022, 13.07.2022, 21.11.2022 and 19.04.2023.

2	Head Office, New Delhi.	The built-up office space of EPFO Head Office, 14 Bhikaiji Cama place, Hudco Vishala Building was purchased from Hudco on lease basis but till date lease deed has not been registered in the name of EPFO. The Book value of this Building as on 31-03-2023 is Rs.19,35,20,713/- only after depreciation.
---	----------------------------	--

XII. BUILDING CONSTRUCTION FUND:

As observed and suggested by the C&AG in SAR of Annual Accounts 2021-22 and as recommended by the Finance Investment & Audit Committee (FIAC), in its 172nd meeting held on 17-03-2023, the entire amount of the Building Construction Fund (Schedule 12) has been written back to EPF Administration Fund (Schedule 10 under "Others").

XIII. STAFF PENSION-CUM-GRATUITY FUND:

As per provision contained in Section 5-D of the EPF & MP Act, 1952 read with Employees Provident Funds (Staff & Conditions of service) Regulations, 1962, the officers and employees of Central Board of Trustees, EPF are eligible for pension-cum-gratuity benefits as applicable to the employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay. CCS (Pension) Rules, 1972 are applicable mutatis mutandis to the employees of EPFO.

Staff Pension-cum-Gratuity Fund was created w.e.f. 1st April, 1965 to enable the CBT, EPF to adequately discharge its pension and gratuity payments liabilities towards its employees. The fund is fed from the surplus of administrative charges levied on establishments. The CBT, EPF in its 174th meeting held on 23.02.2006 had approved the proposal to increase the contribution to 21% of total emoluments from 12.4% of total emoluments being transferred prior to 23.02.2006 by way of monthly transfer. The CBT, EPF in the said meeting had, inter alia, recommended that Pension-cum-Gratuity Fund may be valued by the actuary on bi-ennial basis.

The current status of the deficit/surplus in the Fund as on 31.03.2023 based on the last Actuarial Valuation as on 31.03.2019 is tabulated below:

(Amount in Rs. Crores)		
(i)	Pension	11,406.84
(ii)	NPS(Family Pension in death cases)	558.34
(iii)	Gratuity	1058.37

(iv)	Total liabilities (i) + (ii)+(iii)	13,023.55
(v)	Available balance as on 31.03.2019	8,305.95
(vi)	Deficit (iv) – (v) as on 31.03.2019	4,717.60
(vii)	Amount transferred to Pension-cum-Gratuity during the FY 2019-20	1,316.01
(viii)	Amount transferred to Pension-cum-Gratuity during the FY 2020-21	1,419.88
(ix)	Amount transferred to Pension-cum-Gratuity during the FY 2021-22	1,630.69
(ix)	Amount transferred to Pension-cum-Gratuity during the FY 2022-23	2,285.55
(x)	Deficit 31.03.2023 (vi-vii-viii-ix)	(-)1,934.53

Sd/-
(T. L. Yaden)
FA & CAO

Sd/-
(Neelam Shami Rao)
Central P.F. Commissioner

ANNEXURE 'A'

STATEMENT SHOWING THE POSITION OF OUTSTANDING DEFAULT OF INTEREST & MATURITY AS ON 31st MARCH, 2023

S. No.	Name of establishment	Principal (Face Value of Security) in default	Interest due but not received	Present status
1.	M/s Reliance Capital	NIL	7,76,63,83,561.65	i. EPFO has an investment of Rs 2,500 Crores in Reliance Capital Ltd (RCL). The EPFO is on the Committee of Creditors (CoC) of RCL as one of the major financial creditors of the corporate debtor. The other major Public Financial institutions on the CoC is the LIC of India. ii. The Reliance Capital Ltd defaulted on its financial obligation and downgraded to default rating in October 2019. RBI vide notification dated 29.11.2021 superseded the Board of Directors of M/s Reliance Capital Ltd (RCL) in view of the defaults by RCL in meeting the various payment obligations to its creditors and serious governance concerns. Shri Nageswar Rao Y (Ex Executive Director, Bank of Maharashtra) has been appointed as the Administrator of the company under Section 45-IE (2) of the RBI Act. iii. The Reserve Bank on December 02, 2021 filed an application for initiation of Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) against Reliance Capital Ltd., under Section 227 of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), at the Mumbai Bench of the Hon'ble National Company Law Tribunal. Pursuant to the order dated December 6, 2021 of the NCLT, Corporate Insolvency Resolution Process ("CIRP") was initiated against RCL. iv. The CoC has got the valuation of the corporate debtor through two independent Valuers and invited bids for resolution of the Corporate Debtor as a going concern. The Average liquidation value assessed is Rs.13,159 crores. v. The Debenture Trustee filed the statement of claim to the Administrator on behalf of all the debenture holders. The total admitted claims of all the lenders is about Rs 25,435 Crores. The

				amount of admitted claim in respect of EPFO is Rs. 3308.67 Cr (Rs 2,500 Cr as Principal amount). vi. The Committee of Creditors (CoC) has approved the Expression of Interest (EOI) for resolution of RCL which provides for the Resolution of the entity as a whole or in clusters for maximizing the value to the CoC. Thereafter, the RFRP was floated as part of the Challenge Mechanism and the last date for accepting the proposals from the PRAs was fixed on 30.06.2022. vii. In the challenge held on 22nd December 2022, the two highest financial bids submitted by the resolution applicants were of Rs 8,640 Crore by Torrent group and Rs 8,110 Crore by the Hinduja group (through IndusInd International Holdings Limited). However, at the time of submission of signed resolution plan, the Hinduja group revised its bid amount to Rs 9,000 Crore. viii. The Torrent group filed a case in NCLT with the plea that the CoC shall not be allowed to consider the revised bid value submitted by the Hinduja group outside the challenge mechanism. The NCLT decided in favor of the Torrent group and instructed CoC to put the Resolution Plans with the financial bids as submitted in the Challenge Mechanism to vote. ix. The CoC challenged the NCLT judgement in NCLAT, which ruled in favor of the CoC's right for value maximization and therefore conduction of the second challenge mechanism. This judgement was further challenged in Apex Court by the Torrent. The apex court upheld the CoC right to continue with 2nd challenge mechanism to value maximization. The next hearing in Apex court is scheduled in August 2023. x. The second challenge mechanism to invite bids has now come to a close. The highest NPV received from the highest bidder after the second Challenge Mechanism is INR 9,650 Crores/- (Rupees Nine thousand six hundred and fifty crores) which is below the Average Liquidation value assessed by the Valuers i.e. Rs 13,159 crores. Only one PRA i.e. IIHL, participated in the second challenge mechanism.
--	--	--	--	--

				xi. The Resolution Plan submitted by M/s IIHL is now being scrutinised by the CoC process advisors and will be subsequently put to vote before the CoC. xii. As per Section 30 (4) of the IBC Code 2016, the committee of creditors may approve a resolution plan by a vote of not less than sixty-six per cent. of voting share of the financial creditors, after considering its feasibility and viability, the manner of distribution proposed, which may take into account the order of priority amongst creditors. xiii. EPFO and LIC of India jointly hold voting share of about 37% in the Committee of Creditors and any decision taken by both will have a substantial bearing on the debt resolution. xiv. The Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) is a time bound process. The NCLT has extended the time line for submission of approved resolution plan till August 2023. In case the resolution plan fails to get the required 66 percent of votes in favor, the process of liquidation of corporate debtor would take over.
2.	M/s Infrastructure Leasing & Financial Service	2,24,73,00,000	1,90,74,79,238.92	i. The government superseded the IL&FS board under section 241(2) of the New Companies Act, 2013 in Oct 2018. This section enables supersession of a company's board to prevent it from further mismanagement in order to protect public interest. ii. Application has been filed before NCLAT by Debenture Trustee on behalf of all debenture holders, including EPFO on 8th February 2019. Vide the order dated 12.03.2020 the Hon'ble NCLAT has accepted the resolution mechanism, including a distribution scheme, of the corporate debtor proposed by the Union of India while simultaneously rejecting the contention of some of the creditors that the resolution must be made as per scheme of Section 53 IBC. iii. Order dated 12.03.2020 has been challenged in SLP Dy No 41253/2019 and SLP Dy no 13094/2020 before the Hon'ble Supreme Court by Hindustan Zinc Employees Contributory Fund Trust. In consequence of the same the NCLAT has declined to pass interlocutory

				orders as evidenced from order dated 28.09.2020. iv. The matter was entrusted to Legal division to file an Impleadment application in Hon. Supreme Court to protect the interests of EPFO. v. The matter was listed for hearing before Hon'ble Supreme Court on 06- 02-2023 however adjourned for another day. vi. EPFO has exposure to the Secured debentures of Infrastructure Leasing and Financial Services Limited (IL & FS Limited). As evident from the status update report provided by EPFO Fund manager, till date no interim distribution has been made to the IL & FS Ltd bond holders though it is being proposed to be distributed as part of the interim distribution by quarter ending June 2023.
3.	M/s Uttar Pradesh Financial Corporation	NIL	69,07,05,754	i. EPFO invested in bonds /securities issued by M/s UPFC having face value of Rs. 25 crores. The issuer defaulted in payment of interest since 2004. ii. To recover the dues writ petition were filed at the Hon'ble High Court at Lucknow. The Hon'ble High Court issued an interim order on 22.02.2011 directing M/s UPFC to pay the principal amount to the petitioner within a maximum period of six months. iii. Due to failure of UPFC to comply with the interim order of Hon'ble High Court of U.P. (Lucknow Bench) for payment of the principal amount, Contempt petition was filed in the High Court by RPFC, SRO, Lucknow vide Writ petition No. 1760. iv. The Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Allahabad has passed the judgement in favour of EPFO vide order dated 27.07.2018. Hon'ble HC judgement states that: <i>"..... that the principal amount shall be paid to the petitioner within a month from today and within three months thereafter the amount of interest shall also be paid to the petitioner in terms of the scheme framed by Hon'ble Supreme Court in its judgement and order dated 01.02.2018 passed in Civil Appeal No.1467 of 2018."</i>

			v. Hon'ble SC judgement and order dated 01.02.2028 passed in Civil Appeal No. 1467 of 2018 states: <i>"In case the payments are not made within the stipulated period, the respondents shall be entitled to interest at the rate of 18% and the officer(s) responsible for the delay will be personally liable for the same."</i> vi. In compliance with the direction of the order of Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Allahabad in The Central Board of Trustee EPF Vs. State of U.P. (W.P. No.1760), UPFC has paid the Principal amount of Rs.25 crore on 27.08.2018. vii. Standard Chartered Bank, Custodian vide e-mail dated 07.09.2018 & RO, Lucknow vide letter dated 29.09.2018 have confirmed that Standard Chartered Bank (SCB) has received Rs. 25 Crore pertaining to UPFC Securities. viii. Apart from that M/s UPFC has paid an amount of Rs.27,60,00,000/- on 05.12.2018 against the interest amount claimed by EPFO, which was Rs 54,33,03,987.16 as on 27.10.2018. ix. EPFO vide letter dated 10.05.2019 has again requested to the Principal Secretary, Dept. of Infrastructure & Industrial Development, State of U.P., Civil Secretariat, Lucknow to issue necessary direction for early payment of remaining overdue interest amount. x. Action are being taken for updated status of default and communication in this regard is being made with the Custodian, Consultant, External Concurrent Auditor and Portfolio Managers. xi. The matter is also being taken up with the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, for his intervention to issue necessary directions to the issuer to remit the outstanding dues to the Central Board, EPF.
4.	M/s Richard & Cruddas (RCL) (Since March, 2002)	4,47,68,281.35	i. EPFO had taken decision to file writ petition to recover the dues. EPFO has written a letter to SCB on 25.07.2014 to collect the papers from the advocate showing that EPFO has filed its claim in BIFR case No. 509 of 1992 in respect of Richardson & Cruddas Limited (RCL) for the

			entire dues to berecovered. ii. The matter has been taken up with Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises to ensure the payment of the delayed payment dues vide our letter dated 19-09-2016 and dated 17-03-2017. iii. The matter has also been taken up with Chairman and Managing Director (R&CL) to take necessary action for payment of outstanding interest at the earliest vide letter dated 22-05-2017 & letter 09-11-2017 & DO letter dated 31-05-2018 to Joint Secretary, Ministry of Heavy Industries. A reminder Letter has also been sent to Joint Secretary, Department of Heavy Industries, Ministry of Heavy Industries, Govt. of India dated 05-04-2019 with the request to issue necessary direction for early payment of the outstanding overdue interest amount, SCB, Custodian has been directed to take follow up action. iv. Further, a letter dated 03 March, 2022 was sent to Chairman & Managing Director, Richardson & Cruddas Ltd. to pay the outstanding overdue interest amount without any further delay and also to Joint Secretary, Deptt. of Heavy industries, Ministry of Heavy Industries with request to look into the matter and issue appropriate directions for early payment and settlement of the outstanding amounts. v. The matter is referred to EPFO Panel advocate through the Legal Division as to the legal remedies available so that necessary action can be taken to recover the amount due from the said company. vi. It has been intimated by the Panel advocate that proceedings u/s 9 of the Insolvency and Bankruptcy Code is ongoing against M/s Richardson and Cruddas ltd. (RCL) before the Hon'ble NCLT, Mumbai Bench titled as Chandra Srinivasulu Vs Richardson & Cruddas (1972) Limited [C.P.(IB)/434(MB)/2021]. vii. The matter is being followed through the EPFO Legal Division.
5.	HMT Machine Tools Limited (HMT) BIFR Case. (Since, 1996)	3,82,00,285.42	i. EPFO had invested Rs. 25 Crores in HMT Bonds in July, 1994 due for maturity in 1999. HMT had failed in payment of interest since 1st January, 1996. Accordingly, EPFO took the

		matter through the Secretary, Ministry of Labour with the Secretary, Ministry of Heavy Industries on 31.12.1996. But despite regular reminders HMT failed to make payment of its dues. ii. In order to recover dues, EPFO, in its 150th CBT meeting held on 06/03/1999, granted permission to initiate legal action against HMT Ltd. Accordingly, two suits were filed in City Civil Court Bangalore on 29.06.1999 and 29.10.2000 to recover the principal and interest amount due from the issuer. The Hon'ble City Civil Court Bangalore on 19.08.2003 referred the case to Committee on Disputes (COD). Subsequent upon COD decision, HMT remitted the sum of Rs. 64,72,84,922/- on 04.12.2004. iii. As per COD decision, HMT was required to pay interest at rate declared and paid to subscribers by EPFO, up to date of final settlement. The amount thus payable by HMT as on 5.12.2004 was Rs. 65,65,16,405.07. Accordingly, HMT made short payment of Rs. 92,31,483.07. iv. HMT Ltd. was advised by EPFO letter no. SSB/PMS/4575 dated 08.12.2004 to remit the difference amount, but HMT did not respond to EPFO communication as well as further reminders sent. v. Recovery suits were filed in City Civil Court Bangalore. HMT has filed an application seeking stay further proceedings invoking section 22 of SICA. The matter was pursued through Regional PF Office Peenya. vi. RO Peenya vide letter dated 25.02.2022 has informed that suit filed by CBT, EPF has been dismissed by the Hon'ble XXX Addl. City Civil & Sessions Judge, Bengaluru vide orders dated 20/03/2020. vii. The Hon. XXX Addl. City Civil & Sessions Judge, Bengaluru while dismissing the suit observed that: <i>"Both the suits in O. S. No. 4974/1999 and O.S. No. 7157/2000 are held not maintainable in view of the Sanctioned Scheme dated 12-06-2008 passed by the Hon. BIFR in case No. 501/2006 directing the plaintiff to waive of the interest on the suit claims and in view of the bar under Sec. 26</i>
--	--	---

				<i>of the Sick Industrial Companies Act, 1985. Accordingly, both these suits filed by the plaintiff are hereby dismissed with costs. Draw decree accordingly."</i> viii. Further, RO, Peenya has informed that it is exploring the possibilities of filing a further appeal i.e., either Writ Petition or Regular First Appeal before the Hon'ble High Court of Karnataka, Bengaluru against the orders dated 20/03/2020 in consultation with the panel advocate. ix. Matter has been referred to EPFO Legal Division for advising appropriate legal action in the matter.
6.	M/s P.S.I.D.C.	2,26,00,000	1,10,77,776.69	i. A D.O Letter was sent to Chairman, PSIDC on 19-04-2021 to remit all the pending due payments to CBT, EPF. Further letter dated 16.08.2016, 30.12.2016, 15.03.2017, 13.07.2017, 16.10.2019, 13.12.2019 and 20.02.2020 were issued for payment of outstanding interest and maturity amount. ii. Another D.O Letter dated 18-03-2020 issued followed by letter dated 03.03.2022 in which Addl. CPFC Chandigarh was requested to follow up the said matter with PSIDC to expedite the payments of dues. iii. Letter dated 20.05.2021 has been sent by the Custodian SCB to PSIDC for non-receipt of interest and redemption payments. iv. A letter dated 03.03.2022 was sent to MD, PSIDC to remit the amount due to EPFO at the earliest. In response to our letter dated 03.03.2022, a letter dated 01.04.2022 is received from M/s PSIDC. In the said letter, M/s PSIDC offered to make settlement of dues for the principal amount only on receipt of funds from the State Government. v. Matter has been referred to EPFO Legal Division for Legal Opinion/further course of action so as to recover the dues. vi. The matter is also being taken up with the Chief Secretary, Government of Punjab, for his intervention to issue necessary directions to the issuer to remit the outstanding dues to the Central Board, EPF.

7.	M/s Punjab Financial Corporation	56,00,000	9,32,309.94	i. A D.O letter was sent to Chairman, PFC on 12-12-2014 to pay the defaulted amount. Further a D.O. letter has been issued on 19-04-2016 to Chief Secretary, Govt. of Punjab to remit all the pending due payments to CBT, EPF. A reminder letter to Chief Secretary, Govt. of Punjab has also been issued on 16.08.2016. ii. As no response received, D.O. letter issued to Governor, RBI on 03.02.2017 to look into the matter on priority and issue necessary directions to the Chief Secretary, Govt of Punjab to fulfil their guarantee on bonds issued by M/s PFC for immediate remittance of all the pending due payments immediately. iii. Further reminder has also been issued to Chief Secretary, Govt. of Punjab on 27-04-2017, 19-9-2017, 13- 2-2018 & 4-12-2018, 08-05-2019 and M/s PFC on 27-04-2017, 19-9-2017, 16-2- 2018, endorsement letter dated 08.05.2019. iv. A meeting was held in the office of PFC at Chandigarh on 27.05.2019 which was attended by representative of SCB, Custodian and official of EPFO, in which the claim of EPFO was strongly put forward. It was decided that PFC would schedule a Secretary level meeting and communicate about the same to all the bond holders. v. The matter is being take up with the Custodian/Legal Section for further course of action. vi. The matter is also being taken up with the Chief Secretary, Government of Punjab, for his intervention to issue necessary directions to the issuer to remit the outstanding dues to the Central Board, EPF.
8	NINL	Rs. 2,50,000/- (Recovered)	Rs. 13,169.86 (Recovered)	EPFO Custodian M/s Standard Chartered Bank reported that the due amount is realized on 04 th Jul 2022.

Separate Audit Report of the
comptroller & Auditor General of India
on the Accounts of Employees'
Provident Fund Organization for the
year ended 31 March 2023

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Employees' Provident Fund Organization for the year ended

31st March 2023.

Observation of CAG	Reply of EPFO
We have audited the attached Balance Sheet of Employees' Provident Fund Organization (EPFO) as at 31 March 2023, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 5A (6) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. These financial statements include the accounts of Head office, 21 Zonal offices (ZOs) including 139 Regional offices (ROs), Pandit Deen Dayal Upadhyay National Academy of Social Security (PDUNASS). Out of these, comments on the accounts of Head Office, three ZOs and 15 ROs have been suitably included in this report. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.	1. No Comments, being factual.
2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.	2. No Comments, being factual.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.	3. No Comments, being factual.
4. Based on our audit, we report that:	4. No Comments, being factual.

i. We have obtained all the information and explanations, subject to the observations in the report, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit; ii. The consolidated Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up by EPFO in the format prescribed by the Government of India, Ministry of Finance subject to the observations in the report; iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the EPFO as required under Section 5A (5) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 in so far as it appears from our examination of such books; iv. We further report that:	
A. Balance Sheet A.1 Assets A.1.1 Current Assets, Loans, & Advances, etc. A.1.1.1 Overstatement of current assets - An amount of ₹ 341.39 crore has been depicted as 'Interest receivable on Public Account of Govt. of India' in Schedule-21 (Current Assets, Loans and Advances). The receivable amount of ₹ 341.39 crore includes ₹ 148.25 crore on account of the arrear of interest as on year 2021-22 as calculated by the EPFO taking the rate of interest as 8.5 per cent per annum. However, the Ministry of Finance has allowed interest at the rate of 7.1 per cent per annum. Thus, the interest receivable depicted in the account was inflated by ₹ 148.25 crore. This has resulted in overstatement of Current Assets as well as overstatement of Corpus account of interest receivable by ₹ 148.25 crore.	A. Balance Sheet A.1 Assets A.1.1 Current Assets, Loans, & Advances, etc. A.1.1.1 Overstatement of current assets - The receivable amount of Rs. 341.39 Cr includes Rs. 190.47 Cr (Outstanding interest receivable on arrears of Rs. 2,240.78 Cr. received), Rs. 2.67 Cr (Difference due to variance between the actuals and the RE of Government contribution of FY 2021-22) and Rs. 148.25 Cr (Difference due to under-calculation by MoL&E/MoF of interest at the rate of 7.1% instead of the actual receivable rate of 8.5%.) The details are as under: 1. Rs. 148.25 Cr (Difference amount of Interest receivable on account of application of interest rate of 8.5% p.a. instead of 7.1% p.a. on contribution arrears of FY 2020-21 amounting to Rs. 10,589.20 crore) a. Central Government allows interest at the rate of 8.5% per annum on the Pension Fund invested in the Public Account of the Government of India. Accordingly, for the year 2021-22, MoL&E has allowed interest at the rate of 8.5% p.a. on 'mean balance of contributions

receivable for FY 2021-22' and 'opening balance as on 01.04.2021'. The same interest rate of 8.5% p.a. has also been allowed in the subsequent years.

b. However, on the govt contribution arrears as on 01.04.2021 amounting to Rs. 10,589.20 Cr (discharged in year 2021-22), MoLE/MoF has allowed interest at therate of 7.1% p.a. only as against the interest rate of 8.5% applied by EPFO. This has resulted in less interest received for the year 2021-22 amounting to Rs. 148.25 Cr.

c. In this regard, it is pertinent to note that had the govt contribution arrears of Rs. 10,589.20 Cr been paid when it was actually due, the said amount would have formed the part of actual opening balance on 01.04.2021. It is only because of the delay in the payment of Rs. 10,589.20 crore over the period of years, the same could not become part of the actual opening balance as on 01.04.2021. Therefore, the govt contribution arrears as on 01.04.2021 deserve to be treated as if it were the part of the opening balance on 01.04.2021, so far as the interest receivable on them is concerned. Accordingly, interest at the same rate of 8.5% (as is allowable on the opening balance) is required to be allowed on the arrears of Rs. 10,589.20 cr.

d. In view of the above, Rs. 148.25 crore is still receivable being the interest difference on account of interest payable at the rate of 8.5% p.a. on contribution arrears as on 01.04.2021 of Rs. 10,589.20 crore instead of the interest actually paid at the rate of 7.1% p.a.

2. Rs. 190.47 Cr (Interest receivable on interest arrears of Rs. 2,240.78 Cr.)

a. As on 01.04.2021, interest arrears of Rs. 2,240.78 Cr. was due from the Central Government. The said interest arrears were discharged in the year 2021-22.

b. However, as was the case with govt contribution arrears, had the interest arrears of Rs. 2,240.78 Cr. been paid when it was actually due, the said amount would have formed the part of actual opening balance

on 01.04.2021. It is only because of the delay in the payment of Rs. 2,240.78 Cr over the period of years, the same could not become part of the actual opening balance as on 01.04.2021. Therefore, the interest arrears as on 01.04.2021 deserve to be treated as if it were the part of the opening balance on 01.04.2021, so far as the interest receivable on them is concerned.

c. Accordingly, interest at the rate of 8.5% (as is allowable on the opening balance) Cr on the interest arrears of Rs. 2,240.78 Cr amounting to Rs. 190.47 Cr is still receivable.

3. Rs. 2.67 Cr (Interest receivable on account of difference in the actuals and RE of the govt contributions in respect of FY 2021-22)

a. The RE 2021-22 of govt contribution was projected as Rs. 6,770 Cr and accordingly the interest component at the rate of 8.5% on the mean balance - Rs. 3,385 cr (half of RE 2021-22 of govt contribution) was communicated to MoLE as Rs. 287.73 Cr. And accordingly, MoLE had sanctioned an amount of Rs. 287.73 crore as an interest component for FY 2021-22.

b. However, after the close of FY 2021-22, it was revealed that the actual govt contributions payable for the said year was Rs. 6,832.92 cr. Thus, the actual mean balance of the contributions in respect of 2021-22 was Rs. 3,416.46 cr and accordingly the actual interest component payable on this mean balance at the rate of 8.5% was Rs. 290.40 cr.

c. Thus, there was a short payment of interest of Rs. 2.67 cr due to difference between the actuals and the RE of the govt contributions for the year 2021-22 and consequently the interest component payable on them. And therefore, Rs. 2.67 Cr is still receivable as interest on this account.

The mentioned entire difference amount has already been claimed from MoL&E and once the matter attains finality, required accounting treatment will be affected accordingly in the books.

B. Contingent Liabilities and Notes on Accounts (Schedule - 45) B.1 Annual valuation of Employees Pension Scheme B.1.1 Non-finalization of Actuarial Valuation Report for Employees Pension Fund after 2019-20	B. Contingent Liabilities and Notes on Accounts (Schedule - 45) B.1 Annual valuation of Employees Pension Scheme B.1.1 Non-finalization of Actuarial Valuation Report for Employees Pension Fund after 2019-20
As per paragraph 32 of the Employees' Pension Scheme (EPS), the Union Government is required to get annual valuation of Employees' Pension Fund conducted by a valuer appointed by it. Though the result and impact of the annual valuation of 2018-19 was disclosed in the notes to the Accounts, but the impact of ₹ 37326.94 crore of actuarial shortfall has not been accounted for in the books of accounts. Further, as per Notes on Accounts No. IV, the Government has appointed the valuer for valuation of Employees' Pension Fund for three financial years (FY 2019-20, 2020-21 and 2021-22) and the work of valuation is under process. Thus, the requirement relating to Actuarial Valuation has not been fulfilled.	It is intimated that Employees' Pension Fund is established under sub-section (2) of section 6A of the EPF & MP Act, 1952 and the membership, contribution rates & benefits etc. are regulated as per provisions in Employees' Pension Scheme, 1995 (EPS, '95). The shortfall mentioned in the above reference is "Actuarial Shortfall" as per the projected contributions and liabilities used in actuarial valuation which is done as per paragraph 32 of the EPS'95 quoted below: <i>"32. Valuation of the Employees' Pension Fund and review of the rates of contributions and quantum of the pension and other benefits. -</i> <i>(1) The Central Government shall have an annual valuation of the Employees' Pension Fund made by a Valuer appointed by it.</i> <i>(2) At any time, when the Employees' Pension Fund so permits the Central Government may alter the rate of contributions payable under this Scheme or the scale of any benefit admissible under this Scheme or the period for which such benefit may be given."</i> It may be noted here that as Actuarial Shortfall is a projection or statistical estimate, there is no question of recouping this shortfall. Actuarial estimate is an indicator which assists in decision making in this regard as per para 32(2) of the scheme quoted above. If the benefits or rate of contribution is changed, these projections would accordingly change. But the scheme is to be administered strictly as per its provisions. Thus, it is in the purview of Central Government to take any decision to alter benefits or rate of contribution based on actuarial valuation or even

otherwise. Further, it is intimated that actuarial valuation for year 2019-20, 2020-21 & 2021-22 is under process. Moreover, the Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB) has neither recommended consolidation, nor has it notified any Indian Government Accounting Standards (IGAS) addressing or recommending the recognition of Actuarial Shortfall for excess in the books of Accounts. Additionally, such an accounting treatment, if suggested, would constitute a deviation not only from the Uniform Format of Accounts but also from the established position of Accounting on a Cash Basis, for which the GASAB has been constituted under the aegis of the CAG. Currently, Government Accounts at both the Centre and State levels are maintained on a Cash basis, and Indian Government Financial Reporting Standards (IGFRS) are not yet notified for implementation.	
B.1.2 Actuarial valuation of the staff pension and gratuity fund The Actuary has been appointed and the current Actuarial valuation is in progress, the precise liability status will be ascertained upon its completion.	B.1.2 Actuarial valuation of the staff pension and gratuity fund As per Note on Accounts No. XIII, the status of surplus/deficit in the staff pension and gratuity fund has been disclosed as on 31 March 2023 based on the last actuarial valuation as on 31 March 2019. As per this valuation, there was a deficit of ₹ 4717.60 crore and during the period from 2019-20 to 2022-23, amount of ₹ 6652.13 crore was transferred to this fund. Therefore, as on 31 March 2023, there was a surplus of ₹ 1934.53 crore as comparison to the liabilities on accounts staff pension and gratuity fund as on 31 March 2019. As any actuarial valuation of the Staff Pension and Gratuity Fund has not been conducted after 31 March 2019, thus, whether the surplus of ₹ 1934.53 crore is sufficient to meet the liabilities as on 31 March 2023, could not be ascertained in audit.
C. General C.1 Non-reconciliation of Suspense Accounts by EPFO	C. General C.1 Non-reconciliation of Suspense Accounts by EPFO Special drive has been initiated for speedy clearance/disposal of

Procedure Part-I General of Employees' Provident Fund Organization, a statement showing the details of balances shown under "Unclassified Suspense" in both liabilities and Assets side should be enclosed to the balance sheet every year indicating the date of transaction, brief particulars of amounts. Vigorous drive should be launched to analyse the outstanding items under this head and to clear them. It is emphasized that the balances under unclassified suspense on both Liabilities and Assets side should be kept down to the minimum and prompt action taken to clear them. However, during the audit it was noticed that huge balances have been shown under suspense accounts.

C.1.1 EPFO, Head office - The details of funds kept in Suspense Account (Note number VIII on Accounts) as shown in financial statements for the year 2022-23 are as under: -

Name of the unit	Particulars	Schedule No.	Opening Balance (in ₹)	Closing Balance (in ₹)
EPFO Headoffice, New Delhi (Consolidated Balance Sheet)	Current Liabilities and Provisions	5	44,09,32,360.86	53,93,28,824.34
	Current Liabilities and Provisions	15	30,80,03,860.39	23,33,74,038.94
	Current Assets, Loans and Advances	19	80,76,74,908.50	113,26,29,174.72
	Current Assets, Loans and Advances	28	21,56,97,522.77	18,49,96,427.30

The balances need to be reconciled/adjusted.

the outstanding amount lying in all the suspense accounts. Further, every field office has deputed one Nodal Officer to identify/reconcile these balances & to closely monitor the progress and reporting of weekly progress report of amount reconciled during that period to Head Office. During the financial year 2022-23, the position of suspense accounts was as follows:

Suspense Account (EPF), Schedule No.5 (Current Liabilities and Provision)	
Opening Balance	44,09,32,360.86
Add: Amount remained unclassified during the year	4,36,00,81,638.39
Total	4,80,10,13,999.25
Less: Amount cleared during the year	4,26,16,85,174.91
Closing Balance	53,93,28,824.34

Suspense Account (Adm. Fund), Schedule No. 15 (Current Liabilities and Provision)	
Opening Balance	30,80,03,860.39
Add: Amount remained unclassified during the year	2,96,00,89,352.50
Total	3,27,17,92,384.89
Less: Amount cleared during the year	3,03,47,19,173.95
Closing Balance	23,33,74,038.94

Suspense Account (EPF), Schedule No. 19 (Current Assets, Loan & Advances)	
Opening Balance	80,76,74,908.50
Add: Amount remained unclassified during the year	128,94,47,929.19
Total	2,09,71,22,837.69
Less: Amount cleared during the year	96,44,93,662.97
Closing Balance	113,26,29,174.72

Suspense Account (Adm. Fund), Schedule No. 28 (Current Assets, Loan & Advances)	
Opening Balance	21,56,97,522.77
Add: Amount remained unclassified during the year	4,42,14,537.56
Total	25,99,12,060.33
Less: Amount cleared during the year	7,49,15,633.03

		Closing Balance		18,49,96,427.30
As it is evident, efforts are being made to reconcile the amounts lying in the suspense accounts. This is a continuous process, and each year unclassified amounts are identified and reconciled.				
C.1.2 Special drive has been initiated for speedy clearance/disposal of the outstanding amount lying in all suspense accounts. Under this initiative, one Nodal Officer has been deputed in the Field office specially to drive this exercise and identify/reconcile these outstanding balances & closely monitor the progress and reporting of weekly progress report of amount reconciled during that period to Head Office. ROs have been instructed to ensure that the details of amount under suspense account, viz. the date of transaction, brief particulars of amounts should be mandatorily maintained and enclosed along with the Balance Sheet for reference.				
C.1.3 It is submitted that a dedicated team has been constituted at the level of RO, Raipur to clear the suspense account as per Head Office directives. An amount of Rs. 7,22,967/- has been cleared from the outstanding Erroneous Credit of 110227799.98. As on date the balance erroneous credit is Rs. 109504833/- & Erroneous Debit is Rs.86578022.38/-. Further, all out efforts are being made by the team to ensure that the task is completed within the timeline.				

C.1.2 The details of funds kept in Suspense Account as shown in financial statements of ZO, Thiruvananthapuram for the year 2022-23 are as under-				
Sl No	Balance Sheet Schedule No.	Name of Head	Amount booked (in ₹)	
		Sundry Credits		
1	Schedule 5	Suspense Account (unclassified EPF)	70,78,671.62	
2	Schedule 7	Suspense Account (EPS)	-28,02,13,435.01	
3	Schedule 9	Suspense Account (EDLI)	8,74,572.73	
4	Schedule 15	Suspense Account (Admn. Fund)	90,11,439.68	
5	Schedule 17	Suspense A/c EDLI Adm.	44,62,098.16	
		Sundry Debits		
6	Schedule 19	Suspense Account (unclassified EPF)	1,31,13,036.12	
7	Schedule 21	Suspense Account (EPS)	-29,23,53,440.36	
8	Schedule 23	Suspense Account (EDLI)	-20,98,352.69	
9	Schedule 28	Suspense Account (Admn. Fund)	1,03,20,047.79	
10	Schedule 30	Suspense A/c EDLI Adm.	40,65,817.74	

C.1.3 RO, Raipur has huge balances of ₹ 86578022.38 (erroneous debits) and ₹ 110227799.98 (erroneous credits) in suspense accounts in various heads of the Balance sheet for FY 2022-23 as follows:					
Sl. No	Schedule of BS 22-23	Account Head	Account Sub Head	Suspense Amount in ₹ (Erroneous Debit)	Suspense Amount in ₹ (Erroneous Credit)
1	Sch 5- Current Liabilities Provisions	Current Liabilities	2. Sundry credits: A. regional: a.suspense account (Unclassified) EPF		6,52,21,137.87
2	Sch 15- Current Liabilities Provisions	Current Liabilities EPF	5. Sundry credits: A. regional: a.suspense account-		2,05,40,799.67

	Admn. Fund		Admn. Fund		
3	Sch 19- (Current Assets, Loans and Advances)	-Current Assets	4. Sundry debits: a.suspense account-(unclassified) EPF	5,31,12,157.37	
4	Sch 28- Current Assets, Loans and Advances	C.Imprest Account;	3. Sundry debits: a.suspense account-(Admn. Fund)	9,07,501.80	
5	SCHEDULE No. 17- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		a. Sundry Credits : I.Excess credit in A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)		6,28,209.45
6	SCHEDULE No.21- CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES		b.Sundry Debits : I.Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	3,14,47,575	
7	SCHEDULE No.23-CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES		Sundry Debits : A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	10,65,919.06	
8	SCHEDULE No.30-CURRENT ASSETS,LOANS & ADVANCES		Sundry Debits : A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	44,869.15	
9	SCHEDULE No. 7 -CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		Sundry Credits : I.Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)		2,25,63,722.36
10	SCHEDULE No. 9- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS		Sundry Credits : I.Excess credit in A/c No. 21 (EDLI Cont. A/c - Regional)		12,73,930.63
Total				86578022.38	110227799.98

The balances need to be reconciled/adjusted.

C.2 Excess credits in Consolidated Financial Statements for the year 2022-23

During the review of consolidated Financial Statements, it was noticed that there are several instances of excess credit. The details of excess credit shown in financial statements for the year 2022-23 are as under: -

Sl. No.	Particulars	Schedule No.	Balance as on 31.03.2023 (in ₹)
1	Excess credit to Account No. 5 (EPF Contribution A/c - Central)	5-(Current Liabilities and Provision)	307,65,33,588.60
2	Excess credit in EPF investment A/cs.	5-(Current Liabilities and Provision)	13,59,27,112.62
3	Excess credit to Account No. 21 (EDLI Cont. A/c - Regional)	9-(Current Liabilities and Provision)	25221867.15
4	Excess credit to Account No. 25 (EDLI Cont. A/c - Regional)	9-(Current Liabilities and Provision)	96395144.21
5	Excess credit in RBI A/c	9-(Current Liabilities and Provision)	13,44,061.55
6	Excess credit to Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	15-(Current Liabilities and Provision)	3,21,85,494.88
7	Excess credit to Account No. 9 (Staff Pension cum Gratuity A/c)	15-(Current Liabilities and Provision)	8,29,781.01
8	Excess credit to Account No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	17-(Current Liabilities and Provision)	1,27,87,746.47
9	Excess credit to Account No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	17-(Current Liabilities and Provision)	4,83,68,577.89
Total			3,56,55,20,487.00

C.2 Excess credits in Consolidated Financial Statements for the year 2022-23

The period wise details of excess credit are given below:

Sl. No.	Particulars	Excess Credit Details				Total Balance as on 31.03.2023 (in ₹)
		Pre-ECR period (Before FY 2012-13)	Post period Centralisation of Collection (FY 2012-13 to FY 2015-16)	Post period including FY 2016-17 till FY 2021-22	FY 2022-23	
1	Excess credit to Account No. 5 (EPF Contribution A/c - Central)	1,12,86,51,431.99	0	18,12,23,545.20	1,76,66,58,611.41	3,07,65,33,588.60
2	Excess credit in EPF investment A/cs.				13,59,27,112.62	13,59,27,112.62
3	Excess credit to Account No. 21 (EDLI Cont. A/c - Regional)		25221867.15			25221867.15
4	Excess credit to Account No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	1,27,87,746.47				1,27,87,746.47
5	Excess credit to Account No. 25 (EDLI Cont. A/c - Central)	9,60,91,269.21	100	3,03,775.00	0.00	9,63,95,144.21
6	Excess credit to Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	3,16,41,742.88	5,43,752.00	0	0.00	3,21,85,494.88
7	Excess credit to Account No. 9 (Staff Pension cum Gratuity A/c)	8,03,000.00	26,780.00	0	0.00	8,29,780.00

8	Excess credit to Account No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	4,83,63,64 1.39	3,134.00	1,802.50	0.00	4,83,68,57 7.89
	9	Excess credit in RBI A/c	13,44,061. 55	0	0	13,44,061. 55

- Excess credit entries appear in the accounts when a certain amount is received in EPFO accounts but the corresponding information is not provided/available to reconcile and further categorize these receipts in other appropriate accounting heads.

- The majority of the amount, nearly 100%, with the exception of A/C 5, pertains to the pre-ECR period, i.e., before 2012-13. The necessary records and information to reconcile and categorize these amounts under the appropriate heads are not available. A special drive is underway to identify and address these amounts wherever possible. As soon as the required information becomes available, the amounts will be reconciled accordingly. It is important to mention that, since, these balances represent actual receipts in EPFO accounts, and without adequate information cannot be reconciled, the observation may kindly be dropped.

After implementation of centralized collection system, all receipts are through electronic challan-cum-return and electronic VDR system. However, if due to any reason any amount is directly received in EPFO accounts in respect of which corresponding ECR/VDR is not available, such amount is booked in these heads unless/until depositor of said amount contacts EPFO and thereafter VDR/ECR is filed against the said amount. In the previous FY 2022-23, 176.77 crore direct receipts were added in accounts. Out of this, 173.49 crore has been reconciled in current financial year, i.e., FY 2023-24 and will reflect in Annual Accounts of FY 2023-24.

D. Grants-in-aid under the schemes

No Comments, being factual.

D. Grants-in-aid under the schemes
Grants-in-aid have been received from the Central Government towards schemes under Employees' Pension Scheme (EPS) - 1995 and Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojna (ABRY). The details of grants received and utilized are as under: -

(₹ in crore)					
Name of the scheme	Opening balance as on 01.04.2022	Received during the year plus Interest earned	Total Grant	Grant utilized plus Interest refunded	Unutilized grant
ABRY	801.84	4640.42	5442.26	5098.79	343.47
EPS-1995	Nil	7785.00	7785.00	7785.00	Nil
(Govt share@1.16%)					
Minimum pension of Rs 1000 per month under EPS 1995	Nil	1000.00	1000.00	971.79	28.21
Total	801.84	13425.42	14227.26	13855.58	371.68

E. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of management of EPFO through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

i. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Accounts and Receipt & Payment Accounts dealt with by this report, are in agreement with the books of accounts.

ii. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India

a. In so far as they relate to the Balance Sheet of the state of affairs of the Employees' Provident Fund Organisation as at 31 March 2023; and

b. In so far as they relate to the Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of C&AG of India

Sd/-

(Rajiv Kumar Pandey)
Director General of Audit
(Central Expenditure)

Place: New Delhi

Date: 04-03-2024

Annexure

1. Adequacy of internal audit system i. EPFO Headquarters had planned Internal audit of 129 units including EPFO Head office. Out of 129 units, 42 units were actually audited during 2022-23 by the Audit Wing of EPFO. ii. The follow up action on the outstanding objection was not effective as 232 internal audit paras pertaining to EPFO Head office were outstanding as on 31 March 2023. Information regarding outstanding pertaining to regional offices has not provided by EPFO.	1. Adequacy of internal audit system i) The Audit Division, EPFO, Head Office is regularly reviewing and monitoring the Internal Audit. The Tour program of Audit Parties is designed for optimal utilization of available resources in order to maximize the output. As on date 90 units have been audited during the current financial year by the Internal Audit Parties. ii) A new manual has been adopted which provides for effective follow up action in order to liquidate the pending paras and ensure rectification of the outstanding objections. In the new Audit Manual, there are three (3) separate committees for dropping of internal audit paras.
2. Adequacy of Internal control system i. Trial balance and head wise ledgers were not being prepared in their field units as well as EPFO Head office.	2. Adequacy of Internal control system i) EPFO follows all the basic principles of accounting and significant accounting policies consented by CAG and approved by Government of India.
3. System of physical verification of Assets The physical verification of fixed assets of EPFO Head office conducted during 2022-23.	3. System of physical verification of Assets No Comments, being factual.
4. System of physical verification of inventory Physical verification in respect of consumables and stationery in respect of EPFO Head office has been conducted during the year.	4. System of physical verification of inventory No Comments, being factual.
5. Regularity in payment of statutory dues As per accounts, no payment in respect of statutory dues was outstanding as on 31 March 2023.	5. Regularity in payment of statutory dues No Comments, being factual.

वर्ष 2022 -23 के समेकित वार्षिक लेखे, लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

मुख्यालय

**प्लेट ए , ग्राउंडफ्लोर, कार्यालय ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,
नई दिल्ली-110023**

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषयवस्तु	पेज
1.	समेकित तुलनपत्र.....	68-69
2.	तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां.....	70-80
3.	समेकित आय एवं व्यय लेखा.....	82-84
4.	आय और व्यय लेखे का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां.....	85-87
5.	अचल संपत्तियों और निवेश अनुसूचियों का विवरण.....	88-90
6.	प्राप्ति और भुगतान लेखा, क.पें.यो., 1995 (अंशदान लेखा).....	91
7.	प्राप्ति और भुगतान लेखा, क.नि.सह.बी.यो., 1976 (अंशदान लेखा).....	92
8.	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, क.नि.सह.बी.यो., 1976 (प्रशासन लेखा).....	93
9.	लेखों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां.....	95-123
10.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट.....	124-139
11.	लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र.....	140-141

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

31-03-2023 तक समेकित तुलनपत्र

पंजी निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. अंशदान निधि- सदस्यों के खाते	1	1,17,73,40,19,94,087.20	1,00,07,99,52,42,63
सदस्यों के सक्रिय खाते	2	68,04,87,90,103.00	49,62,70,00,17
सदस्यों के निष्क्रिय खाते			
आरक्षित एवं अधिशेष	3	5,14,99,56,300.58	4,76,18,64,35
विशेष आरक्षित निधि	4	3,21,85,34,62,587.10	3,84,94,19,60,96
ब्याज खाता- क.भ.नि. अंशदान निधि			
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	5	11,09,60,24,98,363.96	9,23,64,11,13,33
उप जोड़ - क.भ.नि. अंशदान निधि		1,32,78,05,67,01,441.90	1,13,70,96,71,81,47
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.पें.यो. अंशदान निधि	6	77,71,46,51,85,419.62	68,62,01,10,75,31
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	7	33,47,59,27,850.23	30,09,61,22,39
विविध क्रेडिट			
उप जोड़ - पेंशन निधि		78,04,94,11,13,269.75	68,92,10,71,97,71
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि	8	4,15,81,55,26,421.06	3,77,56,53,90,86
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	9	83,17,69,943.46	72,02,27,81
विविध क्रेडिट			
उप जोड़ - क.नि.स.बी. अंशदान निधि		4,16,64,72,96,364.52	3,78,28,56,18,67
कर्मचारी प्रशासन निधि (कभनि योजना - 1952)			
क.भ.नि. -प्रशासन निधि	10	3,31,17,45,81,031.29	3,00,21,78,78,89
आरक्षित एवं अधिशेष	11	5,27,57,97,222.47	4,52,33,35,30
स्टाफ भविष्य निधि - ब्याज खाता			
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	12	-	8,87,25,41,89
भवन निर्माण निधि	13	18,63,61,45,267.80	17,59,95,09,34
स्टाफ भविष्य निधि लेखा	14	1,85,37,09,03,631.23	1,51,73,02,75,20
स्टाफ पेंशन सह: उपदान लेखा			
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	15	3,25,13,16,781.22	3,36,39,20,08
उप जोड़- क.भ.नि. प्रशासन निधि		5,43,70,87,43,934.02	4,86,30,74,60,73
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासन निधि			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि	16	40,75,90,79,152.91	38,36,13,33,28
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	17	59,81,94,633.52	59,88,45,68
उप जोड़ - क.नि.स.बी. प्रशासन निधि		41,35,72,73,786.43	38,96,01,78,97
कुल जोड़		2,20,84,71,11,28,796.60	1,91,66,62,76,37,56

परिसम्पत्तियां	अनुसूची	चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
<u>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</u>			
क.भ.नि. अंशदान निधि - निवेश	18	1,30,50,94,70,17,089.00	1,10,55,04,90,27,147.00
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	19	2,27,10,96,84,352.85	3,15,91,81,54,323.67
उप जोड़ - क.भ.नि. अंशदान निधि		1,32,78,05,67,01,441.90	1,13,70,96,71,81,470.70
<u>कर्मचारी पेंशन योजना, 1995</u>			
क.पें.यो. अंशदान निधि - निवेश	20	77,03,08,05,95,145.84	67,63,99,00,66,657.23
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	21	1,01,86,05,18,123.91	1,28,11,71,31,052.83
उप जोड़ - पेंशन निधि		78,04,94,11,13,269.75	68,92,10,71,97,710.06
<u>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976</u>			
क.नि.स.बी.अंशदान निधि - निवेश	22	4,11,67,86,12,071.97	3,73,89,15,81,725.35
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	23	4,96,86,84,292.55	4,39,40,36,954.28
उप जोड़ - क.नि.स.बी.अंशदान निधि		4,16,64,72,96,364.52	3,78,28,56,18,679.63
<u>कर्मचारी प्रशासन निधि (कभनि योजना, 1952)</u>			
अचल परिसंपत्तियां	24	6,00,11,21,352.12	5,73,09,40,212.92
पूँजीगत कार्य प्रगति पर		8,71,83,96,118.90	8,62,77,97,453.90
क.भ.नि. प्रशासन निधि - निवेश	25	3,10,85,38,95,353.19	2,90,38,78,10,790.95
स्टाफ भविष्य निधि - निवेश	26	23,52,15,76,162.60	21,76,76,25,965.96
पेंशन - सह - ग्रेच्युटी निधि- निवेश	27	1,82,70,40,08,517.05	1,49,61,45,02,646.14
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	28	11,90,97,46,430.15	10,17,87,83,662.37
उप जोड़ - क.भ.नि. प्रशासन निधि		5,43,70,87,43,934.02	4,86,30,74,60,732.23
<u>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासन निधि</u>			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि - निवेश	29	40,18,47,83,692.19	37,54,41,13,259.76
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	30	1,17,24,90,094.24	1,41,60,65,711.30
उप जोड़ - क.नि.स.बी. प्रशासन निधि		41,35,72,73,786.43	38,96,01,78,971.06
कुल जोड़		2,20,84,71,11,28,796.60	1,91,66,62,76,37,563.70

हस्ता /-
(टी.एल. यादेन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता /-
(नीलम शमी राव)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है			चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952				
अनुसूची संख्या 1				
क.भ.नि. अंशदान निधि - सदस्यों के सक्रिय खाते			1,00,07,99,52,42,638.70	85,74,31,64,10,873.64
प्रारंभिक शेष				
जोड़ :			19,11,16,65,87,779.23	16,29,80,20,87,004.40
1	प्राप्त अंशदान (ऋण/प्रत्याहरण की वापसी और अंतरित प्रतिभूतियां)		14,04,97,30,339.06	-16,50,98,45,311.78
2	प्रतिभूतियों के अंतरण से प्राप्त अंशदान (मुख्यालय कान्टा.)		7,30,36,38,35,293.00	6,71,38,33,23,400.00
3	सदस्यों के खाते में जमा ब्याज		0.00	0.00
4	वर्ष के दौरान निष्क्रिय खातों से अंतरित		39,63,04,88,929.00	84,56,61,11,704.96
5	अन्य प्राप्तियां		2,89,51,13,50,377.70	1,66,50,44,01,902.63
6	पिछली जमाएं (बैंक अंतरण) (खाता संख्या 1)		29,84,72,19,92,717.99	25,35,74,60,78,700.21
जोड़				
घटाएं :			5,20,34,74,69,399.01	4,45,18,77,00,108.10
1.	छोड़कर जाने वाले सदस्यों का अंतिम निपटान पर वर्ष के दौरान किया गया भुगतान		11,19,73,698.00	37,87,69,764.00
2.	सदस्यों के जीवन बीमा पॉलिसी पर अदा किया गया प्रीमियम		5,97,76,52,24,576.00	5,81,32,77,78,578.00
3.	सदस्यों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया प्रत्याहरण/ऋण		45,16,15,46,835.00	33,01,59,78,122.00
4.	वर्ष के दौरान निष्क्रिय खातों से अंतरित		55,92,90,26,761.51	42,15,70,20,363.00
5.	अन्य भुगतान		12,19,31,52,41,269.52	11,02,06,72,46,935.10
जोड़			1,17,73,40,19,94,087.20	1,00,07,99,52,42,638.70
31 मार्च को शेष				
अनुसूची संख्या 2				
क.भ.नि. अंशदान निधि - सदस्यों के निष्क्रिय खाते			49,62,70,00,178.00	39,30,85,48,158.00
प्रारंभिक शेष				
जोड़ :			45,16,15,46,835.00	33,01,59,78,122.00
1.	वर्ष के दौरान सक्रिय खातों से अंतरित राशि		0.00	0.00
2	सदस्यों के खातों में जमा ब्याज		45,16,15,46,835.00	33,01,59,78,122.00
जोड़				
घटाएं :			0.00	0.00
1	वर्ष के दौरान सक्रिय सदस्यों के खातों में अंतरित राशि		26,73,97,56,910.00	22,69,75,26,102.00
2	निपटान पर सदस्यों पर वर्ष के दौरान किया गया भुगतान		26,73,97,56,910.00	22,69,75,26,102.00
जोड़			68,04,87,90,103.00	49,62,70,00,178.00
31 मार्च को शेष				
अनुसूची संख्या 3				
विशेष आरक्षित निधि :			4,76,18,64,355.60	4,40,50,54,908.05
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष				
जोड़ :			0.00	0.00
1.	नियोक्ताओं से वसूल की गई राशि		38,80,91,944.98	35,68,09,447.55
2.	एस.आर.एफ. खातों पर ब्याज		38,80,91,944.98	35,68,09,447.55
जोड़				
घटाएं :			0.00	0.00
1.	विशेष आरक्षित निधि से भुगतान की गई राशि		0.00	0.00
2.	मृत्यु राहत कोष में अंतरित राशि		0.00	0.00
जोड़			5,14,99,56,300.58	4,76,18,64,355.60
31 मार्च को शेष				

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है

		चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
अनुसूची संख्या 4			
ब्याज खाता-क.भ.नि. अंशदान निधि			
	प्रारंभिक शेष	3,84,94,19,60,965.08	2,58,52,57,02,982.65
जोड़े :			
1.	क.भ.नि. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अंग्रेजित व्यय से अधिक आय	42,73,34,71,463.37	1,26,41,62,57,982.43
	अर्जित ब्याज पिछले वर्ष में अधिक बताया गया	(1,05,82,19,69,841.35)	0.00
	31 मार्च को शेष	3,21,85,34,62,587.10	3,84,94,19,60,965.08
अनुसूची संख्या 5 (वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)			
I - वर्तमान देयताएं			
1	टीडीएस देय -दावा निपटान पर कटौती	39,86,61,648.00	23,80,43,675.00
2	विविध क्रेडिट :		
	अ. क्षेत्रीय :		
क	उच्चत खाता (अवगीकृत) (क.भ.नि.)	53,93,28,824.34	44,09,32,380.86
ख	अनियमित भुगतान	9,93,72,458.82	10,18,31,584.73
ग	अधिक भुगतान	25,19,06,758.54	24,76,84,571.24
	ब. केन्द्रीय :		
क	खाता संख्या 1 में जमा राशि (क.भ.नि. अंशदान खाता-क्षेत्रीय) परंतु खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय) में नाम नहीं हुई	12,13,13,339.00	12,13,13,339.00
ख	खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय) में अतिरिक्त जमा	3,07,65,33,588.60	1,54,95,52,666.19
ग	क.भ.नि. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा	13,59,27,112.62	0.00
घ	अशक्तता योजना के लिए सरकार से अग्रिम	44,06,975.00	44,06,975.00
ङ	पीएमआरपीवाई लाभों की वसूली	11,88,34,310.00	11,19,17,514.00
3	रोकड़ बही में शेष :		
	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता संख्या 1 (क.भ.नि. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	15,01,98,44,109.18	11,72,64,12,298.54
	खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	12,95,89,06,963.14	0.00
4	क.पें.यो.निवेश लेखा-टीआरईपी ऋण-देय	0.00	0.00
5	अन्य	0.00	0.00
	जोड़	32,72,50,36,087.24	14,54,20,94,984.56
II - प्रावधान			
क	सदस्यों के भविष्य निधि खाते पर देय ब्याज का प्रावधान	8,98,33,66,00,000.00	7,63,19,08,00,000.00
ख	पिछले वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यों के भविष्य निधि खाते पर देय ब्याज का प्रावधान	1,78,54,08,62,276.72	1,45,90,82,18,348.72
	जोड़	10,76,87,74,62,276.72	9,09,09,90,18,348.72
	31 मार्च को शेष	11,09,60,24,98,363.96	9,23,64,11,13,333.28
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
अनुसूची संख्या 6			
अंशदान निधि			
	प्रारंभिक शेष	68,62,01,10,75,316.22	59,95,19,34,57,324.13
जोड़े :	क.पें.यो. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अंग्रेजित व्यय से अधिक आय	9,48,60,87,70,800.04	8,66,81,76,17,992.10
	पिछले वर्ष अर्जित ब्याज अधिक बताया गया	(39,15,46,60,696.74)	0.00
	31 मार्च को शेष	77,71,46,51,85,419.52	68,62,01,10,75,316.22
अनुसूची संख्या 7 (वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)			
	विविध क्रेडिट :		
1.	खाता संख्या 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	6,14,04,117.31	32,11,90,271.31
2.	खाता संख्या 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	60,36,95,982.84	1,42,90,43,138.84
ख	पीएमआरपीवाई खातों में देय पीएमआरपीवाई लाभों की वसूली	53,60,37,038.00	50,51,55,364.00
3.	क.पें.यो.निवेश लेखा-टीआरईपी ऋण-देय	0.00	0.00
4.	रोकड़ बही में शेष		
	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता संख्या 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	7,43,22,67,928.02	4,70,62,35,399.74
	खाता संख्या 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	14,91,79,69,365.38	14,30,44,86,722.95
5	क.पें. निधि (पीएमआरपीवाई) में देय राशि	9,64,24,20,087.00	8,83,00,11,497.00
6	न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त राशि	28,21,33,331.68	0.00
7	अन्य (पीएमआरपीवाई की अतिरिक्त जमा)	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	33,47,59,27,850.23	30,09,61,22,393.84

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है

	चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
कर्मचारी निक्षेप सहबन्ध बीमा योजना, 1976		
अनुसूची संख्या 8		
क.नि.स.बी.यो. अंशदान निधि	3,77,56,53,90,867.05	3,45,46,28,24,683.54
प्रारंभिक शेष	38,07,71,81,737.40	32,10,25,66,183.51
जोड़ : क.नि.स.बी.यो. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अग्रोषित व्यय से अधिक आय	17,29,53,816.61	
पिछले वर्ष अर्जित ब्याज कम बताया गया	4,15,81,55,26,421.06	3,77,56,53,90,867.05
31 मार्च को शेष		
अनुसूची संख्या 9-वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान		
विविध क्रेडिट :		
1. खाता संख्या 21 में अतिरिक्त जमा (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता क्षेत्रीय)	2,52,21,867.15	3,55,99,097.37
में अतिरिक्त जमा		
2. खाता संख्या 25 में अतिरिक्त जमा (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता केंद्रीय)	9,63,95,144.21	9,64,43,612.21
में अतिरिक्त जमा	13,44,061.55	13,44,061.55
3. भारतीय रिजर्व बैंक खाते में अतिरिक्त जमा	0.00	0.00
4. क.नि.स.बी.यो. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा	0.00	0.00
5. क.नि.स.बी.यो. प्रशासनिक खाते में देय राशि		
6. रोकड़ बही में शेष		
भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)	0.00	0.00
खाता संख्या 21 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	70,88,08,870.55	58,68,41,041.45
खाता संख्या 25 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-केंद्रीय)	0.00	0.00
निवेश खाते का बकाया (एससीबी)	0.00	0.00
7. अन्य	83,17,69,943.46	72,02,27,812.58
31 मार्च को शेष		
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952- प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या 10		
क.भ.नि.- प्रशासन निधि	3,00,21,78,78,898.92	2,79,54,02,32,685.27
प्रारंभिक शेष		
जोड़ :	1,02,92,548.73	-4,64,40,134.92
1. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित राशि	22,08,31,46,497.00	20,73,96,65,394.35
2. क.भ.नि. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाते से वर्ष के दौरान अंतरित व्यय से अधिक आय	8,87,25,41,897.04	0.00
3. अन्य	30,96,59,80,942.77	20,69,32,25,259.43
जोड़		
घटाएं	42,78,767.40	1,55,79,045.78
1. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित राशि	0.00	0.00
2. क.भ.नि. प्रशासन निधि के व्यय एवं आय खाते से वर्ष के दौरान अंतरित किया गया आय से अधिक व्यय	50,00,043.00	0.00
3. अन्य	92,78,810.40	1,55,79,045.78
जोड़		
31 मार्च को शेष	3,31,17,45,81,031.29	3,00,21,78,78,898.92

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है			
		चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
अनुसूची संख्या 11			
स्टाफ भविष्य निधि ब्याज खाता			
	प्रारंभिक शेष	4,52,33,35,303.39	3,84,40,92,763.71
जोड़ :			
1.	प्रतिभूतियों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	1,27,51,49,477.82	1,19,71,69,626.03
2	निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	39,29,80,311.19	35,36,08,934.10
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	30,01,500.00	24,37,500.00
4	बचत खाता पर ब्याज	16,310.00	17,379.00
5	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	3,27,388.75	0.00
6	पिछले वर्ष अजित ब्याज कम बताया गया	1,36,30,425.16	0.00
	जोड़	1,68,51,05,412.92	1,55,32,33,439.13
घटाएं :			
1.	सदस्यों के खाते में जमा किया गया ब्याज	92,36,23,952.24	86,86,85,711.45
2.	निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अजित ब्याज	90,19,541.60	53,05,188.00
3	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि	0.00	0.00
	जोड़	93,26,43,493.84	87,39,90,899.45
	31 मार्च को शेष	5,27,57,97,222.47	4,52,33,35,303.39
अनुसूची संख्या 12			
भवन निर्माण निधि:			
	प्रारंभिक शेष	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
जोड़ :			
1.	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	0.00
2	निधि में जमा किया गया ब्याज	0.00	0.00
घटाएं :	क.भ.नि. प्रशासनिक निधि में वापस लिखा गया	8,87,25,41,897.04	0.00
	31 मार्च को शेष	0.00	8,87,25,41,897.04
अनुसूची संख्या 13			
क	स्टाफ भविष्य निधि:		
	प्रारंभिक शेष	11,39,80,53,164.66	11,46,26,62,998.22
जोड़ :			
1.	अंशदान (प्रत्याहरण की वापसी सहित)	2,00,38,07,318.00	2,18,63,55,362.99
2.	सदस्य के खाते में जमा किया गया ब्याज	92,33,28,461.24	86,86,85,711.45
3.	अन्य प्राप्तियां	78,16,22,543.39	2,18,96,91,436.00
	जोड़	3,70,87,58,322.63	5,24,47,32,510.44
घटाएं :			
1.	वर्ष के दौरान निर्गामी सदस्यों को अंतिम निपटान के रूप में अदा	2,58,72,34,123.00	2,69,06,42,731.00
2.	सदस्यों की जीवन बीमा पोलिसियों पर प्रीमियम की अदायगी	0.00	0.00
3.	वर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण	24,47,61,558.00	26,87,41,492.00
4.	अन्य अदायगियां (अन्य क्षेत्रों को अंतरण)	73,64,87,442.00	2,34,99,58,121.00
	जोड़	3,56,84,83,123.00	5,30,93,42,344.00
	31 मार्च को शेष	11,53,83,28,364.29	11,39,80,53,164.66
ख.	अन्य क्षेत्रों से अंतरित स्टाफ भविष्य निधि खाता :		
	प्रारंभिक शेष	66,08,54,182.94	50,05,87,497.94
जोड़ :	क्षेत्रों को अंतरित की गई राशि	73,64,87,442.00	2,34,99,58,121.00
	जोड़	1,39,73,41,624.94	2,85,05,45,618.94
घटाएं :	अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राशि	78,16,22,543.39	2,18,96,91,436.00
	31 मार्च को शेष	61,57,19,081.55	66,08,54,182.94
ग	एसपीएफ खाता से कभनि प्रशा खाता में देय राशि	6,48,20,97,821.96	5,54,06,01,994.96
	जोड़ (क+ख+ग)	18,63,61,45,267.80	17,59,95,09,342.56

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है

	चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
अनुसूची संख्या 14		
स्टाफ पेंशन सह-ग्रेजुटी निधि	1,51,73,02,75,201.43	1,26,49,25,29,263.29
प्रारंभिक शेष		
जोड़ :	22,85,55,00,000.00	16,30,69,00,000.00
1 खाता सं.4 से अतिरिक्त राशि (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - केंद्रीय)	20,76,539.00	13,91,484.00
2 बचत खाता पर वसूल किया गया ब्याज	8,22,37,73,885.28	6,83,12,88,092.55
3 वर्ष के दौरान निवेशों पर वसूल किया गया ब्याज	2,66,63,63,484.77	2,13,09,96,421.27
4 निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	1,46,24,400.00	1,11,46,400.00
5 निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	52,50,811.82	0.00
6 ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	6,82,01,02,546.17	6,25,90,54,562.71
7 क्षेत्रों द्वारा खाता सं.2 (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - क्षेत्रीय) से दी गई राशि	5,12,06,226.13	
8 प्रभार खाता - क्षेत्रीय से दी गई राशि	40,63,88,97,893.17	31,54,07,76,960.53
पिछले वर्ष में अजित ब्याज कम बताया गया		
जोड़	6,82,01,02,546.17	6,25,90,54,562.71
घटाएं :	17,81,66,917.20	4,39,76,459.67
1 क्षेत्रों द्वारा किए गए भुगतान	0.00	0.00
2 वर्ष के दौरान निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अजित ब्याज	6,99,82,69,463.37	6,30,30,31,022.38
3 ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि	1,85,37,09,03,631.23	1,51,73,02,75,201.43
जोड़	1,85,37,09,03,631.23	1,51,73,02,75,201.43
31 मार्च को शेष		
अनुसूची संख्या 15 - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान		
I - वर्तमान दायित्व	17,57,012.94	1,24,04,753.01
1 नई पेंशन योजना का देय अंशदान	0.00	0.00
2 देय एन.पी.एस. पर बॉर्ड के अंशदान हेतु प्रावधान	2,05,04,477.32	1,94,24,086.32
3 रिफंडेबल प्रतिभूति जमा	51,24,147.82	48,13,610.82
4 ग्रुप बीमा योजना (नया)		
5 विविध जमा:		
क. क्षेत्रीय:	23,33,74,038.94	30,80,03,860.39
उच्चत खाता (प्रशासन निधि)		
ख. केंद्रीय:	3,21,85,494.88	3,21,85,494.88
खाता सं.8 में (स्टाफ भविष्य निधि खाता) अतिरिक्त जमा	8,29,781.01	8,29,780.00
ग. खाता सं.9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेजुटी खाता) में अतिरिक्त जमा	0.00	0.00
घ. क.भ.नि. अंशदान खाता के लिए देय राशि		
6 रोकड़ बही शेष		
भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)	39,25,89,065.25	27,24,98,175.92
क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-क्षेत्रीय)	0.00	0.00
क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	0.00	0.00
खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	0.00	0.00
खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेजुटी खाता)	1,81,27,187.44	2,77,14,242.44
मुख्यालय	55,13,858.00	19,35,210.08
पीडीनास	0.00	0.00
क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण		
7 खाता सं. 24 से प्राप्त कुल अतिरिक्त प्रशासनिक लागत के समानुपातिक (1%) (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय)	1,11,84,52,880.20	1,36,18,39,900.45
8 अन्य (पेंशन सह ग्रेजुटी निधि निवेश खाते में अतिरिक्त जमा)	0.00	0.00
जोड़	1,82,84,57,943.80	2,04,16,49,114.31

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है

	चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
अनुसूची संख्या 11		
स्टाफ भविष्य निधि ब्याज खाता		
प्रारंभिक शेष	4,52,33,35,303.39	3,84,40,92,763.71
जोड़े :		
1. प्रतिभूतियों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	1,27,51,49,477.82	1,19,71,69,626.03
2. निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	39,29,80,311.19	35,36,08,934.10
3. निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	30,01,500.00	24,37,500.00
4. बचत खाता पर ब्याज	16,310.00	17,379.00
5. ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	3,27,388.75	0.00
6. पिछले वर्ष अर्जित ब्याज कम बताया गया	1,36,30,425.16	0.00
जोड़	1,68,51,05,412.92	1,55,32,33,439.13
घटाएं :		
1. सदस्यों के खाते में जमा किया गया ब्याज	92,36,23,952.24	86,86,85,711.45
2. निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अर्जित ब्याज	90,19,541.60	53,05,188.00
3. ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि	0.00	0.00
जोड़	93,26,43,493.84	87,39,90,899.45
31 मार्च को शेष	5,27,57,97,222.47	4,52,33,35,303.39
अनुसूची संख्या 12		
भवन निर्माण निधि:		
प्रारंभिक शेष	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
जोड़े :		
1. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	0.00
2. निधि में जमा किया गया ब्याज	0.00	0.00
घटाएं :		
क. भ. नि. प्रशासनिक निधि में वापस लिखा गया	8,87,25,41,897.04	0.00
31 मार्च को शेष	0.00	8,87,25,41,897.04
अनुसूची संख्या 13		
क. स्टाफ भविष्य निधि:		
प्रारंभिक शेष	11,39,80,53,164.66	11,46,26,62,998.22
जोड़े :		
1. अंशदान (प्रत्याहरण की वापसी सहित)	2,00,38,07,318.00	2,18,63,55,362.99
2. सदस्यों के खाते में जमा किया गया ब्याज	92,33,28,461.24	86,86,85,711.45
3. अन्य प्राप्तियां	78,16,22,543.39	2,18,96,91,436.00
जोड़	3,70,87,58,322.63	5,24,47,32,510.44
घटाएं :		
1. वर्ष के दौरान निर्गामी सदस्यों को अंतिम निपटान के रूप में अदा	2,58,72,34,123.00	2,69,06,42,731.00
2. सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसियों पर प्रीमियम की अदायगी	0.00	0.00
3. वर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण	24,47,61,558.00	26,87,41,492.00
4. अन्य अदायगियां (अन्य क्षेत्रों को अंतरण)	73,64,87,442.00	2,34,99,58,121.00
जोड़	3,56,84,83,123.00	5,30,93,42,344.00
31 मार्च को शेष	11,53,83,28,364.29	11,39,80,53,164.66
ख. अन्य क्षेत्रों से अंतरित स्टाफ भविष्य निधि खाता :		
प्रारंभिक शेष	66,08,54,182.94	50,05,87,497.94
जोड़े : क्षेत्रों को अंतरित की गई राशि	73,64,87,442.00	2,34,99,58,121.00
जोड़	1,39,73,41,624.94	2,85,05,45,618.94
घटाएं : अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राशि	78,16,22,543.39	2,18,96,91,436.00
31 मार्च को शेष	61,57,19,081.55	66,08,54,182.94
ग. एसपीएफ खाता से कभनि प्रशा खाता में देय राशि		
जोड़ (क+ख+ग)	6,48,20,97,821.96	5,54,06,01,994.96
	18,63,61,45,267.80	17,59,95,09,342.56

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है

		चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
अनुसूची संख्या 14			
स्टाफ पेंशन सह-ग्रेजुटी निधि			
	प्रारंभिक शेष	1,51,73,02,75,201.43	1,26,49,25,29,263.29
जोड़ :			
1	खाता सं.4 से अंतरित राशि (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - केंद्रीय)	22,85,55,00,000.00	16,30,69,00,000.00
		20,76,539.00	13,91,484.00
2.	बचत खाता पर वसूल किया गया ब्याज	8,22,37,73,885.28	6,83,12,88,092.55
3.	वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों पर वसूल किया गया ब्याज	2,66,63,63,484.77	2,13,09,96,421.27
4	निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	1,46,24,400.00	1,11,46,400.00
5	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	52,50,811.82	0.00
6	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	6,82,01,02,546.17	6,25,90,54,562.71
7	क्षेत्रों द्वारा खाता सं.2 (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - क्षेत्रीय) से दी गई राशि	5,12,06,226.13	
8	प्रभार खाता - क्षेत्रीय) से दी गई राशि	40,63,88,97,893.17	31,54,07,76,960.53
	पिछले वर्ष में अर्जित ब्याज कम बताया गया		
	जोड़		
घटाए :			
1.	क्षेत्रों द्वारा किए गए भुगतान	6,82,01,02,546.17	6,25,90,54,562.71
2.	वर्ष के दौरान निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अर्जित ब्याज	17,81,66,917.20	4,39,76,459.67
3	ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि	0.00	0.00
	जोड़	6,99,82,69,463.37	6,30,30,31,022.38
	31 मार्च को शेष	1,85,37,09,03,631.23	1,51,73,02,75,201.43
अनुसूची संख्या 15 - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान			
1-वर्तमान दायित्व			
		17,57,012.94	1,24,04,753.01
1	नई पेंशन योजना का देय अंशदान	0.00	0.00
2	देय एन.पी.एस. पर बोर्ड के अंशदान हेतु प्रावधान	2,05,04,477.32	1,94,24,086.32
3	रिफंडेबल प्रतिभूति जमा	51,24,147.82	48,13,610.82
4	ग्रुप बीमा योजना (नया)		
5	विविध जमा:		
	क. क्षेत्रीय:	23,33,74,038.94	30,80,03,860.39
क	उच्चत खाता (प्रशासन निधि)		
	ख. केंद्रीय:	3,21,85,494.88	3,21,85,494.88
ख	खाता सं.8 में (स्टाफ भविष्य निधि खाता) अतिरिक्त जमा	8,29,781.01	8,29,780.00
ग	खाता सं.9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेजुटी खाता) में अतिरिक्त जमा	0.00	0.00
घ	क.भ.नि. अंशदान खाता के लिए देय राशि		
6	रोकड बही शेष		
	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)	39,25,89,065.25	27,24,98,175.92
	क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-क्षेत्रीय)	0.00	0.00
	क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	0.00	0.00
	खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	0.00	0.00
	खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेजुटी खाता)	1,81,27,187.44	2,77,14,242.44
	मुख्यालय	55,13,858.00	19,35,210.08
	पीडीनास	0.00	0.00
	क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण		
7	खाता सं. 24 से प्राप्त कुल अतिरिक्त प्रशासनिक लागत के समानुपातिक (1%) (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय)	1,11,84,52,880.20	1,36,18,39,900.45
8	अन्य (पेंशन सह ग्रेजुटी निधि निवेश खाते में अतिरिक्त जमा)	0.00	0.00
	जोड़	1,82,84,57,943.80	2,04,16,49,114.31

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है

		चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
II - प्रावधान			
क	खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेजुटी खाता) को अंतरणीय राशि के लिए प्रावधान	0.00	0.00
ख	देय किराया, दर एवं करों के लिए प्रावधान (एसपीएफ टीडीएस देय)	2,59,476.00	0.00
ग	अन्य देय व्यय	1,42,25,99,361.42	1,32,22,70,974.57
	जोड़	1,42,28,58,837.42	1,32,22,70,974.57
	31 मार्च को शेष	3,25,13,16,781.22	3,36,39,20,088.88
क.नि.स.बी. योजना, 1976 - प्रशासन निधि			
अनुसूची संख्या 16			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि			
	प्रारंभिक शेष	38,36,13,33,285.89	35,96,92,06,703.68
जोड़ :			
1.	क.नि.स.बी. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाता से अग्रिमित व्यय से आय का राशि	2,39,77,45,867.02	2,39,21,26,582.21
	31 मार्च को शेष	40,75,90,79,152.91	38,36,13,33,285.89
अनुसूची संख्या 17- वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान			
क.	विविध जमा:		
1	खाता सं. 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -क्षेत्रीय) में अतिरिक्त जमा	1,27,87,746.47	1,35,73,799.69
2	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय) में अतिरिक्त जमा	4,83,68,577.89	4,83,77,675.89
ख.	खाता सं. 4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय) को अंतरणीय कुल प्रशासनिक लागत से समानुपातिक (1%)	0.00	0.00
ग.	रोकड़ बही शेष: (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता सं. 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -क्षेत्रीय)	6,64,674.83	6,54,913.87
	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय)	53,63,73,634.33	53,62,39,295.72
घ.	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	59,81,94,633.52	59,88,45,685.17
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
अनुसूची संख्या 18			
कर्मचारी भविष्य निधि- निवेश		1,30,50,94,70,17,089.00	1,10,55,04,90,27,147.00

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है

		चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
अनुसूची संख्या 19 (चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम)			
I - चालू परिसंपत्तियां			
1	मार्गस्थ राशि :	4,49,79,15,128.43	7,99,60,19,088.43
	खाता सं. 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता - केंद्रीय)		
2	रोकड़ बही शेष		0.00
	भारतीय स्टेट बैंक	0.00	0.00
	खाता सं. 1 (क.भ.नि. अंशदान खाता - क्षेत्रीय)	0.00	10,06,62,14,764.51
	खाता सं. 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता - केंद्रीय)	76,09,50,047.62	58,74,83,425.73
	क.भ.नि. निवेश खाता (स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक)		
3	प्राप्य क.भ.नि. निवेश पर ब्याज	2,02,50,19,88,504.52	2,80,39,46,44,821.88
क	निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	7,00,56,79,769.85	5,04,18,24,326.66
ख	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	2,11,65,14,998.36	1,73,18,82,082.00
ग	एफ.डी.आर. पर उपाजित ब्याज		
4	विविध नामें:		
क	उच्चत खाता (अवगीकृत)	1,13,26,29,174.72	80,76,74,908.50
	उच्चत खाता (अवगीकृत) (क.भ.नि.)	9,93,72,458.82	10,18,31,584.73
ख	अनियमित भुगतान	25,19,06,758.54	24,76,84,571.24
ग	अधिक भुगतान		
घ	खाता सं. 5, 8 एवं 9 में त्रुटिपूर्ण नामें :		
i	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 5 से खाता सं.1 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में दी गई अतिरिक्त राशि	44,70,07,726.70	44,70,07,726.70
	बैंक द्वारा खाता सं.5 में किया गया अधिक नामें	1,68,84,235.38	1,63,80,249.38
ii	खाता 5 को डेबिट की गई परंतु खाता सं.1 में जमा नहीं की गई राशि तथा इसके विपरीत	3,67,26,624.29	3,67,26,624.29
iii	क.भ.नि. प्रशासन खाते से प्राप्य राशि	0.00	0.00
5	क.भ.नि. प्रशासन खाते से प्राप्य राशि	4,48,62,02,533.00	4,68,68,73,757.00
6	क.पै.यो.फंड से प्राप्य राशि (पीएमआरपीवाई)	3,06,12,07,405.00	3,06,12,07,405.00
7	सरकार से प्राप्य राशि। (पीएमआरपीवाई)	0.00	0.00
8	अन्य	2,26,41,49,85,365.23	3,15,22,34,55,336.05
	जोड़		
II - ऋण एवं अग्रिम			
	विशेष रिजर्व निधि (वसूलनीय) :	69,46,98,987.62	69,46,98,987.62
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	0.00	0.00
जोड़े :	वर्ष के दौरान सदस्यों की भुगतान की गई राशि	0.00	0.00
घटाएं :	नियोक्ताओं से प्राप्त की गई राशि	69,46,98,987.62	69,46,98,987.62
	जोड़	2,27,10,96,84,352.85	3,15,91,81,54,323.67
	31 मार्च को शेष		
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
अनुसूची संख्या 20		77,03,08,05,95,145.84	67,63,99,00,66,657.23
कर्मचारी पेंशन योजना- निवेश			

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है

		चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
अनुसूची संख्या 21- चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
क	रोकड बही शेष:		
1.	खाता सं. 10 (क.पै.यो. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	0.00	0.00
2.	खाता सं. 11 (क.पै.यो. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	0.00	0.00
3.	निवेश खाते में शेष (एससीबी)	29,52,66,177.30	20,47,77,696.04
ख	विविध नामें:		
1.	खाता सं. 10 (क.पै.यो. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	1,22,03,48,524.01	1,61,61,90,733.70
2.	खाता सं. 11 (क.पै.यो. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	19,24,86,061.31	-16,31,54,447.20
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 10 से खाता सं.11 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में गणना की गई अतिरिक्त राशि	20,17,63,057.60	20,17,63,057.60
4.	खाता 11 को डेबिट की गई परंतु खाता सं.10 में जमा नहीं की गई राशि तथा इसके विपरीत	1,01,38,839.20	24,28,21,866.20
ग	प्रेषण में मार्गस्थ राशि	1,66,79,71,362.68	3,23,88,15,362.68
घ	प्राप्य क.पै.यो. निवेश निधि पर ब्याज		
1	निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	91,50,14,87,603.61	1,18,36,08,76,795.86
2	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	2,60,11,67,761.65	1,85,18,43,761.65
3	एफ.डी.आर. पर उपाजित ब्याज	53,03,09,840.55	43,47,81,356.00
4	भारत सरकार के लोक लेखा पर प्राप्य ब्याज	3,41,39,00,000.00	1,48,25,00,000.00
5	न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्य ब्याज	0.00	0.00
इ	केंद्र सरकार से प्राप्य पेंशन अंशदान	22,56,78,896.00	64,59,14,870.30
च	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	1,01,86,05,18,123.91	1,28,11,71,31,052.83
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
अनुसूची संख्या 22			
	क.नि.स.बी. अंशदान निधि- निवेश	4,11,67,86,12,071.97	3,73,89,15,81,725.35
अनुसूची संख्या 23-चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
क	रोकड बही शेष:		
1.	खाता सं. 21 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	3,77,02,590.30	6,17,20,732.95
2.	खाता सं. 25 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	0.00	0.00
3.	निवेश खाते में शेष राशि (एससीबी)	3,97,72,335.45	8,55,532.55
ख	प्रेषण में मार्गस्थ राशि :		
1.	खाता सं. 21 से 25	9,74,96,579.96	9,74,96,579.96
2.	बैंक से खाता सं. 25	5,32,224.15	5,32,224.15
ग	विविध नामें:		
1.	खाता सं. 21 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	10,71,70,924.35	12,40,30,824.16
2.	खाता सं. 25 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	2,39,87,768.04	1,65,96,337.50
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 21 से खाता सं.25 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में दी गई अतिरिक्त राशि	1,35,47,809.14	1,35,47,809.14
घ	प्राप्य क.नि.स.बी. निवेश निधि पर ब्याज		
1	निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	4,52,77,91,374.58	4,00,69,89,036.25
2	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	6,23,11,635.62	4,50,53,635.62
3	एफ.डी.आर. पर उपाजित ब्याज	5,83,71,050.96	2,72,14,242.00
4	भारत सरकार के लोक लेखा पर प्राप्य ब्याज	0.00	0.00
इ	अन्य	0.00	0.00
	31 मार्च को शेष	4,96,86,84,292.55	4,39,40,36,954.28

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है		
	चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 - प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या 24	6,00,11,21,352.12	5,73,09,40,212.92
अचल संपत्तियां		
अनुसूची संख्या 25		
क.भ.नि. प्रशासन निधि - निवेश	3,08,83,78,95,353.19	2,88,28,78,10,790.95
विशेष जमा खाता	2,01,60,00,000.00	2,10,00,00,000.00
एफ.डी.आर.	3,10,85,38,95,353.19	2,90,38,78,10,790.95
31 मार्च को शेष		
अनुसूची संख्या 26	23,52,15,76,162.60	21,76,76,25,965.96
क.भ.नि. स्टाफ भविष्य निधि - निवेश		
अनुसूची संख्या 27	1,82,70,40,08,517.05	1,49,61,45,02,646.14
क.भ.नि. स्टाफ पेंशन सह-ग्रेजुटी निधि - निवेश		
अनुसूची संख्या 28-चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम		
1 मार्गस्थ राशि :	5,18,03,113.18	5,18,03,113.18
क क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	1,22,68,499.25	1,22,68,499.25
ख खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	6,40,71,612.43	6,40,71,612.43
जोड़		
2 रोकड़ बही शेष		
(क) भारतीय स्टेट बैंक :	0.00	0.00
क क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-क्षेत्रीय)	25,28,49,877.60	22,85,42,849.04
ख क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	1,18,15,615.40	1,73,26,461.19
ग खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	8,503.45	2,416.04
घ खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन सह-ग्रेजुटी खाता)	0.00	0.00
ङ मुख्यालय	0.00	0.00
च पीडीनास	40,81,60,453.57	39,62,03,653.57
छ क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण	67,28,34,450.02	64,20,75,379.84
जोड़		
(ख) स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक:	19,80,168.96	3,35,003.33
क स्टाफ भविष्य निधि निवेश खाता	95,88,735.98	2,84,911.80
ख स्टाफ पेंशन सह-ग्रेजुटी निवेश खाता	1,15,68,904.94	6,19,915.13
जोड़		
	3,09,552.90	2,71,444.90
(ग) अग्रदाय लेखा		
3 विविध नामें:		
उच्चत खाता (अवर्गीकृत)	18,49,96,427.30	21,56,97,522.77
क उच्चत खाता (प्रशासन निधि)		
4 खाता नं. 8 एवं 9 को त्रुटिपूर्ण नामें:		
क खाता 2 से खाता सं.8 तथा इसके विपरीत अंतरण के मामले में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अधिक राशि दर्ज	2,04,38,794.97	2,04,38,794.97
ख खाता सं.8 (स्टाफ भ.नि. खाता) में किए गए त्रुटिपूर्ण नामें	5,05,727.75	1,78,339.00
ग खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन सह-ग्रेजुटी खाता) में किए गए त्रुटिपूर्ण नामें	52,50,811.82	0.00
जोड़	21,11,91,761.84	23,63,14,656.74

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है

		चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
5	वसुलनीय अग्रिम (स्टाफ)		
क	वाहन अग्रिम	50,08,393.86	17,06,262.10
ख	गृह निर्माण अग्रिम	27,70,26,144.58	26,19,95,033.44
ग	पेखा अग्रिम	64,704.00	73,520.80
घ	गरम कपड़ा अग्रिम	1,234.75	1,234.75
ङ	त्वाहार अग्रिम	5,65,890.88	5,85,206.82
च	प्राकृतिक विपदा अग्रिम	1,96,400.45	1,24,600.45
छ	वेतन का अग्रिम	-11,60,493.27	-4,16,417.88
ज	डी.ए./ टी.ए. अग्रिम	1,53,14,467.94	1,60,64,191.94
झ	अनाज अग्रिम	0.00	0.00
ञ	स्टाफ सहकारी कैन्टीन/स्टोर हेतु अग्रिम	1,91,444.00	1,91,444.00
ट	कंप्यूटर अग्रिम	2,10,05,664.57	2,34,77,937.57
ठ	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना	0.00	0.00
ड	विविध भुगतान	35,88,014.30	38,16,373.30
	जोड़	32,18,01,866.06	30,76,19,387.29
6	पूर्व भुगतान (प्रीपेड) व्यय	0.00	0.00
7	प्राप्य क.भ.नि. प्रशासन निधि निवेश पर ब्याज		
	विशेष जमा खाता पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	0.00	0.00
	विशेष जमा खाता पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	0.00	0.00
	एफ.डी.आर. पर उपाजित ब्याज	9,12,11,572.60	6,91,93,561.64
8	प्राप्य स्टाफ भविष्य निधि निवेश पर ब्याज		
	निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	39,29,80,311.19	35,36,08,934.10
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	30,01,500.00	24,37,500.00
9	प्राप्य पेंशन सह-ग्रेजुटी निधि में निवेश पर ब्याज		
	निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	2,66,63,63,484.77	2,13,09,96,421.27
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	1,46,24,400.00	1,11,46,400.00
10	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय) से प्राप्य जोड़ प्रशासनिक लागत से समानुपातिक (1%)	0.00	0.00
11	सुरक्षा जमा (पार्टियों को अग्रिम)	3,52,79,431.19	3,45,57,182.20
12	अन्य (रिफंडेबल टीडीएस)	0.00	0.00
13	एजेंसियों / ठेकेदारों को अग्रिम (पूँजी कार्य)	88,49,25,784.42	74,27,65,067.42
14	स्टाफ को भुगतान किए गए अग्रिमों पर वसूली योग्य उपाजित ब्याज	5,86,91,475.83	4,37,11,704.45
15	एसपीएफ खाते से प्राप्य राशि	6,48,08,90,321.96	5,53,93,94,494.96
	31 मार्च को शेष	11,90,97,46,430.15	10,17,87,83,662.37

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है		
	चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 - प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या 29		
क. नि.स.बी. प्रशासन निधि-निवेश	40,18,47,83,692.19	37,54,41,13,259.76
विशेष जमा खाते		
अनुसूची संख्या 30-वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम		
क. रोकड़ बही शेष:	0.00	0.00
1. लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-क्षेत्रीय)	0.00	0.00
2. लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-केन्द्रीय)		
ख. मार्गस्थ प्रेषण:	1,54,34,043.77	1,54,34,043.77
1. लेखा संख्या 22 से 24		
ग. विविध नामे:	1,01,55,290.91	1,03,43,887.72
1. लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-क्षेत्रीय)	1,18,39,758.32	1,18,39,758.32
2. लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-केन्द्रीय)		
3. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखा संख्या 22 से 24 तथा विलोमतः में अंतरण के रूप में गणना की गई अतिरिक्त राशि	1,66,08,121.04	1,66,08,121.04
घ. क.नि.स.बी. प्रशासन निधि निवेश पर प्राप्ति योग्य ब्याज	0.00	0.00
निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	0.00	0.00
निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	0.00	0.00
ड. क.नि.स.बी. अंशदान लेख से प्राप्ति योग्य राशि	1,11,84,52,880.20	1,36,18,39,900.45
जोड़ प्रशासनिक लागत का समानुपातिक अतिरिक्त अंतरण (1% भाग) लेखा संख्या-4		
च. (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार लेखा-केन्द्रीय)	0.00	0.00
छ. अन्य	1,17,24,90,094.24	1,41,60,65,711.30
31 मार्च को शेष		

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा			
		राशि (रूपए)	
	अनुसूची	चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
आय			
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - अंशदान निधि			
ब्याज से आय	31	9,43,57,22,97,777.76	8,91,35,12,89,386.65
अन्य आय	32	9,03,81,24,957.85	4,24,14,00,042.86
कुल आय- क.भ.नि. अंशदान निधि (क)		9,52,61,04,22,735.61	8,95,59,26,89,429.51
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.प.नि. - अंशदान निधि			
पेंशन अंशदान से आय	33	6,48,85,60,59,493.24	5,75,26,17,50,439.39
ब्याज से आय	34	5,21,71,00,10,942.82	5,06,13,94,68,757.32
अन्य आय	35	5,64,20,52,588.65	3,70,71,39,015.72
कुल आय- पेंशन निधि (ख)		11,76,20,81,23,024.71	10,85,10,83,58,212.43
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि			
नियोक्ताओं के अंशदान से आय		30,30,84,97,211.12	25,68,46,56,001.76
ब्याज से आय	36	28,77,59,36,806.75	26,49,41,27,866.75
अन्य आय	37	50,02,89,676.84	32,04,33,070.16
कुल आय-क.नि.स.बी. अंशदान निधि(ग)		59,58,47,23,694.71	52,49,92,16,938.67
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - प्रशासन निधि			
वर्ष के दौरान अंशदान, शास्तिक नुकसानी एवं 7 क्यू ब्याज से आय	38	53,74,88,20,365.16	44,86,99,96,411.21
ब्याज से आय	39	20,64,35,64,935.37	19,18,83,12,038.22
लेखा संख्या-24 से प्राप्ति (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा केन्द्रीय) वर्तमान वर्ष के लिए क.भ.नि.स. के कुल प्रशासनिक खर्च (प्राप्ति योग्य) एवं पिछले वर्षों के बकाया की प्राप्ति का समानपातिक अंश (1%)		52,90,77,061.48	43,91,02,592.15
अन्य आय-विविध प्राप्ति		6,93,90,282.68	15,25,13,567.51
कुल आय-क.भ.नि.प्रशासन निधि(घ)		74,99,08,52,644.68	64,64,99,24,609.09
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि			
वर्ष के दौरान अंशदान, शास्तिक नुकसानी एवं 7 क्यू ब्याज से आय	40	28,14,01,051.62	34,39,15,728.61
ब्याज से आय	41	2,64,06,75,640.66	2,48,73,75,446.35
अन्य आय-लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा - क्षेत्रीय) से प्राप्ति		2,86,923.22	212.40
अन्य आय-लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा -केन्द्रीय) से प्राप्ति		50,00,043.00	-
कुल आय-क.नि.स.बी.प्रशासन निधि (ङ)		2,92,73,63,658.50	2,83,12,91,387.36

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा			
व्यय	अनुसूची	चालू वर्ष (2022-23)	राशि (रूपए) पिछला वर्ष (2021-22)
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - अंशदान निधि			
सदस्यों को ब्याज भुगतान	42	8,98,33,66,00,000.00	7,63,19,08,00,000.00
प्रतिभूतियों की खरीद हेतु विक्रेताओं को ब्याज भुगतान		10,44,78,27,257.85	7,05,75,50,259.40
इ.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर नुकसान / पिछले वर्ष का समायोजन		-	(2,01,54,47,709.62)
विशेष आरक्षित निधि पर उपाजित ब्याज		38,80,91,944.98	35,68,09,447.55
ओवरड्राफ्ट हेतु बैंकों को ब्याज भुगतान		70,44,32,069.41	58,67,19,449.75
विविध- जमाओं पर ब्याज की छूट प्राप्त न्यासों को वापसी		-	-
कुल व्यय-क.भ.नि. अंशदान निधि (क-1)		9,09,87,69,51,272.24	7,69,17,64,31,447.08
I -व्यय (क-1) से अधिक आय (क) तुलनपत्र में अग्रोषित		42,73,34,71,463.37	1,26,41,62,57,982.43
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.पें.यो. - अंशदान निधि			
जाने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि	43	2,21,12,82,42,371.69	2,13,04,59,94,594.73
पेंशन के संवितरण हेतु बैंकों को कमीशन		1,46,07,01,620.24	1,21,13,87,404.35
निवेशों(प्रतिभूतियों) की खरीद पर उपाजित ब्याज का भुगतान		4,77,55,05,083.76	3,35,19,81,796.59
इ.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर नुकसान		-	52,85,72,364.27
अन्य भुगतान			
लेखा सं-10 (क.पें.यो. अंशदान लेखा सं- क्षेत्रीय)		1,59,47,808.96	23,24,403.00
लेखा सं-11 (क.पें.यो. अंशदान लेखा सं- केन्द्रीय)		-	15,04,79,657.39
ओवरड्राफ्ट पर बैंकों को ब्याज का भुगतान		21,89,55,340.02	-
कुल व्यय- पेंशन निधि (ख-1)		2,27,59,93,52,224.67	2,18,29,07,40,220.33
II -व्यय (ख-1) से अधिक आय (ख) तुलनपत्र में अग्रोषित		9,48,60,87,70,800.04	8,66,81,76,17,992.10
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि			
बीमा लाभ भुगतान		21,33,91,38,648.08	20,25,32,21,698.68
निवेशों (प्रतिभूतियों) की खरीद पर उपाजित ब्याज का भुगतान		14,42,21,750.00	4,99,59,955.46
इ.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर नुकसान		-	7,64,41,912.00
अन्य भुगतान			
लेखा सं-21 (क.नि.स.बी. अंशदान लेखा सं- क्षेत्रीय)		60,581.20	1,03,414.00
लेखा सं-25 (क.नि.स.बी. अंशदान लेखा सं- केन्द्रीय)		-	1,69,23,775.02
ओवरड्राफ्ट पर बैंकों को ब्याज का भुगतान		2,41,20,978.03	-
कुल व्यय-क.नि.स.बी. अंशदान निधि (ग-1)		21,50,75,41,957.31	20,39,66,50,755.16
III-व्यय (ग-1) से अधिक आय (ग) तुलनपत्र में अग्रोषित		38,07,71,81,737.40	32,10,25,66,183.51

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा			
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952		राशि (रूपए)	
क.भ.नि. - प्रशासन निधि - (क.भ.नि.स. का 100% व्यय)		चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
क.स्थापना व्यय		13,45,80,69,164.39	12,64,44,75,988.00
अधिकारियों एवं स्टाफ का वेतन तथा बोनस		3,33,08,57,857.00	3,25,10,08,518.00
भत्ते तथा मानदेय		11,96,11,233.00	15,42,54,319.05
अनुदान - कल्याण निधि आदि		29,67,56,02,546.17	22,56,59,54,562.71
स्टाफ पेंशन सह ग्रेजुएटि निधि में अंशदान		7,07,253.00	37,76,174.00
स्टाफ भ.नि., ई.डी.एल.आई. लाभ		73,51,00,347.87	61,64,54,203.57
एन.पी.एस. के लिए बोर्ड का हिस्सा		416.00	2,63,143.00
एन.पी.एस. अंशदान पर ब्याज		-30,898.56	11,15,667.32
एन.पी.एस. के लिए सेवा प्रभार		9,70,85,660.80	5,01,33,614.00
टीए एवं एल.टी.सी		47,41,70,03,579.67	39,28,74,36,189.65
जोड़ क			
ख-अन्य प्रशासनिक व्यय		31,09,28,893.20	25,71,05,722.00
विद्युत पर खर्च		5,11,31,425.00	4,60,21,947.80
डाक पर खर्च		13,92,92,963.23	11,37,42,028.00
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		33,87,54,049.14	36,27,44,140.00
किराया, दर तथा कर		1,05,72,659.00	1,18,56,266.00
वाहन चालन एवं रखरखाव पर खर्च		8,16,40,595.51	7,42,49,592.80
दूरभाष, इंटरनेट तथा संचार प्रभार			
बीमा खर्च		87,73,131.00	83,66,718.00
जल प्रभार		1,23,05,60,226.00	1,08,95,13,160.03
आकस्मिकताओं से स्टाफ को भुगतान		40,38,936.00	51,46,926.00
लेखापरीक्षा शुल्क		11,67,46,197.00	10,49,30,344.00
विधि प्रभार		1,03,95,633.00	3,18,56,670.00
परामर्श व्यय		10,16,73,262.00	7,76,95,748.55
वाहन किराया		3,51,39,785.00	3,42,49,480.00
विज्ञापन एवं प्रचार		1,04,97,82,334.41	59,44,79,376.20
ए.एम.सी. - कम्प्यूटर, सर्वर, बिजली उपकरण तथा अन्य कार्यालय उपकरण		19,69,77,433.52	16,78,94,962.00
यात्रा खर्च		30,41,63,426.32	21,50,63,436.46
अन्य प्रभार (आवर्ती/अनावर्ती)		77,89,33,143.98	85,19,95,186.64
बैंक कमिशन एवं टी.टी. प्रभार		26,99,51,466.00	24,18,73,167.00
कार्यालय भवन / स्टाफ क्वार्टरों का रखरखाव		41,58,92,253.94	33,41,80,609.61
अचल संपत्ति का निवल ह्रास		-19,25,654.54	-1,42,456.00
परिसंपत्तियों के परिसमापन पर हानि/लाभ		0.00	0.00
भवन निर्माण निधि के लिए प्रावधान		3,72,80,409.31	0.00
ओवरड्राफ्ट पर बैंकों को ब्याज का भुगतान		5,49,07,02,568.02	4,62,28,23,025.09
जोड़ ख		52,90,77,06,147.69	43,91,02,59,214.74
कुल व्यय - क.भ.नि. प्रशासन निधि (घ-1)		22,08,31,46,497.00	20,73,96,65,394.35
IV-व्यय (घ-1) से अधिक आय (घ) तुलनपत्र में अंगीकृत			
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी.प्रशासन निधि		52,90,77,061.48	43,91,02,592.15
क.भ.नि.स. के कुल प्रशासनिक व्यय में समानुपातिक अंश (1 प्रतिशत)			
अन्य भुगतान:		5,40,730.00	62,213.00
लेखा सं-22		0.00	0.00
लेखा सं-24		52,96,17,791.48	43,91,64,805.15
कुल व्यय क.नि.स.बी. प्रशासन निधि (इ-1)		2,39,77,45,867.02	2,39,21,26,582.21
V- व्यय (इ-1) से अधिक आय (इ) तुलनपत्र में अंगीकृत			
क.भ.नि.संगठन की जोड़ आय (I + II + III + IV + V)		10,53,90,03,16,364.83	10,48,46,82,34,134.61

हस्ता /-
(टी.एल. यादेन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता /-
(नीलम शमी राव)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं

		चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
क. भ. नि. अंशदान निधि			
अनुसूची संख्या. 31			
ब्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	6,22,37,27,03,925.26	5,47,68,70,41,568.44
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	2,02,50,19,88,504.52	2,80,39,46,44,821.88
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	7,00,56,79,769.85	5,04,18,24,326.66
4	ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	1,09,57,53,06,005.53	56,48,66,56,387.88
5	एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	2,11,65,14,998.36	1,73,18,82,082.00
6	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	34,776.24	22,764.23
7	स्थापनाओं से प्राप्त प्रतिभूतियों पर ब्याज	69,798.00	92,17,435.56
8	ऋणों पर अंशदाताओं/सदस्यों से प्राप्त ब्याज	0.00	0.00
9	पूर्व वर्षों के लिए ब्याज हेतु अतिरिक्त उपबंध- वापस लिखा गया	0.00	0.00
जोड़		9,43,57,22,97,777.76	8,91,35,12,89,386.65
अनुसूची संख्या. 32			
अन्य आय			
1	वर्ष के दौरान वसूली गई शास्तिक नुकसानी	5,47,20,13,523.23	2,46,93,89,712.23
2	वर्ष के दौरान वसूला गया 7क्यू ब्याज	3,56,61,11,066.62	1,77,20,10,330.63
3	अन्य प्राप्तियां (बचत बैंक खाते पर ब्याज)	368.00	0.00
जोड़		9,03,81,24,957.85	4,24,14,00,042.86
क. पें. यो. अंशदान निधि			
अनुसूची संख्या. 33			
पेंशन अंशदान से प्राप्त आय			
1	नियोक्ताओं से प्राप्त पेंशन अंशदान	5,61,70,84,28,799.22	4,97,19,97,84,351.98
2	केन्द्र सरकार से प्राप्त पेंशन अंशदान	86,92,19,51,798.02	77,41,60,51,217.11
3	केन्द्र सरकार से प्राप्ति योग्य पेंशन अंशदान	22,56,78,896.00	64,59,14,870.30
जोड़		6,48,85,60,59,493.24	5,75,26,17,50,439.39
अनुसूची संख्या. 34			
ब्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	2,64,45,50,44,303.27	2,32,67,43,04,230.67
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	91,50,14,87,603.61	1,18,36,08,76,795.86
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	2,60,11,67,761.65	1,85,18,43,761.65
4	ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	12,29,57,481.51	0.00
5	एफडीआर पर उपार्जित ब्याज	53,03,09,840.55	43,47,81,356.00
6	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्त ब्याज	1,59,08,47,00,000.00	1,51,33,39,00,000.00
7	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्ति योग्य ब्याज	3,41,39,00,000.00	1,48,25,00,000.00
8	न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त ब्याज	0.00	0.00
9	न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्ति योग्य ब्याज	0.00	0.00
10	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	4,43,952.23	12,62,613.14
जोड़		5,21,71,00,10,942.82	5,06,13,94,68,757.32
अनुसूची संख्या. 35			
अन्य आय			
1	वर्ष के दौरान वसूली गई शास्तिक नुकसानी	2,61,37,48,356.42	1,76,13,05,963.50
2	वर्ष के दौरान वसूला गया 7क्यू ब्याज	1,56,60,52,074.70	85,29,86,104.19
3	अन्य प्राप्तियां- क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-10	1,46,22,52,153.53	1,09,28,46,948.03
4	अन्य प्राप्तियां- क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-11	4.00	0.00
जोड़		5,64,20,52,588.65	3,70,71,39,016.72

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं

		चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
क.नि.स.बी. अंशदान निधि			
अनुसूची संख्या. 36			
ब्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	12,99,77,66,497.36	12,15,78,72,915.93
2	निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	4,52,77,91,374.58	4,00,69,89,036.28
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	6,23,11,635.62	4,50,53,635.62
4	ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	73,91,430.54	0.00
5	एफडीआर पर उपाजित ब्याज	5,83,71,050.96	2,72,14,242.00
6	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्त ब्याज	11,12,23,00,000.00	10,25,69,00,000.00
7	भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्ति योग्य ब्याज	0.00	0.00
8	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	4,817.69	98,036.98
जोड़		28,77,59,36,806.75	26,49,41,27,866.78
अनुसूची संख्या. 37			
अन्य आय			
1	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	16,26,19,372.68	10,47,66,195.18
2	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	9,27,46,700.97	5,20,79,521.97
3	लेखा संख्या 21 में अन्य प्राप्ति	24,49,23,603.19	16,35,17,715.00
4	लेखा संख्या 25 में अन्य प्राप्ति	0.00	69,638.00
जोड़		50,02,89,676.84	32,04,33,070.15
क.भ.नि. - प्रशासन निधि			
अनुसूची संख्या 38			
वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रभार, शास्तिक नुकसानी एवं 7क्यू ब्याज से हुई आय			
1	वर्ष के दौरान प्राप्त क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार	49,74,29,43,822.99	41,03,16,94,289.71
2	वर्ष के दौरान प्राप्त क.भ.नि. निरीक्षण प्रभार	3,48,91,39,913.00	3,50,84,34,432.00
3	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	31,54,68,799.34	21,83,51,662.91
4	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	20,12,67,829.83	11,15,16,026.58
जोड़		63,74,88,20,365.16	44,86,99,96,411.20
अनुसूची संख्या. 39			
ब्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	20,55,21,29,717.61	19,11,88,10,388.42
2	अर्जित ब्याज परंतु निवेश पर देय नहीं	0.00	0.00
3	निवेश देय ब्याज परंतु पर प्राप्त नहीं	0.00	0.00
4	सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज	9,12,11,572.60	6,91,93,561.64
5	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	2,23,645.16	3,08,088.18
जोड़		20,64,35,64,935.37	19,18,83,12,038.22
घटाएं: भवन निर्माण निधि पर क्रेडिट किया गया ब्याज		0.00	0.00
जोड़		20,64,35,64,935.37	19,18,83,12,038.22
क.नि.स.बी.यो.प्रशासन निधि			
अनुसूची संख्या.40			
वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रभारों, शास्तिक नुकसानी एवं 7क्यू ब्याज से हुई आय			
1	वर्ष के दौरान प्राप्त क.नि.स.बी.यो.प्रशासन प्रभार	20,25,33,543.04	25,51,06,842.28
2	वर्ष के दौरान प्राप्त क.नि.स.बी.यो.निरीक्षण प्रभार	5,51,77,253.00	6,64,42,814.00
3	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	1,62,55,897.60	1,44,95,476.11
4	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज	74,34,357.98	78,70,596.11
जोड़		28,14,01,051.62	34,39,15,728.60
अनुसूची संख्या.41			
ब्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	2,64,06,70,432.43	2,48,73,73,722.60
2	निवेश पर अर्जित ब्याज परंतु पर देय नहीं	0.00	0.00
3	निवेश देय ब्याज परंतु पर प्राप्त नहीं	0.00	0.00
4	बचत बैंक खाते पर ब्याज	5,208.23	1,723.71
जोड़		2,64,06,75,640.66	2,48,73,75,446.31

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं

		चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)
<u>क. भ. नि. अंशदान निधि</u>			
अनुसूची संख्या.42			
सदस्यों का ब्याज का भुगतान			
1	वर्ष के दौरान सदस्यों के भविष्य निधि खातों पर क्रेडिट ब्याज (निष्क्रिय खातों सहित)	0.00	0.00
2	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सदस्यों के भ.नि. खातों पर देय ब्याज का प्रावधान	8,98,33,66,00,000.00	7,63,19,08,00,000.00
3	पूर्व के वर्षों के लिए सदस्यों के भ.नि. खातों पर देय ब्याज का प्रावधान	0.00	0.00
जोड़		8,98,33,66,00,000.00	7,63,19,08,00,000.00
<u>क. पे. यो. अंशदान निधि</u>			
अनुसूची सं- 43			
सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि			
1	प्रत्याहरण/सेवानिवृत्ति लाभ	76,88,66,58,963.34	84,92,91,94,829.04
2	जीवन बीमा लाभ	0.00	3,363.00
3	पेंशन भुगतान	1,44,24,15,83,408.35	1,28,11,67,96,402.69
जोड़		2,21,12,82,42,371.69	2,13,04,59,94,594.73

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

अनुसूची संख्या 24

सभी आंचलिक कार्यालय/फील्ड कार्यालय:

अंचल परिसंपत्तियां 2022-23

(समग्र क्षेत्र यानि कि. को. के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उप क्षेत्रीय कार्यालय सहित क्षेत्रीय कार्यालय)										राशि (रु. में)	
मूल्यहास										चालू वर्ष के अंत में (ए.बी.)	पिछले वर्ष के अंत में
क्र.सं.	अंचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक	
		वर्ष के आरंभ में सांगतमूल्यंकन	वर्ष के दौरान अवसर्ग परिसंपत्तियों में वृद्धि	वर्ष के दौरान अवसर्ग परिसंपत्तियों में कटौती	वर्ष के अंत में सांगतमूल्यंकन (ए)	वर्ष के आरंभ में संवित मूल्यहास	चालू वर्ष के लिए मूल्यहास	वर्ष के अंत में संवित मूल्यहास	चालू वर्ष के अंत में संवित मूल्यहास (बी)	चालू वर्ष के अंत में (ए-बी)	पिछले वर्ष के अंत में
1	भूमि										
क	श्री होल्ड भूमि	1,17,37,66,447.63	2,47,140.00	-	1,17,40,13,587.63	-	-	-	-	1,17,40,13,587.63	1,17,37,66,447.63
ख	लीज होल्ड भूमि	22,89,93,729.50	-	-	22,89,93,729.50	4,19,71,719.46	19,74,359.87	-	4,39,46,079.33	18,50,47,650.17	18,70,22,010.04
2	भवन										
क	भवन-कार्यालय	2,65,97,96,941.82	11,88,34,530.00	27,48,401.00	2,77,58,83,070.82	46,44,46,622.72	4,61,14,818.70	3,25,495.24	51,02,35,946.18	2,26,56,47,124.64	2,19,53,50,319.10
ख	लीज होल्ड भवन-कार्यालय	84,56,78,016.47	1,04,51,245.00	-	85,61,29,261.47	24,87,80,590.09	3,52,77,413.89	-	28,40,58,003.98	57,20,71,257.49	59,68,97,426.38
ग	भवन-आवासीय	88,37,79,922.99	8,76,54,238.00	49,95,781.11	96,84,38,379.88	26,33,86,216.64	4,44,47,593.75	49,95,781.11	30,28,48,029.28	66,35,90,350.60	62,03,83,706.35
घ	लीज होल्ड भवन-आवासीय	15,58,45,865.00	(2,07,92,070.00)	-	13,50,53,795.00	8,35,91,812.00	(2,65,77,005.00)	-	5,70,14,807.00	7,80,38,988.00	7,22,54,053.00
3	संग्रह भण्डार एवं उपकरण	97,27,109.25	1,41,02,104.00	1.00	2,38,29,212.25	55,01,348.98	21,10,700.52	-	76,12,048.51	1,62,17,162.74	42,25,760.26
4	वाहन एवं मोटर कार	1,92,50,310.04	8,48,183.00	1.76	2,00,98,491.28	1,14,97,231.72	17,56,562.39	1.76	1,32,53,792.35	68,44,698.93	77,53,078.32
5	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	36,56,37,136.44	9,61,15,807.25	84,150.00	46,16,68,793.69	10,60,21,930.70	3,34,96,613.34	51,413.47	13,94,67,130.58	32,22,01,663.11	25,96,15,205.74
6	कार्यालय उपकरण	18,61,52,621.58	2,95,60,868.89	14,49,691.00	19,42,65,799.47	7,06,23,575.53	2,14,88,398.79	14,49,691.00	9,06,62,283.32	10,36,03,516.15	9,55,29,046.05
7	कंप्यूटर/पैरेरेस	1,22,28,11,963.62	34,25,59,965.73	1,05,49,239.00	1,55,49,22,690.35	93,03,68,430.11	18,79,47,017.24	1,05,49,010.09	1,10,77,84,437.25	44,71,38,253.10	29,25,25,533.51
8	इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रुमेंट	6,91,57,390.33	14,80,803.00	444.00	7,06,37,749.33	2,08,17,912.38	57,53,687.75	42.18	2,65,71,557.95	4,40,66,191.38	4,83,39,477.95
9	पुस्तकालय की पुस्तकें	55,93,827.00	14,32,084.00	14,733.00	70,11,178.00	4,53,964.03	14,35,036.25	23,417.80	18,65,582.47	51,45,595.53	51,39,862.97
10	ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति	26,55,014.00	6,37,175.00	-	32,92,189.00	16,41,413.31	6,57,522.05	-	22,98,935.36	9,93,253.64	10,13,600.69
11	अन्य अवसर्ग परिसंपत्तियां	2,68,91,491.13	21,12,105.00	82,855.00	3,09,20,741.13	57,49,651.19	2,72,413.22	1,38,346.00	58,82,718.41	2,50,38,022.72	2,31,42,839.94
कुल		7,83,78,37,786.80	68,52,46,178.87	1,99,25,298.87	8,50,31,58,668.80	2,25,48,79,418.87	35,61,55,132.76	1,75,33,198.65	2,59,35,01,352.98	5,90,96,57,315.82	5,89,29,88,367.93
मूल्यहास										चालू वर्ष के अंत में (ए-बी)	पिछले वर्ष के अंत में
क्र.सं.	अंचल परिसंपत्तियां	वर्ष के आरंभ में सांगतमूल्यंकन	वर्ष के दौरान अवसर्ग परिसंपत्तियों में वृद्धि	वर्ष के दौरान अवसर्ग परिसंपत्तियों में कटौती	वर्ष के अंत में सांगतमूल्यंकन (ए)	वर्ष के आरंभ में संवित मूल्यहास	चालू वर्ष के लिए मूल्यहास	वर्ष के अंत में संवित मूल्यहास	चालू वर्ष के अंत में संवित मूल्यहास (बी)	चालू वर्ष के अंत में (ए-बी)	पिछले वर्ष के अंत में
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	15,19,31,396.50	31,94,326.50	91,946.00	15,50,33,777.00	39,49,551.52	5,97,37,121.18	91,946.00	6,35,94,726.70	9,14,39,050.30	14,79,81,844.98
2		-	24,986.00	-	-	-	-	-	-	24,986.00	0.00
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
कुल		15,19,31,396.50	32,19,312.50	91,946.00	15,50,58,763.00	39,49,551.52	5,97,37,121.18	91,946.00	6,35,94,726.70	9,14,64,036.30	14,79,81,844.98
कुल योग		7,98,97,69,183.30	68,84,68,491.37	2,00,17,242.87	8,65,82,17,431.80	2,25,88,28,970.39	41,58,92,253.94	1,76,25,144.65	2,65,70,96,079.68	6,00,11,21,352.12	6,73,09,40,212.91

नोट:- 01-04-2017 से पहले की अमूर्त संपत्ति, यदि कोई हुई संपत्ति में शामिल है

क्र.सं.	निवेश का कार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	वर्ष के दौरान पुनर्गृहीत राशि	वर्ष के दौरान पुनर्गृहीत राशि	वर्ष के दौरान पुनर्गृहीत राशि	वर्ष के दौरान पुनर्गृहीत राशि	वर्ष के दौरान पुनर्गृहीत राशि	चालू मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत मूल्य							परिशोधित लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार को प्रतिभूतियां-सी.टी.डी.	19,87,87,48,04,500.00	19,76,16,17,18,151.14	4,94,43,88,909.00	4,94,43,88,909.00	41,33,62,32,800.00	-1,89,47,45,599.24	24,32,65,97,49,859.38	24,71,89,80,91,700.00		
2(a)	सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायाधीश	19,91,04,57,74,946.00	19,90,67,49,76,880.51	3,21,85,70,00,000.00	3,21,85,70,00,000.00	81,73,81,44,707.00*	-11,81,47,384.33	22,31,36,56,27,239.00	22,31,36,56,27,239.00		
2(b)	सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायाधीश	29,21,42,89,361.48	29,21,42,89,361.48	-	-	3,29,36,76,184.46	-	25,92,06,14,177.02	25,92,06,14,177.02		
3	निजी प्रतिभूतियां	5,61,45,70,09,494.00	5,61,47,54,78,544.87	2,25,90,00,00,000.00	2,25,90,00,00,000.00	36,02,05,94,000.00	50,40,694.31	7,51,34,98,43,850.36	7,51,33,64,15,494.00		
4	सोसाइटी/इंटर मायिन धन राशि	4,37,00,000.00	4,37,00,000.00	21,05,00,00,000.00	21,05,00,00,000.00	-	-	25,42,00,000.00	25,42,00,000.00		
5	राज्य सरकार को प्रतिभूतियां-सी.टी.डी.	46,99,62,69,88,600.00	47,04,78,52,25,235.46	10,68,85,00,54,898.00	10,68,85,00,54,898.00	1,35,88,09,81,700.00	1,34,46,52,099.31	56,40,80,44,16,432.16	56,41,21,55,94,900.00		
6	राज्य सरकार को प्रतिभूतियां-सी.टी.डी.	1,07,40,56,69,789.00	1,07,53,01,42,132.87	45,00,00,00,000.00	45,00,00,00,000.00	9,82,08,00,000.00	3,94,14,541.30	1,42,96,68,18,903.67	1,42,88,15,61,101.00		
7	विशेष बचत योजना-एस.डी.एस.	5,32,83,34,51,602.10	5,32,83,34,51,602.10	-	-	6,34,90,74,482.88	-	5,39,18,25,26,084.98	5,39,18,25,26,084.98		
8	लोक लेखा	10,17,12,43,86,608.12	10,17,12,43,86,608.12	3,88,22,00,60,028.45	3,88,22,00,60,028.45	1,56,92,43,10,101.80	-	12,28,42,01,36,534.77	12,28,42,01,36,534.77		
9	ई.टी.एफ.	82,95,04,43,174.87	82,95,04,43,174.87	53,76,00,00,000.00	53,76,00,00,000.00	72,51,69,11,465.93	-	10,43,35,31,688.94	10,43,35,31,688.94		
10	एफ.डी.आर.	53,76,00,00,000.00	53,76,00,00,000.00	47,84,84,00,000.00	47,84,84,00,000.00	53,76,00,00,000.00	-	47,84,84,00,000.00	47,84,84,00,000.00		
11	समाधान के अंतर्गत राशि	1,10,53,29,66,13,075.60	1,10,53,29,66,13,075.60	25,72,31,90,03,933.45	25,72,31,90,03,933.45	14,04,97,30,339.06	-	1,30,50,94,70,17,089.00	1,30,50,94,70,17,089.00		
12	जोड़	47,89,93,72,90,205.27	47,89,93,72,90,205.27	67,63,99,00,66,657.23	67,63,99,00,66,657.23	3,69,46,28,06,027.55	22,99,59,402.91	77,03,08,95,145.84	77,18,02,86,18,949.83		

* रु. 31.03.2023 को होल्डिंग के सभी ओकेडों को पत्र करने के लिए परिपक्वता से 11 रु. घटाए गए हैं, जारिकी एनएपीसी ने अधिक मात्रा के भुगतान के समय 11 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया है, जिसे परिपक्वता के बजाय विविध तिथि में भिना जाना, इस कारण से तिथि 11 रुपये की कमी की गई है (तिथि कोड: 783711)

अनुसूची सं. 20

कर्मचारी पेंशन निधि-निवेश

क्र.सं.	निवेश का कार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	वर्ष के दौरान पुनर्गृहीत राशि	वर्ष के दौरान पुनर्गृहीत राशि	वर्ष के दौरान पुनर्गृहीत राशि	वर्ष के दौरान पुनर्गृहीत राशि	वर्ष के दौरान पुनर्गृहीत राशि	चालू मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत मूल्य							परिशोधित लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार को प्रतिभूतियां-सी.टी.डी.	9,80,11,71,92,700.00	9,76,44,90,41,177.48	2,71,40,84,98,851.00	2,71,40,84,98,851.00	19,95,60,10,000.00	(76,28,32,149.47)	12,28,66,43,62,277.94	12,43,84,82,32,700.00		
2(a)	सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायाधीश	8,55,07,45,36,500.00	8,55,00,25,11,927.29	1,55,61,88,00,000.00	1,55,61,88,00,000.00	28,10,69,08,567.00*	(3,09,26,744.31)	9,84,54,31,32,104.89	9,84,71,56,29,933.00		
2(b)	सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायाधीश	10,84,57,05,064.86	10,84,57,05,064.86	1,45,06,70,416.81	1,45,06,70,416.81	-	-	12,29,63,75,481.67	12,29,63,75,481.67		
3	निजी प्रतिभूतियां	2,51,15,42,30,600.00	2,51,15,42,30,600.00	94,65,00,00,000.00	94,65,00,00,000.00	15,98,36,17,800.00	22,49,703.07	3,28,84,36,86,918.43	3,28,84,36,86,918.43		
4	सोसाइटी/इंटर मायिन धन राशि	1,15,00,000.00	1,15,00,000.00	4,00,00,00,000.00	4,00,00,00,000.00	-	-	5,15,00,000.00	5,15,00,000.00		
5	राज्य सरकार को प्रतिभूतियां-सी.टी.डी.	20,66,43,12,15,400.00	20,66,43,12,15,400.00	3,81,67,46,47,403.00	3,81,67,46,47,403.00	68,16,39,77,300.00	55,64,84,166.45	23,81,00,17,14,587.45	23,80,85,18,58,100.00		
6	राज्य सरकार को प्रतिभूतियां-सी.टी.डी.	50,20,10,00,000.00	50,21,07,99,461.94	-	-	1,10,70,00,000.00	60,85,621.35	49,09,77,13,840.59	49,09,40,00,000.00		
7	विशेष बचत योजना-एस.डी.एस.	14,00,52,28,022.64	14,00,52,28,022.64	-	-	-	-	14,00,52,28,022.64	14,00,52,28,022.64		
8	लोक लेखा	5,29,99,45,76,500.25	5,29,99,45,76,500.25	2,38,41,72,00,000.00	2,38,41,72,00,000.00	2,05,21,48,00,000.00	-	20,09,35,34,36,012.86	20,09,35,34,36,012.86		
9	ई.टी.एफ.	19,64,36,03,417.52	19,64,36,03,417.52	1,52,07,74,56,342.44	1,52,07,74,56,342.44	17,48,04,94,360.55	-	6,81,07,20,36,842.68	6,81,07,20,36,842.68		
10	एफ.डी.आर.	13,47,00,00,000.00	13,47,00,00,000.00	11,98,93,00,000.00	11,98,93,00,000.00	-	-	2,16,31,09,056.97	2,16,31,09,056.97		
11	जोड़	47,89,93,72,90,205.27	47,89,93,72,90,205.27	13,07,32,33,75,113.25	13,07,32,33,75,113.25	3,69,46,28,06,027.55	22,99,59,402.91	77,03,08,95,145.84	77,18,02,86,18,949.83		

* रु. 31.03.2023 को होल्डिंग के सभी ओकेडों को पत्र करने के लिए परिपक्वता से 4 रु. घटाए गए हैं, जारिकी एनएपीसी ने अधिक मात्रा के भुगतान के समय 4 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया है, जिसे परिपक्वता के बजाय विविध तिथि में भिना जाना चाहिए, इस कारण से तिथि 4 रुपये की कमी की गई है (तिथि कोड: 783711)

अनुसूची सं. 22

कर्मचारी निधिप सहबद्ध बीमा योजना-निवेश

क्र.सं.	निवेश का कार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	वर्ष के दौरान पुनर्गृहीत राशि	वर्ष के दौरान पुनर्गृहीत राशि	वर्ष के दौरान पुनर्गृहीत राशि	वर्ष के दौरान पुनर्गृहीत राशि	वर्ष के दौरान पुनर्गृहीत राशि	चालू मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत मूल्य							परिशोधित लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार को प्रतिभूतियां-सी.टी.डी.	36,09,47,97,000.00	36,02,17,21,342.16	7,69,80,75,000.00	7,69,80,75,000.00	1,33,78,00,000.00	(4,01,55,007.27)	44,42,21,52,349.43	44,85,69,97,000.00		
2(a)	सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायाधीश	49,23,88,00,000.00	49,23,16,70,710.11	6,69,40,00,000.00	6,69,40,00,000.00	1,41,81,70,000.00	(9,24,421.35)	54,51,04,25,131.46	54,51,69,30,000.00		
2(b)	सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायाधीश	42,08,40,426.53	42,08,40,426.53	68,21,56,731.47	68,21,56,731.47	-	-	1,08,29,99,158.00	1,08,29,99,158.00		
3	निजी प्रतिभूतियां	9,88,85,34,550.00	9,89,32,68,109.07	2,75,00,00,000.00	2,75,00,00,000.00	1,03,26,39,900.00	12,18,281.36	11,60,94,09,927.71	11,60,56,94,650.00		
4	राज्य सरकार को प्रतिभूतियां-सी.टी.डी.	1,15,41,55,35,000.00	1,15,41,55,35,000.00	12,14,06,50,000.00	12,14,06,50,000.00	3,91,43,83,000.00	3,91,43,83,000.00	1,23,63,32,02,000.00	1,23,63,32,02,000.00		
5	राज्य सरकार को प्रतिभूतियां-सी.टी.डी.	2,30,50,00,000.00	2,31,01,96,484.92	-	-	-	-	2,30,88,95,906.82	2,30,50,00,000.00		
6	विशेष बचत योजना-एस.डी.एस.	2,49,76,309.05	2,49,76,309.05	-	-	-	-	2,49,76,309.05	2,49,76,309.05		
7	लोक लेखा	1,30,85,09,30,388.14	1,30,85,09,30,388.14	11,12,23,00,000.00	11,12,23,00,000.00	-	-	1,41,97,32,30,388.14	1,41,97,32,30,388.14		
8	ई.टी.एफ.	25,50,16,99,868.44	25,50,16,99,868.44	5,08,58,33,001.55	5,08,58,33,001.55	-	-	30,58,73,32,868.29	30,58,73,32,868.29		
9	एफ.डी.आर.	44,59,95,672.98	44,59,95,672.98	-	-	-	-	4,17,74,552.03	4,17,74,552.03		
10	जोड़	1,57,91,14,767.00	1,57,91,14,767.00	1,31,58,00,000.00	1,31,58,00,000.00	1,57,90,00,000.00	40,42,21,120.85	1,31,58,14,767.00	1,31,58,14,767.00		
11	जोड़	2,42,91,52,93,592.01	2,42,91,52,93,592.01	47,46,86,16,733.02	47,46,86,16,733.02	9,69,42,14,020.95	(26,27,634.54)	4,11,67,86,12,071.98	4,11,67,86,12,071.98		

निवेश अनुसूचियाँ

अनुसूची सं. 26

क. भ. नि. स्टाफ भविष्य निधि-निवेश

क्र.सं.	निवेश का कार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी तिथियाँ का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	बाकू मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत मूल्य				परिशोधित लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूति-सी.टी.डी.	4,68,83,01,000.00	4,66,12,71,400.21	28,55,55,000.00	28,64,80,000.00	(48,30,478.24)	4,66,52,76,876.45	4,70,28,21,000.00
2(i)	सांख्यिक क्षेत्र के उपक्रम-को.एस.यू.	4,39,37,71,000.00	4,39,10,78,521.86	87,00,00,000.00	15,01,00,000.00	-476741.02	4,91,14,56,262.90	4,91,38,71,000.00
2(ii)	सांख्यिक क्षेत्र के उपक्रम-म.एस.यू.	3,66,86,089.44	3,66,86,089.44	-	28,04,831.10	-	3,37,81,258.34	3,37,81,258.34
3	निजी प्रतिभूति	91,30,35,000.00	91,30,03,377.82	15,00,00,000.00	7,68,15,000.00	5,248.87	98,61,83,128.65	98,62,20,000.00
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	9,52,90,30,000.00	9,54,41,87,974.98	1,45,64,40,000.00	40,87,10,000.00	32,25,395.22	10,58,76,92,579.76	10,57,42,10,000.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूति-एस.टी.डी.	18,00,00,000.00	18,05,36,083.73	-	-	1,24,559.48	18,04,11,524.25	18,00,00,000.00
6	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस.	83,33,20,534.92	83,33,20,534.92	-	-	-	83,33,20,534.92	83,33,20,534.92
7	लोक सेवा	1,21,28,87,891.06	1,21,28,87,891.06	12,76,71,181.85	-	-	1,34,05,59,072.91	1,34,05,59,072.91
8	ई.टी.एफ.	1,46,54,092.12	1,48,54,092.12	-	1,17,58,167.70	-	28,96,924.42	28,96,924.42
9	एल.एम.एफ.	21,78,26,85,607.54	21,76,76,25,965.96	2,68,86,66,181.85	83,67,67,998.80	(20,52,013.59)	23,52,15,76,182.60	23,54,74,78,790.59
	जोड़							

अनुसूची सं. 27

क. भ. नि. स्टाफ पेंशन सह ग्रै. टि. निधि-निवेश

क्र.सं.	निवेश का कार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी तिथियाँ का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	बाकू मूल्य	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत मूल्य				परिशोधित लागत मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूति-सी.टी.डी.	15,98,29,54,200.00	15,87,35,72,347.60	8,11,13,45,000.00	1,07,42,50,000.00	(2,29,81,125.92)	22,83,36,48,473.52	23,48,87,04,200.00
2(i)	सांख्यिक क्षेत्र के उपक्रम-म.एस.यू.	31,76,37,58,000.00	31,74,70,37,842.97	7,00,00,00,000.00	39,17,50,000.00	(35,96,115.74)	38,36,88,82,958.71	38,37,20,08,000.00
2(ii)	सांख्यिक क्षेत्र के उपक्रम-को.एस.यू.	19,35,28,618.95	19,35,28,618.96	-	2,52,19,994.54	-	16,83,08,624.42	16,93,08,824.41
3	निजी प्रतिभूति	5,12,66,50,000.00	5,13,01,81,382.81	2,75,00,00,000.00	7,32,50,000.00	7,95,351.30	7,80,61,36,031.51	7,80,34,00,000.00
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	74,45,81,40,000.00	74,62,33,54,515.81	12,84,44,50,000.00	1,08,49,70,000.00	3,02,48,152.44	86,35,25,88,363.37	86,21,14,20,000.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूति-एस.टी.डी.	57,80,00,000.00	58,09,43,517.18	-	-	4,48,958.23	58,04,94,590.95	57,90,00,000.00
6	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस.	91,79,27,326.87	91,79,27,326.87	-	-	-	91,79,27,326.87	91,79,27,326.87
7	लोक सेवा	20,16,10,09,305.05	20,16,10,09,304.91	-	-	-	25,46,28,32,370.74	25,46,28,32,370.88
8	ई.टी.एफ.	38,69,49,789.04	38,69,49,789.04	5,30,18,23,065.83	26,37,55,982.08	-	12,31,93,806.96	12,31,93,806.96
9	एल.एम.एफ.	1,49,54,99,15,239.91	1,49,61,45,02,646.15	36,00,76,18,065.83	2,91,31,95,976.62	48,16,218.31	1,82,70,49,08,517.05	1,83,12,67,92,329.12
	जोड़							

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995							
वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त तथा अदायगी लेखा							
(अंशदान लेखा)							
पिछला वर्ष (2021-22)	क्र.सं.	प्रतिभूतियां	चालू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)	क्र.सं.	अदायगियां	चालू वर्ष (2022-23)
58,04,92,90,40,378.44	1.	आदि शेष	66,46,91,48,94,530.57		1.	सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को दी गयी राशि:	
4,97,19,97,84,351.98	2.	(i) नियोक्ताओं का अंशदान	5,61,70,84,28,799.22	0.00		(क) कर्मचारियों के भाग की ब्याज सहित राशि	0.00
78,06,19,66,087.41		(ii) सरकार का अंशदान (बकाया सहित)	77,85,00,00,000.00	84,92,91,94,829.04		(ख) प्रत्याहरण/सेवानिवृत्ति लाभ	76,88,66,58,963.34
1,71,44,79,00,000.00	3.	भारत सरकार के सार्वजनिक खाते में शेष राशि पर ब्याज	1,60,56,72,00,000.00	3,363.00		(ग) जीवन बीमा लाभ	0.00
12,62,613.14	4.	बचत बैंक खातों पर ब्याज	4,43,952.23	1,28,11,67,96,402.69		(घ) पेंशन	1,44,24,15,83,408.35
3,09,32,99,69,939.94	5.	प्रतिभूतियां पर प्राप्त ब्याज	3,46,07,08,43,001.55	1,21,13,87,404.35	2.	पेंशन के संवितरण के लिए कमीशन	1,46,07,01,620.24
2,61,42,92,067.69	6.	शास्तिक नुकसानी	4,17,98,00,431.12			के रूप में भुगतान की गई राशि	
	7.	अन्य प्राप्तिः		0.00	3.	पेंशन निधि में दी गई राशि प्रशासकीय व्यय	0.00
1,09,28,46,948.03		(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10	1,46,22,52,153.53	0.00	4.	छूट देने पर अंतरित की गई प्रतिभूतियों की राशि	0.00
0.00		(ख) केंद्रीय अंशदान लेखा सं. 11	4.00	3,35,19,81,796.59	5.	प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज के रूप में अदा की गई राशि	4,77,55,05,083.76
					6.	अन्य भुगतानः	
				23,24,403.00		(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10	1,59,47,808.96
				15,04,79,657.39		(ख) केंद्रीय अंशदान लेखा सं. 11	21,89,55,340.02
				66,46,91,48,94,530.57	7.	अंत शेष	75,71,15,45,10,647.55
68,64,67,70,62,386.63		जोड़	77,98,75,38,62,872.22	68,64,67,70,62,386.63		जोड़	77,98,75,38,62,872.22

*1000.00 रुपये की न्यूनतम पेंशन की प्रतिपूर्ति के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त 10,00,00,00,000.00 रुपये की राशि सहित

हस्ता / -
(टी.एल. यादव)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता / -
(नीलम शर्मा राव)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी नि 'प' सह ध िमा योजना, 1976							
वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त तथा अदायगी लेखा							
(अंशदान लेखा)							
पिछला वर्ष (2021-22)	क्र.सं.	प्रस्तियां	चाहू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)	क्र.सं.	अदायगियां	चाहू वर्ष (2022-23)
3,42,14,90,74,449.90	1.	आदि शेष	3,74,33,22,30,375.23	20,25,32,21,698.68	1.	बीमा लाभ	21,33,91,38,648.08
25,68,46,56,001.76	2.	नियोक्ताओं का अंशदान	30,30,84,97,211.12	0.00	2.	छुट प्रदान करने पर नियोक्ताओं को वापस की गई राशि	0.00
10,25,69,00,000.00	3.	भारत सरकार के लोक लेखा में निवेश पर ब्याज	11,12,23,00,000.00	4,99,59,955.46	3.	प्रतिभृतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज के रूप में अदा की गई राशि	14,42,21,750.00
16,24,12,77,659.62	4.	प्रतिभृतियों में निवेश पर ब्याज	17,25,73,68,658.38		4.	अन्य अदायगियां	
98,036.95	5.	बचत बैंक खातों पर ब्याज	4,817.69	1,03,414.00		लेखा सं या 21	60,581.20
15,68,45,717.13	6.	शास्तिक नुकसानी एवं धारा 7 क्यू के अंतर्गत ब्याज	25,53,66,073.65	1,69,23,775.02		लेखा सं या 25	2,41,20,978.03
	7.	अन्य प्रस्तियां :-		3,74,33,22,30,375.23	5.	अंत शेष	4,12,01,31,48,781.95
16,35,17,715.00		लेखा सं या 21	24,49,23,603.19				
69,638.03		लेखा सं या 25	0.00				
3,94,65,24,39,218.39		जोड़	4,33,52,06,90,739.26	3,94,65,24,39,218.39		जोड़	4,33,52,06,90,739.26

हस्ता /-
(टी.एल. यादेन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता /-
(नीलम शमी राव)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी नि 'प सह ध 'मा योजना, 1976							
वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्ति तथा अदायगी लेखा							
(प्रशासनिक लेखा)							
पिछला वर्ष (2021-22)	क्र.सं.	प्रप्तियां	चाहू वर्ष (2022-23)	पिछला वर्ष (2021-22)	क्र.सं.	अदायगियां	चाहू वर्ष (2022-23)
35,96,89,64,038.08	1.	आदि शेष	38,36,10,90,620.29	43,91,02,592.15	1	कर्मचिसं पर 1% अनुपातिक व्यय	52,90,77,061.48
25,51,06,842.25	2.	नियोक्ताओं से प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	20,25,33,543.04		2	अन्य प्राप्तियां:	
6,64,42,814.09	3	प्राप्त निरीक्षण प्रभार	5,51,77,253.00	62,213.00		लेखा सं या 22	5,40,730.00
2,23,66,072.27	4	शास्तिक नुकसानी एवं 7 क्यू	2,36,90,255.58	0.00		लेखा सं या 24	0.00
2,48,73,73,722.60	5	हस्तियों पर प्राप्त ब्याज	2,66,39,77,256.91	38,36,10,90,620.29	3	अंत शेष	40,77,71,43,268.79
1,723.75	6	बचत बैंक खाते पर ब्याज	5,208.23				
	7.	अन्य प्राप्तियां:					
212.40		लेखा सं या 22	2,86,923.22				
0.00		लेखा सं या 24	0.00				
38,80,02,55,425.44		जोड़	41,30,67,61,060.27	38,80,02,55,425.44		जोड़	41,30,67,61,060.27

हस्ता /-
(टी.एल. यादेन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता /-
(नीलम शर्मा राव)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूची जो 2022-23 की अवधि के लिए खातों

का भाग होगी

अनुसूची 44 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

अनुसूची 45 : आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

अनुसूची जो 2022-23 की अवधि के लिए लेखों का भाग होगी

अनुसूची 44 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन पद्धति

भारत सरकार द्वारा लागू अनिवार्य लेखा मानकों तथा निर्धारित लेखों के सामान्य प्रारूप की संबंधित प्रस्तुतिकरण आवश्यकताओं के अनुरूप परंपरागत लागत पद्धति के अंतर्गत एक्रुअल आधार पर, अगर कुछ और न कहा गया हो, वित्तीय विवरणियों को तैयार किया जाता है।

2. निवेश

(क) भारत सरकार को ईटीएफ निवेश की लेखांकन नीति का प्रस्ताव दिया गया है तथा यह क.भ.नि.एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत योजनाओं में प्रस्तावित संशोधन की अधिसूचना के बाद लागू होगा। वर्तमान में, ईटीएफ निवेश 'लागत मूल्य' पर दिखाया जा रहा है।

(ख) केंद्रीय बोर्ड द्वारा 27.01.2007 को आयोजित अपनी 178 वीं बैठक में अनुमोदित निवेश के लिए संशोधित लेखांकन नीति के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को परिशोधन मूल्य पर आंका गया है।

3. अचल परिसंपत्तियां:

3.1 वर्ष 2015-16 तक भूमि एवं भवन एक साथ दर्शाए जाते थे, हालांकि 2015-2016 से नए फार्मेट में भूमि को अलग दिखाया गया। भूमि को लीज़होल्ड भूमि एवं फ्री होल्ड भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.2 सभी मदों पर 5,000/- रु. से अधिक व्यय तथा जो एक वर्ष से अधिक के लिए प्रयोग में लाया जाता है, को पूंजीगत व्यय के रूप में देखा जाता है तथा ऐसी परिसंपत्ति पर मूल्यहास को वर्ष के दौरान किया गया खर्च माना जाएगा।

3.3 अचल परिसंपत्तियों को परंपरागत लागत पर दर्शाया जाता है।

3.4 भूमि तथा भवन के अतिरिक्त सभी अचल परिसंपत्तियां जिनका 01.04.2015 (लेखांकन के रोकड़ आधार से एक्रुअल आधार पर स्विच करने की तिथि) से पहले अधिग्रहण किया गया, का मूल्यांकन रूपए 1/- प्रति मद के सांकेतिक मूल्य पर किया जाता है।

स्पष्टीकरण :

वित्तीय वर्ष 2015-16 तक, केवल भूमि एवं भवन को अचल परिसंपत्ति माना जाता था, किंतु नई प्रणाली में अचल परिसंपत्तियों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली सभी मदों को अचल परिसंपत्ति के रूप में लिया जाता है तथा तदनुसार मूल्यहास लगाया जाता है। 01.04.2015 से पहले, खरीदी गई तथा संबंधित वर्ष में व्यय के रूप में बुक की गई सभी परिसंपत्तियों (भूमि एवं भवन को छोड़कर) का मूल्यांकन रूपए 1/- प्रति परिसंपत्ति पर किया गया और प्रारंभिक परिसंपत्ति के रूप में लेखांकन किया गया। यह, भारत सरकार के समर्थन से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा गठित सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएसबी), जो संघ और राज्य सरकार के संगठनों में एकुल आधारित लेखांकन की ओर अंतरण पर कार्य कर रहा है, द्वारा जारी भारत सरकार के वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई.जी.एफ.आर.एस.) के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है।

4. मूल्यहास

- 4.1 अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास सीधी कटौती प्रणाली पर कंपनी अधिनियम, 2013 (संशोधित) में निर्दिष्ट दरों से किया गया है।
- 4.2 वर्ष के दौरान, जिसे 180 दिन अथवा अधिक के लिए उपयोग की गई अचल परिसंपत्तियों पर पूरी दर से और 180 दिन से कम के लिए उपयोग की गई आधी दर से अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास किया गया।
- 4.3 लीज़ होल्ड भवनों जैसे जिन भवनों का सरकारी एजेंसियों से अधिग्रहण किया गया या लीज़ के निर्धारित वर्षों के लिए किए गए एकमुश्त भुगतान, पर लीज़ अवधि के संदर्भ में सीधी कटौती प्रणाली पर मूल्यहास किया गया।
- 4.4 लीज़ होल्ड भूमि पर अदा की गई एकमुश्त लीज़ राशि का लीज़ अवधि के दौरान प्रतिवर्ष आनुपातिक रूप से परिशोधन किया जाता है।
- 4.5 फ्री होल्ड भवन पर पहले अधिग्रहण की तिथि से 01.04.2015 तक मूल्यहास लगाया गया। उसके बाद मूल्यहास चार्ट (मानचित्र) के अनुसार मूल्यहास की सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

(संदर्भ-लेखा मानक-6 एवं 10)

स्पष्टीकरण: मूल्यहास की गणना करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग "सी" के अनुसार मूल्यहास दर चार्ट का अनुसरण किया जा रहा है।

5. सरकारी अनुदान /सब्सिडी

कर्मचारी पेंशन योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लिए देय सरकारी अनुदान अंशदान का एकुअल आधार पर लेखांकन किया जाता है।

6. कर्मचारी देय:

6.1 मार्च माह के लिए कर्मचारियों को देय वेतन को, भुगतान की वास्तविक तिथि पर ध्यान दिए बगैर एकुअल आधार पर उसी वित्तीय वर्ष का व्यय माना जाए।

6.2 कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज को ब्याज की वसूली अवधि पर ध्यान दिए बगैर वसूली की अवधि में समान रूप से वितरित किया जाएगा।

7. लीज़

7.1 लीज़ शर्तों के संदर्भ में लीज़ का व्यय किया जाता है।

7.2 किराए के भवनों के लिए वर्ष के अंत में देय किराए का एकुअल आधार पर लेखांकन किया जाएगा तथा इस संबंध में व्यवस्था की जाएगी।

8. ब्याज से आय

8.1 वर्ष से संबंधित निवेश पर ब्याज से आय को उस वर्ष की आय माना जाएगा।

8.2 चूंकि वास्तविक राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसे "ब्याज संचित परंतु अप्राप्त" लेखा शीर्ष के अंतर्गत आनुपातिक रूप में दर्शाया जाएगा।

8.3 निवेश पर उपार्जित एवं देय पर अप्राप्त ब्याज का 2015-16 से एकुअल आधार पर लेखांकन किया जाएगा ।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 क.भ.नि.सं. पेंशन-सह-ग्रेच्युटि के लिए पृथक निधि का रखरखाव करता है। क.भ.नि.सं. की इस मद से संबंधित मदों का बीमांकक आधार पर वर्ष के अंत में लेखांकन किया जाता है। बीमांकक मूल्यांकन के चलते निधि में जोड़ अथवा घटाव का क.भ.नि.सं. की आय अथवा व्यय, जैसा भी मामला हो, के रूप में लेखांकन किया जाता है। लेखांकन मानक-15 के उपबंधों के अनुसार, कर्मचारियों के लाभों का बीमांकक मूल्यांकन एवं उपबंधों के अनुसार लेखांकन किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति लाभ लागत का उसी अवधि के लिए लेखांकन किया जाना चाहिए जिसमें सेवा की गई है।

9.2 वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अवकाश नकदीकरण को उस वर्ष का राजस्व व्यय माना जाना चाहिए।

10. राजस्व मान्यता

नियोक्ताओं को जारी मांग/ वसूली नोटिस के माध्यम से किसी वसूली के मामले में, राजस्व को रोकड़ आधार पर लिया जाता है। क.भ.नि. एवं प्र.उ. अधिनियम 1952 की धारा 7ए के अंतर्गत निर्धारण, धारा 14बी के अंतर्गत लगाई गई नुकसानी तथा 7क्यू के अंतर्गत लगाए गए ब्याज से संबंधित अन्य प्रकटीकरण, लेखों में नोट पर किया गया है।

11. भवन निर्माण के लिए ठेकेदारों / एजेंसियों को अग्रिम

निर्माण कार्य के लिए दिए गए अग्रिम को चालू परिसंपत्ति माना जाएगा और शुरुआत में "ठेकेदारों / एजेंसियों को अग्रिम" के रूप में दर्शाया जाएगा। वर्ष के अंत में नपाई के आधार पर, किए गए परंतु अंतिम रूप से पूरे नहीं किए गए काम के अनुसार राशि को "पूँजीगत कार्य प्रगति पर" शीर्ष में हस्तांतरित किया जाएगा।

12. किसी भी शीर्ष को जोड़ना/हटाना

नीतिगत निर्णय या सांविधिक अपेक्षा के कारण कोई अनिवार्यता होने की स्थिति में, यदि नए लेखा शीर्ष को जोड़ने/हटाने की आवश्यकता होती है तो उसे सक्षम प्राधिकारी जो वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, कभनिस होंगे, के प्राधिकार से किया जाएगा।

अनुसूची 45 : आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट :

1. आकस्मिक देयताएं

क्र.सं.	आकस्मिक देयताएं	चालू वर्ष (रु)	पिछले वर्ष (रु)
1	वे वस्तुएं जिन्हें ऋण नहीं माना गया, के संबंध में किए गए दावे		
(क)	वस्तु एवं सेवा कर (पूर्व में सेवा कर)	13,08,04,05,797.00	13,08,04,05,797.00

31-03-2023 को माल और सेवा कर (पूर्व में सेवा कर) के मामलों की स्थिति:

क्रम सं	कवर की गई अवधि	एसटी मांग एवं प्रकृति	स्थिति
1	2009-10	1,74,75,51,733.00	माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, (प्रधान पीठ-न्यायालय संख्या-1) ने सभी वर्षों यानी 2009-10 से 2013-14 तक के लिए ईपीएफओ के पक्ष में दिनांक 08-05-2023 को अंतिम आदेश संख्या 50644/2023 जारी किया है।
2	2010-11	2,16,32,29,135.00	
3	2011-12	2,73,05,43,957.00	
4	2012-13	3,41,89,46,448.00	
5	2013-14	3,02,01,34,524.00	
		13,08,04,05,797.00	

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में पूंजी खाते पर कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष तथा उपलब्ध नहीं कराए गए अनुबंधों का अनुमानित मूल्य 25,731.14 लाख रुपये है। पिछले वर्ष के अंत में यह 26,316.11 लाख रुपये था ।

9.2 वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अवकाश नकदीकरण को उस वर्ष का राजस्व व्यय माना जाना चाहिए।

10. राजस्व मान्यता

नियोक्ताओं को जारी मांग/ वसूली नोटिस के माध्यम से किसी वसूली के मामले में, राजस्व को रोकड़ आधार पर लिया जाता है। क.भ.नि. एवं प्र.उ. अधिनियम 1952 की धारा 7ए के अंतर्गत निर्धारण, धारा 14बी के अंतर्गत लगाई गई नुकसानी तथा 7क्यू के अंतर्गत लगाए गए ब्याज से संबंधित अन्य प्रकटीकरण, लेखों में नोट पर किया गया है।

11. भवन निर्माण के लिए ठेकेदारों / एजेंसियों को अग्रिम

निर्माण कार्य के लिए दिए गए अग्रिम को चालू परिसंपत्ति माना जाएगा और शुरुआत में "ठेकेदारों / एजेंसियों को अग्रिम" के रूप में दर्शाया जाएगा। वर्ष के अंत में नपाई के आधार पर, किए गए परंतु अंतिम रूप से पूरे नहीं किए गए काम के अनुसार राशि को "पूँजीगत कार्य प्रगति पर" शीर्ष में हस्तांतरित किया जाएगा।

12. किसी भी शीर्ष को जोड़ना/हटाना

नीतिगत निर्णय या सांविधिक अपेक्षा के कारण कोई अनिवार्यता होने की स्थिति में, यदि नए लेखा शीर्ष को जोड़ने/हटाने की आवश्यकता होती है तो उसे सक्षम प्राधिकारी जो वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, कभनिसं होंगे, के प्राधिकार से किया जाएगा।

अनुसूची 45 : आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट :

1. आकस्मिक देयताएं

क्र.सं.	आकस्मिक देयताएं	चालू वर्ष (रु)	पिछले वर्ष (रु)
1	वे वस्तुएं जिन्हें ऋण नहीं माना गया, के संबंध में किए गए दावे		
(क)	वस्तु एवं सेवा कर (पूर्व में सेवा कर)	13,08,04,05,797.00	13,08,04,05,797.00

31-03-2023 को माल और सेवा कर (पूर्व में सेवा कर) के मामलों की स्थिति:

क्रम सं	कवर की गई अवधि	एसटी मांग एवं प्रकृति	स्थिति
1	2009-10	1,74,75,51,733.00	माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, (प्रधान पीठ-न्यायालय संख्या-1) ने सभी वर्षों यानी 2009-10 से 2013-14 तक के लिए ईपीएफओ के पक्ष में दिनांक 08-05-2023 को अंतिम आदेश संख्या 50644/2023 जारी किया है।
2	2010-11	2,16,32,29,135.00	
3	2011-12	2,73,05,43,957.00	
4	2012-13	3,41,89,46,448.00	
5	2013-14	3,02,01,34,524.00	
		13,08,04,05,797.00	

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में पूंजी खाते पर कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष तथा उपलब्ध नहीं कराए गए अनुबंधों का अनुमानित मूल्य 25,731.14 लाख रुपये है। पिछले वर्ष के अंत में यह 26,316.11 लाख रुपये था ।

लेखों पर नोट

I. सामान्य लेखा प्रारूप अपनाना

लेखे भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित और भारत सरकार के जीएसआर संख्या 284(ई), जीएसआर संख्या 285(ई) और जीएसआर संख्या 286(ई) दिनांक 04.04.2019 के तहत अधिसूचित सामान्य लेखा प्रारूप में तैयार किए गए हैं।

II. पूर्व अवधि हेतु आय एवं व्यय

आय और व्यय लेखों में पूर्व अवधि का शून्य रुपये का आय और व्यय शामिल है।

III. सांविधिक देयों की वसूली

- 31 मार्च, 2023 तक कभनि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कुल निर्धारित सांविधिक देय एवं धारा 7ए के अंतर्गत वसूली हेतु देय, 14-बी के अंतर्गत नुकसानी तथा 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज की राशि को नीचे तालिका में दिखाया गया है :-

क्र.सं.	योजना का नाम	31.03.2023 तक 7ए के अंतर्गत निर्धारित बकाया राशि, 14 बी के अंतर्गत नुकसानी एवं 7क्यू अंतर्गत निर्धारित ब्याज (रु लाख में)		31.03.2022 तक 7ए के अंतर्गत कुल बकाया राशि, 14 बी के अंतर्गत नुकसानी एवं 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज (रु लाख में)	
		बकाया	शास्तिक नुकसानी/ ब्याज	बकाया	शास्तिक नुकसानी/ ब्याज
1.	कर्मचारी भविष्य निधि	598,755.88	277,519.87	556,865.14	249,937.60
2.	क.भ.नि. प्रशा. निधि	33,939.36	22,708.17	31,606.10	21,843.57
3.	कर्मचारी पेंशन निधि	282,043.21	146,861.48	254,188.46	129,449.48
4.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ई.डी.एल.आई.) निधि	23,017.00	9,233.51	20,558.89	8,592.14
5.	ई.डी.एल.आई. प्रशा. निधि	788.55	450.72	762.65	416.01
कुल		938,544.00	456,773.75	863,981.23	410,238.81

(स्रोत एमआईएस)

- 7ए के अंतर्गत प्राप्य श्रेणी राशि, 14-बी के अंतर्गत नुकसानी एवं 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज तथा नियोक्ताओं को जारी मांग/ वसूली नोटिस के माध्यम से वसूली, सभी के संबंध में राजस्व नकद आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है।

3. वसूली की अनिश्चितता के कारण तथा कार्यवाही पूर्ण होने से पहले वसूली की सटीक राशि का पता न चल पाने के कारण, राजस्व की पहचान के संबंध में लेखांकन मानक-9 के उपबंधों के अनुसार राजस्व पहचान को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, वास्तविक अंशदान राशि की प्राप्ति होने पर इसे क.भ.नि. सदस्य खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए न कि देय के आधार पर ।

IV. कर्मचारी पेंशन निधि:

वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि की अंतिम बीमांकन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है एवं सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। 31.03.2019 को मूल्यांकन परिणाम इस प्रकार हैं:

मूल्यांकन परिणाम:

कुल देयता वर्गीकरण	रूपए करोड़ में
(क) सभी लाभों का वर्तमान मूल्य	10,32,537.55
(ख) अंशदान का वर्तमान मूल्य	5,57,448.07
सभी लाभों का कुल वर्तमान मूल्य (ग)=(क)-(ख)	4,75,089.48
31-03-2019 को राशि संग्रह (घ)	4,37,762.54
कुल देयता (ग)-(घ) (बीमांकक कमी)	37,326.94

सरकार ने तीन वित्तीय वर्षों (यथा, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22) के लिए कर्मचारी पेंशन निधि के मूल्यांकन हेतु बीमांकक की नियुक्ति कर ली है तथा मूल्यांकन का कार्य चल रहा है ।

V. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना:

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ई.डी.एल.आई.) निधि का बीमांकक मूल्यांकन अंतिम बार वर्ष 31.03.2019 के लिए किया गया तथा मूल्यांकन परिणाम निम्नानुसार हैं:

	राशि (रूपए करोड़ में)
निवल देयता (क)	10,779.34
निधि घटायें (ख)	27,234.66
निधि के पश्चात अधिशेष (ख) - (क)	16,455.32

क.नि.स.बी. योजना, 1976 के तहत देय लाभों को बढ़ाने के लिए के.न्या.बो., क.भ.नि. द्वारा कई संशोधनों को मंजूरी दी गई है। इन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

1. क.नि.स.बी. योजना, 1976 के पैराग्राफ 22(3) के तहत देय अधिकतम बीमा लाभ को बढ़ाकर रु. 7 लाख कर दिया गया।
2. क.नि.स.बी. योजना, 1976 के पैरा 22(3) के तहत देय रुपये 2.50 लाख के न्यूनतम बीमा लाभ को 15.02.2020 से लागू किया गया।
3. मृतक सदस्य, जो उस माह से पहले लगातार 12 महीने की अवधि के लिए निधि का सदस्य रहा है जिसमें उसकी मृत्यु हुई थी के संबंध में लाभार्थियों को, क.नि.स.बी. योजना, 1976 के पैराग्राफ 22(3) के तहत देय लाभ का विस्तार।
4. स्थापना द्वारा रिटर्न जमा न करने के लिए दंड को चार हजार रुपये से बढ़ाकर रु. पच्चीस हजार कर दिया गया।
5. जिस महीने में सदस्य की मृत्यु हुई, उससे पहले के बारह महीनों के दौरान आहरित औसत मासिक वेतन (अधिकतम पंद्रह हजार रुपये तक) को पैंतीस से गुणा करके मृतक के खाते में निधि में औसत शेष का पचास प्रतिशत या अधिनियम की धारा 17 या ईपीएफ योजना, 1952 की धारा 27 या 27ए, जैसा भी मामला हो, से पहले के बारह महीनों के दौरान या उसकी सदस्यता की अवधि के दौरान, जो भी कम हो, के तहत भविष्य निधि से छूट दी गई है, जो एक लाख पचहत्तर हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है।

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना की तारीख यानी 28.04.2021 से तीन साल की अवधि के लिए लागू होंगे और उसके बाद ईडीएलआई फंड की वित्तीय स्थिति के अनुसार समीक्षा की जाएगी।

VI. सदस्य खाते:

(क) निष्क्रिय खाते: कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72 (6) के अंतर्गत निष्क्रिय खातों की परिभाषा में दिनांक 11-11-2016 को संशोधन किया गया। वर्ष 2017-18 के समेकित वार्षिक लेखों में निष्क्रिय खातों के रूप में परिभाषित एवं रिपोर्ट की गई राशि 11-11-2016 से पहले की परिभाषा पर आधारित है। अब निष्क्रिय खातों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के अंत में सिस्टम द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर दर्शाए जा रहे हैं। दिनांक 31-03-2023 तक 'निष्क्रिय खातों' में 6804.88 करोड़ रुपये की राशि है और ऐसे खातों की संख्या 17,44,518 है।

(ख) अनियमित भुगतान और अधिक भुगतान

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर दिनांक 31.3.2023 को, क्रमशः रु. 9.94 करोड़ और रु. 25.19 करोड़ "अनियमित भुगतान" और "अधिक भुगतान" शीर्ष में अंतर्गत थे। अधिक भुगतान या अनियमित भुगतान की जानकारी होने पर नुकसान की भरपाई उस नुकसान के

लिए जिम्मेदार कर्मचारियों से की जाती है। इन भुगतानों को समुचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है तथा विधिवत गठित अधिक भुगतान समिति द्वारा इसकी मॉनीटरिंग की जाती है। फील्ड कार्यालयों द्वारा ऐसे मामलों में संलिप्त संगठन के कर्मचारियों एवं बाह्य व्यक्तियों पर सिविल/अपराधिक मुकदमें दायर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आंतरिक लेखा दलों को उचित निदेश दिए गए हैं कि फील्ड कार्यालयों के ऑडिट के दौरान अधिक भुगतान एवं अनियमित भुगतान के मामलों की जांच करें।

VII. निवेश

(क) वसूली हेतु लंबित निवेश

अभी भी वसूली के लिए मूल राशि एवं इस पर ब्याज को दर्शाते हुए निवेश का विवरण एवं क.भ.नि.स द्वारा की गई कार्रवाई परिशिष्ट -'क' पर संलग्न है

(ख) टीडीएस का रिफंड:

ईपीएफओ निवेशों के बाहरी समवर्ती लेखापरीक्षक (ईसीए) को आयकर अधिकारियों के साथ मामले को उठाने का कार्य सौंपा गया है। ब्याज सहित लंबित टीडीएस राशि (8.37 करोड़ रुपये) की वापसी का पत्र 20.07.2022 को आयकर विभाग के पास दाखिल किया गया है। मामले में आयकर विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई पर नज़र रखी जा रही है।

(ग) निवेश के आंकड़ों में अंतर:

छूट रद्द करने पर छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों द्वारा सीबीटी को हस्तांतरित प्रतिभूतियों के आंकड़ों में अंतर समाधान कर लिया गया है और इस वर्ष वार्षिक लेखों में रुपये 151.48 की राशि का समायोजन किया गया है।

(घ) 31.03.2023 को भुगतान तिथि के बाद प्राप्त भुगतान के लिए दावा किया गया अर्जित ब्याज और दंड शुल्क रु 1,38,487.09/- है जिसमें से रु. 72,392.00/- की वसूली कर ली गई है और मैसर्स एससीबी, संरक्षक शेष राशि की वसूली के लिए जारीकर्ताओं के साथ संपर्क कर रहा है।

(ड) अर्जित ब्याज आय से संबंधित पिछले वर्ष का समायोजन

यह देखा गया है कि एक लिपिकीय त्रुटि के कारण, ईपीएफओ निवेश के संरक्षक मैसर्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए निवेश पर "उपार्जित किन्तु अप्राप्य ब्याज" को असावधानी से अधिक/कम रिपोर्ट किया गया था। अधिक रिपोर्ट किए गए/कम रिपोर्ट किए गए आंकड़ों का विवरण इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

	ईपीएफ निधि- निवेश	ईपीएस निधि- निवेश	एसपीएफ निधि- निवेश	पेंशन-सह- ग्रेच्युटी निधि-निवेश	ईडीएलआई निधि- निवेश	कुल
उपार्जित किन्तु अप्राप्य ब्याज (जैसा कि वार्षिक लेखा 2021-22 में बताया गया है)	28,039.46	11,836.09	35.36	213.10	400.70	40,524.71
सही आंकड़े	17,457.27	7,920.62	36.72	218.22	417.99	26,050.82
वार्षिक लेखा 2021-22 में शामिल अतिरिक्त (+)/अंडरस्टेटमेंट (-)	10,582.19	3,915.47	-1.36	-5.12	-17.29	14,441.98

इस वर्ष (2022-23) के वार्षिक लेखों में की गई उपचारात्मक कार्रवाई: 2021-22 के वार्षिक लेखों में उपरोक्त सभी ओवर-रिपोर्टिंग/अंडर-रिपोर्टिंग को अब "2022-23 के वार्षिक लेखों में "पिछले वर्ष अर्जित ब्याज को अधिक बताया गया/कम बताया गया" शीर्षक के तहत संबंधित प्रभावित अनुसूचियों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार समायोजित किया गया है:

- **ईपीएफ योजना:** अनुसूची संख्या 4 में रु. (-)10,582.20 करोड़
- **ईपीएस योजना:** अनुसूची संख्या 6 में रु. (-)3,915.47 करोड़
- **ईडीएलआई योजना:** अनुसूची संख्या 8 में रु.17.29 करोड़।
- **कर्मचारी पीएफ योजना:** अनुसूची संख्या 11 में रु.1.36 करोड़
- **पेंशन-सह-ग्रेच्युटी योजना:** अनुसूची संख्या 14 में रु.5.12 करोड़

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बैलेंस शीट पर प्रभाव:

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निवेश पर "उपार्जित किन्तु अप्राप्य ब्याज" आंकड़ों की रिपोर्टिंग में इन भिन्नताओं के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों में इन संबंधित निधिओं के लिए ब्याज आय की कमी या अधिकता हुई। इसके फलस्वरूप ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई योजनाओं के मामले में बैलेंस शीट की अनुसूची 4, 6 और 8 में क्रमशः व्यय पर आय की अधिकता को कम/अधिक बताया गया, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए क्रमशः एसपीएफ फंड और पेंशन-सह-ग्रेच्युटी फंड के लिए बैलेंस शीट की अनुसूची 11 और 14 में ब्याज आय को कम बताया गया। जैसा कि ऊपर वर्णित है, 2021-22 के वार्षिक लेखों में संबंधित प्रभावित अनुसूचियों में अधिक/कम

बताए गए आंकड़ों को अब "पिछले वर्ष अर्जित ब्याज अधिक बताया गया/कम बताया गया" शीर्षक के तहत समायोजित किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए घोषित ईपीएफ ब्याज पर कोई प्रभाव नहीं:

"उपार्जित किन्तु अप्राप्य ब्याज" रिपोर्टिंग में उल्लिखित भिन्नता का ईपीएफ सदस्यों के लिए ब्याज दर निर्धारण/घोषणा की गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्याज की गणना अर्जित आय के आधार के बजाय वास्तविक आय के आधार पर की जाती है।

ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो इसके लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई:

संरक्षक को ईपीएफओ को सौंपे गए डेटा की शुद्धता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। संरक्षक द्वारा सूचित किया गया है कि ईपीएफओ को प्रस्तुत करने से पहले डेटा जांच की एक अतिरिक्त परत लगाकर प्रक्रिया को मजबूत किया गया है। इसके अलावा, वे इस डेटा की अनूठी प्रकृति और कई स्रोतों से जानकारी को समेकित करने की आवश्यकता को देखते हुए इस डेटा को 'हैंडल करने' के लिए अर्ध-स्वचालन की व्यवहार्यता की जांच कर रहे हैं। इसके साथ साथ, ईपीएफओ संरक्षक द्वारा प्रस्तुत डेटा को ईपीएफओ के बाहरी समवर्ती लेखा परीक्षक (ईसीए) से सत्यापित करवा रहा है।

(च) 31-03-2023 को ईटीएफ में निवेश की गई राशि का बाजार मूल्य रु.2,58,980.13 करोड़ था।

(छ) ईपीएफओ के लेखों में ईपीएफ प्रशासन निधि और ईडीएलआई प्रशासन निधि में विशेष जमा खाते के निवेश में अंतर और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वेतन और लेखा कार्यालय द्वारा सूचित राशि क्रमशः रु -7.62 करोड़. और रु. 2.33 करोड़. को उचित समाधान के बाद संबंधित निधिओं की ब्याज आय में समायोजित किया गया है।

VIII. उचंत खाते:

(राशि रूप में)

उचंत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 5 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	
प्रारंभिक शेष	44,09,32,360.86
जोड़े: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	4,36,00,81,638.39
कुल	4,80,10,13,999.25
घटाएं: वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	4,26,16,85,174.91
अंत: शेष	53,93,28,824.34

(राशि रूप में)	
उचंत खाता (प्राशासनिक निधि), अनुसूची संख्या 15 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	
प्रारंभिक शेष	30,80,03,860.39
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	2,96,00,89,352.50
कुल	3,27,17,92,384.89
घटाएं : वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	3,03,47,19,173.95
अंत: शेष	23,33,74,038.94

(राशि रूप में)	
उचंत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 19 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम)	
प्रारंभिक शेष	80,76,74,908.50
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	128,94,47,929.19
कुल	2,09,71,22,837.69
घटाएं : वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	96,44,93,662.97
अंत: शेष	113,26,29,174.72

(राशि रूप में)	
उचंत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 28 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम)	
प्रारंभिक शेष	21,56,97,522.77
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि	4,42,14,537.56
कुल	25,99,12,060.33
घटाएं : वर्ष के दौरान अदा की गई राशि	7,49,15,633.03
अंत: शेष	18,49,96,427.30

IX (i) पी.एम.आर.पी.वाई तथा पी.एम.पी.आर.पी.वाई:

निजी क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन के लिए पी.एम.आर.पी.वाई तथा पी.एम.पी.आर.पी.वाई सरकार की प्रमुख प्रोत्साहन योजनाएं हैं। ये योजनाएं अक्टूबर, 2016 के दौरान शुरू की गई तथा सरकार इस उद्देश्य के लिए इंडियन बैंक के माध्यम से क.भ.नि.सं. के बैंक खाते के द्वारा सहायता- अनुदान उपलब्ध कराती है।

पी.एम.आर.पी.वाई योजना नए भविष्य निधि सदस्यों के संबंध में पेंशन अंशदान से जुड़ी नियोक्ता की जिम्मेदारी को कम करती है। क.भ.नि.सं. उपर्युक्त बैंक खाते से काटी गई राशि की सीधे प्रतिपूर्ति कर देता है।

भारत सरकार दिनांक 01.04.2018 से क.भ.नि.सं. के माध्यम से नए कर्मचारियों के लिए तीन वर्ष की अवधि और मौजूदा लाभार्थियों के लिए उनकी तीन वर्ष की शेष अवधि के लिए, समय-समय पर स्वीकार्य, नियोक्ताओं के पूरे अंशदान (क.भ.नि. और क.पें.यो. दोनों) का भुगतान करेगी। स्थापना के माध्यम से लाभार्थियों को पंजीकृत करने की आवधिक तिथि 31 मार्च, 2019 है। (पीएमपीआरपीवाई में सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या डीजीई-यू-13015/01/2016 एमपी (जी) दिनांक 12.04.2018 के माध्यम से संशोधन किया गया था।) कपड़ा क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बनाई गई पीएमपीआरपीवाई योजना को बंद कर दिया गया था और खाते में पड़ी शेष राशि पीएमआरपीवाई योजना खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

पीएमआरपीवाई तथा पीएमपीआरपीवाई के लिए अनुरक्षित बैंक बचत खातों पर अर्जित ब्याज, भारत सरकार को वापस लौटा दिया गया है, जब कि दोनों योजनाओं के अप्रयुक्त, सहायता अनुदान राशि पीएमआरपीवाई तथा पीएमपीआरपीवाई के लिए अलग से इंडियन बैंक में इस प्रयोजन के लिए खोले गए खातों में पड़ी हैं। उपर्युक्त खातों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(राशि रूप में)

क्र.सं.	पीएमआरपीवाई के विवरण		
1	प्रारंभिक शेष (01.04.2022)		4,74,79,189.00
	जोड़ें		
2	भारत सरकार से मिली निधि (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय): टीएसए के माध्यम से भारत सरकार से मिली निधि (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय):	00	
3	बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज	48,723.00	4,75,27,912.00
	घटाएं		
4	पीएमआरपीवाई खाते से इंडियन बैंक संग्रह खाते के बायफरकेशन खाते में सीधे डेबिट किए गए लाभ खाता संख्या 5 (पीएमपीआरपीवाई) खाता संख्या 11 (पीएमआरपीवाई)	1,40,59,934.00 3,28,59,813.00	4,69,19,747.00
5	जीएफआर प्रावधान के तहत 2021-22 तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित ब्याज।		5,59,442.00
	अंतशेष		48,723.00

(राशि रूप में)

क्र.सं.	पीएमपीआरपीवाई के विवरण		
1	प्रारंभिक शेष (01.04.2022)		5,162.00
	जोड़ें		
2	बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज	46.00	5,208 .00

	घटाएं		
3	नियोक्ताओं को सब्सिडी	0.00	
4	जीएफआर उपबंधों के तहत वर्ष 2021-22 तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किया गया ब्याज	5,162.00	5,162.00
	अंतशेष		46 .00

IX (ii)- पीएमजीकेवाई:

भारत सरकार ने 26.03.2020 को पीएमजीकेवाई के तहत गरीबों को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। उक्त पैकेज के हिस्से के रूप में, शुरू में केंद्र सरकार द्वारा अगले तीन महीनों अर्थात् मार्च 2020, अप्रैल 2020, मई 2020 के लिए कम्पनि खातों में मासिक वेतन का 24% (कम्पनि अधिनियम के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं का हिस्सा) के भुगतान का प्रस्ताव है। इस योजना को जून 2020 से तीन महीनों के लिए अर्थात् अगस्त 2020 आगे बढ़ा दिया गया था।

(राशि रूप में)

क्र.सं.	पीएमजीकेवाई का विवरण		
1	प्रारंभिक शेष (01.04.2022)		48,40,197.00
	जोड़ें		
2	बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज	1,17,093.00	49,57,290.00
	घटाएं		
3	जीएफआर उपबंधों के तहत वर्ष 2021-22 तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किया गया ब्याज	10,15,220.00	10,15,220.00
	अंतशेष		39,42,070.00

IX (iii) – एबीआरवाई:

नए रोजगार के सृजन, रोजगार के नुकसान की भरपाई के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एबीआरवाई को कम्पनिस के माध्यम से 1 अक्टूबर, 2020 को आरम्भ किया गया था। इस

योजना के तहत केंद्र सरकार दो साल की अवधि के लिए विभिन्न शर्तों के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान को क्रेडिट करेगी।

(राशि रूप में)

क्र.सं.	एबीआरवाई के विवरण		
1	प्रारंभिक शेष (01.04.2022)		8,01,84,37,166.00
	जोड़ें		
2	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से प्राप्त निधि टीएसए लेख से प्राप्त निधि	46,36,00,00,000.00	
3	बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज	4,42,10,533.00	54,42,26,47,699.00
	घटाएं		
4	नियोक्ताओं को सब्सिडी 4.1 एबीआरवाई योजना खाते से एसबीआई निवेश खाते 5 में सीधे डेबिट किए गए लाभ 4.2 एबीआरवाई योजना खाते से एसबीआई निवेश खाते 11 में सीधे डेबिट किए गए लाभ	35,39,47,82,970.00 15,56,71,09,054.00	 50,96,18,92,024.00
5	जीएफआर उपबंधों के तहत वर्ष 2021-22 तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किया गया ब्याज	2,60,06,590.00	2,60,06,590.00
	अंतशेष		3,43,47,49,085.00

X- केंद्रीकृत बैंक संग्रह खाते:

दिसंबर, 2016 के दौरान, क.भ.नि.सं. ने विविध बैंकों में, एक बैंक खाते में सांविधिक अंशदान के केंद्रीकृत प्राप्ति को अपनाया है जबकि पहले सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के विकेंद्रीकृत पांच एकत्रीकरण खातों में प्राप्ति की जाती थी। निधि की केंद्रीकृत प्राप्ति इस प्रकार की जाती है:

- डुप्लीकेट टी.आर.आर.एन. में त्रुटिपूर्ण जमा देयता है, जिसे भविष्य में रिफंड किया जाएगा। लेखा सुविधा के लिए इसे भविष्य निधि योजना लेखों में दिखाया जाता है।
- जमा की गई असमेकित राशि को भविष्य निधि योजना खाते में देयता के रूप में देखा जा सकता है। राशि के समेकन के बाद इसे अंशदान के रूप में संबंधित खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

- iii. लेन-देन की जांच के लिए बैंक द्वारा किए गए जमा को आय एवं व्यय लेखे में विविध आय के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार, बैंक प्रभार को भविष्य निधि योजना के आय एवं व्यय लेखे में दर्शाया जाता है।
- iv. एकल एकत्रिकरण लेखों के अंत शेष को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के बैंक शेष के रूप में दिखाया जाता है (अन्य योजनाएं एवं प्रशासनिक लेखों के लेन-देन का समायोजन करने के पश्चात्)।

XI. अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 24)

(क) अन्य अचल संपत्तियों में प्लास्टिक की कुर्सी, प्लास्टिक टेबल, टेलीविजन, ट्रेड मिल, व्यायाम साईकल, कैंटीन के लिए अलमारी, क्रेच, पेपर श्रेडर, ओएफआर, एलईडी पैनल, टीपीएन, एमसीसीबी, ट्रांसफार्मर, एचटी पैनल, एलटी पैनल, डीजी सेट, डीजी पंप, जल आपूर्ति मोटर, बॉक्स कैबिनेट, लकड़ी का पोडियम, समाचार पत्र स्टैंड, लाइट अरेस्टर, फिंगर प्रिंट डिवाइस, आदि जैसी संपत्तियां शामिल हैं।

(ख) भूमि जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नाम से पंजीकृत नहीं है निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	अंचल/कार्यालय का नाम	भूमि का विवरण
1	आंचलिक कार्यालय तेलंगाना (हैदराबाद)	एसवाई क्रमांक 276/2 ऑलविन कॉलोनी, कुकटपल्ली, जीओ एमएस क्रमांक 166 दिनांक 17.06.2016 । ऑलविन कर्मचारी आवास समिति ने माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन 4896/2015 दायर की जिसमें कहा गया कि भूमि पहले से ही एल्विन कॉलोनी कर्मचारी सोसायटी के नाम पर पंजीकृत थी। रुपये 8,01,26,300/- की वापसी के लिए संबंधित एजेंसी से बातचीत चल रही है। जोनल कार्यालय ने रुपये 8,01,26,300/- रिफंड के लिए संबंधित एजेंसी को दिनांक 11.02.2022, 13.07.2022, 21.11.2022 और 19.04.2023 को पत्र जारी किये हैं।
2	मुख्यालय, नई दिल्ली	ईपीएफओ, मुख्यालय, 14 भीकाजी कामा प्लेस, हुडको विशाला बिल्डिंग का निर्मित कार्यालय स्थान हुडको से लीज के आधार पर खरीदा गया था, लेकिन आज तक ईपीएफओ के नाम पर लीज डीड पंजीकृत नहीं किया गया है। 31-03-2023 को इस भवन का मूल्यहास के बाद बुक वैल्यू 19,35,20,713/- रुपये है।

XII. भवन निर्माण निधि:

जैसा कि वार्षिक लेखा 2021-22 के एसएआर में सीएंडएजी द्वारा देखा गया और सुझाव दिया गया और जैसा कि वित्त निवेश और लेखापरीक्षा समिति (एफआईएसी) ने 17-03-2023 को आयोजित 172 वीं बैठक में सिफारिश की, भवन निर्माण निधि की पूरी राशि (अनुसूची 12) को ईपीएफ प्रशासन निधि ("अन्य" के अंतर्गत अनुसूची 10) में वापस लिखा गया है।

XIII. स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेच्युटी निधि:

कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1952 के साथ पठित क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5-डी में दिए गए उपबंध के अनुसार केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. के अधिकारी एवं कर्मचारी केन्द्र सरकार के समकक्ष वेतनमान लेने वाले कर्मचारियों के समान पेंशन-सह-ग्रेच्युटी लाभों के पात्र हैं। सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 यथोचित परिवर्तनों सहित क.भ.नि.सं. के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. को उनके कर्मचारियों के प्रति पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान के दायित्वों का पर्याप्त रूप से निर्वाह करने में सक्षम बनाने के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 1965 से कर्मचारी पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि का सृजन किया गया था। निधि का पोषण स्थापनाओं पर लगाए गए अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार से होता है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने दिनांक 23.02.2006 को हुई अपनी 174वीं बैठक में अंशदान को मासिक अंतरण द्वारा दिनांक 23.02.2006 से पहले अंतरित कुल परिलब्धियों के 12.4% से बढ़ाकर कुल परिलब्धियों का 21% करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. ने उपर्युक्त बैठक में पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि की बीमांकक द्वारा द्विवार्षिक आधार पर मूल्यांकन करने की भी सिफारिश की।

31.03.2019 को अंतिम बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 31.03.2023 को निधि में घाटे/अधिशेष की वर्तमान स्थिति नीचे सारणीबद्ध है:

(राशि रुपये करोड़ों में)

(i)	पेंशन	11,406.84
(ii)	एन.पी.एस. (मृत्यु के मामलों में परिवार पेंशन)	558.34
(iii)	ग्रेच्युटी	1058.37
(iv)	कुल देयताएं (i)+(ii)+(iii)	13,023.55
(v)	दिनांक 31.03.2019 को उपलब्ध शेष	8,305.95

(vi)	दिनांक 31.03.2019 को घाटा (iv) – (v)	4,717.60
(vii)	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पेंशन-सह-ग्रेच्युटी में अंतरित राशि	1,316.01
(viii)	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पेंशन-सह-ग्रेच्युटी में अंतरित राशि	1,419.88
(ix)	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पेंशन-सह-ग्रेच्युटी में अंतरित राशि	1,630.69
(x)	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पेंशन-सह-ग्रेच्युटी में अंतरित राशि	2,285.55
(xi)	31.03.2023 तक घाटा (vi-vii-viii-ix)	(-)1,934.53

हस्ता /-

(टी.एल.यादेन)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता /-

(नीलम शमी राव)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

31 मार्च, 2023 को ब्याज एवं परिपक्वता की बकाया चुक की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	स्थापना का नाम	चूक में (प्रतिभूति का अंकित मूल्य) मूल	ब्याज देय, परंतु प्राप्त नहीं	वर्तमान स्थिति
1.	मैसर्स रिलायंस कैपिटल	शून्य	7,76,63,83,561.65	i. क.भ.नि.सं. का रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) में 2,500 करोड़ रुपये का निवेश है। क.भ.नि.सं. प्रमुख वित्तीय कॉर्पोरेट क्रेडिटर के रूप में आरसीएल की ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) में है। सीओसी में अन्य प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय संस्थान भारत का एलआईसी है। ii. रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने अपने वित्तीय दायित्व में चूक की और अक्टूबर 2019 में चूक रेटिंग में आकर डाउनग्रेड हो गया। आरसीएल द्वारा अपने क्रेडिटर्स के प्रति विभिन्न भुगतान दायित्व में चूक और गंभीर शासन संबंधी चिंताओं को देखते हुए आरबीआई ने दिनांक 29.11.2021 की अधिसूचना के माध्यम से मैसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) के निदेशक मंडल को हटा दिया। । आरबीआई अधिनियम की धारा 45-आईई (2) के तहत श्री नागेश्वर राव वाई (पूर्व कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र) को कंपनी के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। iii. रिज़र्व बैंक ने 02 दिसंबर, 2021 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की मुंबई बेंच में दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की धारा 227 के तहत रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया। एनसीएलटी के 6 दिसंबर, 2021 के आदेश के अनुसार, आरसीएल के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ("सीआईआरपी") शुरू की गई थी। iv. सीओसी ने दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋणी का मूल्यांकन प्राप्त किया है और कॉर्पोरेट ऋणी की चिंता के समाधान के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। मूल्यांकन किया गया औसत परिसमापन मूल्य 13,159 करोड़ रुपये आंकलित किया गया है। v. डिबेंचर ट्रस्टी ने डिबेंचर धारकों की ओर से दावे का विवरण प्रशासक को दाखिल किया। सभी

				ऋणदाताओं के कुल स्वीकृत दावे लगभग 25,435 करोड़ रुपये हैं। क.भ.नि.सं. के संबंध में स्वीकृत दावे की राशि 3308.67 करोड़ रुपये (2,500 करोड़ रुपये मूल राशि) है। vi. क्रेडिटर्स की समिति (सीओसी) ने आरसीएल के समाधान के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को मंजूरी दे दी है, जो सीओसी के मूल्य को अधिकतम करने के लिए संपूर्ण इकाई के रूप में या समूहों में समाधान प्रदान करती है। इसके बाद, चुनौती तंत्र के हिस्से के रूप में आरएफआरपी जारी की गई और पीआरए से प्रस्तावों को स्वीकार करने की अंतिम तिथि 30.06.2022 निर्धारित की गई। vii. 22 दिसंबर 2022 को आयोजित चुनौती में, समाधान आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई दो उच्चतम वित्तीय बोलियाँ टॉरेंट समूह द्वारा 8,640 करोड़ रुपये और हिंदुजा समूह द्वारा 8,110 करोड़ रुपये (इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड के माध्यम से) की थीं। हालाँकि, हस्ताक्षरित समाधान योजना जमा करने के समय, हिंदुजा समूह ने बोली राशि में संशोधन करके इसे 9,000 करोड़ रुपये किया। viii. टॉरेंट समूह ने एनसीएलटी में इस दलील के साथ मामला दायर किया कि सीओसी को चुनौती तंत्र के बाहर हिंदुजा समूह द्वारा प्रस्तुत संशोधित बोली मूल्य पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जाए। एनसीएलटी ने टॉरेंट समूह के पक्ष में निर्णय दिया और सीओसी को चुनौती तंत्र में प्रस्तुत वित्तीय बोलियों के साथ समाधान योजनाओं पर मतदान करने का निर्देश दिया। ix. सीओसी ने एनसीएलटी के निर्णय को एनसीएलटी में चुनौती दी, जिसने सीओसी के मूल्य को अधिकतम करने के अधिकार और अतः दूसरी चुनौती तंत्र के संचालन के पक्ष में निर्णय सुनाया। इस निर्णय को टॉरेंट ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी। शीर्ष अदालत ने अधिकतम मूल्य निर्धारण के लिए द्वितीय चुनौती तंत्र को जारी रखने के सीओसी के अधिकार को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत में अगली सुनवाई अगस्त 2023 में होनी है। x. बोलियाँ आमंत्रित करने का दूसरा चुनौती तंत्र अब समाप्त हो गया है। दूसरे चुनौती तंत्र के बाद उच्चतम बोली लगाने वाले से प्राप्त उच्चतम
--	--	--	--	--

				एनपीवी 9,650 करोड़ रुपये (नौ हजार छह सौ पचास करोड़ रुपये) है, जो मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन किए गए औसत परिसमापन मूल्य अर्थात् 13,159 करोड़ रुपये से कम है। केवल एक पीआरए अर्थात् आईआईएचएल ने दूसरे चुनौती तंत्र में भाग लिया। xi. मैसर्स आईआईएचएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना की अब सीओसी प्रक्रिया सलाहकारों द्वारा जांच की जा रही है और बाद में इसे सीओसी के समक्ष मतदान के लिए रखा जाएगा। xii. आईबीसी कोड 2016 की धारा 30(4) के अनुसार, ऋणदाताओं की समिति इसकी व्यवहार्यता और संभावना, प्रस्तावित वितरण के तरीके पर विचार करने के बाद, वित्तीय ऋणदाताओं के कम से कम छियासठ प्रतिशत वोट के आधार पर एक समाधान योजना को मंजूरी दे सकती है जो क्रेडिटर्स के बीच प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रख सकता है। xiii. क.भ.नि.सं. और भारतीय जीवन बीमा निगम संयुक्त रूप से क्रेडिटर्स की समिति(सीओसी) में लगभग 37% की वोटिंग हिस्सेदारी रखते हैं और दोनों द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का ऋण समाधान पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा। xiv. कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) एक समयबद्ध प्रक्रिया है। एनसीएलटी ने अनुमोदित समाधान योजना जमा करने की समय सीमा अगस्त 2023 तक बढ़ा दी है। यदि समाधान योजना पक्ष में आवश्यक 66 प्रतिशत मत प्राप्त करने में विफल रहती है, तो कॉर्पोरेट ऋणी के परिसमापन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
2.	मैसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेशियल सर्विस	2,24,73,00,000	1,90,74,79,238.92	i. सरकार ने अक्टूबर 2018 में नए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241(2) के तहत आईएलएफएस बोर्ड को भंग कर दिया। यह धारा सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए किसी कंपनी के बोर्ड को आगे के कुप्रबंधन से रोकने के लिए उसे अधिक्रमण करने में सक्षम बनाती है। ii. 8 फरवरी 2019 को क.भ.नि.सं. सहित सभी डिबेंचरधारकों की ओर से डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा एनसीएलटी के समक्ष आवेदन दायर किया गया है। दिनांक 12.03.2020 के आदेश के तहत

				माननीय एनसीएलएटी ने भारत संघ द्वारा प्रस्तावित कॉर्पोरेट ऋणी के समाधान तंत्र को वितरण योजना सहित स्वीकार कर लिया है। साथ ही कुछ लेनदारों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि समाधान धारा 53 आईबीसी की योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। iii. दिनांक 12.03.2020 के आदेश को हिंदुस्तान जिंक एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूटरी फंड ट्रस्ट द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी डायरी संख्या 41253/2019 और एसएलपी डायरी संख्या 13094/2020 में चुनौती दी गई है। उसी के परिणामस्वरूप एनसीएलएटी ने अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है, जैसा कि दिनांक 28.09.2020 के आदेश से स्पष्ट है। iv. क.भ.नि.सं. के हितों की रक्षा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कार्यान्वयन आवेदन दायर करने के लिए मामला विधि प्रभाग को सौंपा गया था। v. मामला 06-02-2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, हालांकि इसे एक और दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। vi. क.भ.नि.सं. का इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएंड एफएस लिमिटेड) के सुरक्षित डिबेंचर में एक्सपोजर है। जैसा कि क.भ.नि.सं. के निधि प्रबंधक द्वारा प्रदान की गई अद्यतन स्थिति रिपोर्ट से स्पष्ट है, आज तक आईएल एंड एफएस लिमिटेड बांड धारकों को कोई अंतरिम वितरण नहीं किया गया है, हालांकि यह प्रस्ताव है कि इसे जून 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही तक अंतरिम वितरण के भाग के रूप में वितरित किया जाए।
3.	मैसर्स उत्तर प्रदेश वित्तिय निगम	शून्य	69,07,05,754	i. क.भ.नि.सं ने मैसर्स यूपीएफसी द्वारा जारी बांडों/प्रतिभूतियों में निवेश किया है जिसका अंकित मूल्य रु. 25 करोड़ है। जारीकर्ता 2004 से ब्याज के भुगतान में चूक कर रहा है। ii. देयों की वसूली के लिए माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ में रिट याचिका दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने 22.02.2011 को एक अंतरिम आदेश जारी

			किया जिसमें मैसर्स यूपीएफसी को अधिकतम छह महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को मूल राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। iii. यूपीएफसी के माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश (लखनऊ बेंच) के मूल राशि के भुगतान हेतु अंतरिम आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या 1760 द्वारा उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका फाइल की गई थी। iv. माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, इलाहाबाद ने आदेश दिनांक 27.07.2018 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पक्ष में निर्णय दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि: ".....याचिकाकर्ता को मूल राशि का भुगतान आज से एक महीने के भीतर किया जाएगा और उसके बाद तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता को ब्याज की राशि भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2018 की सिविल अपील संख्या 1467 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 01.02.2018 में बनाई गई योजना के अनुसार भुगतान की जाएगी।" v. v.2018 की सिविल अपील संख्या 1467 में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 01.02.2018 में कहा गया है: " यदि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रतिवादी 18% की दर से ब्याज के पात्र होंगे और देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसके लिए उत्तरदायी होंगे।" vi. केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (डब्ल्यू पी संख्या 1760) में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के आदेश में दिए गए निर्देश का पालन करते हुए, यूपीएफसी ने 27.08.2018 को रुपये 25 करोड़ की मूल राशि का भुगतान कर दिया है।
--	--	--	---

			vii. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, संरक्षक ने ईमेल दिनांक 07.09.2018 तथा क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने पत्र दिनांक 29.09.2018 द्वारा पुष्टि की है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने यूपीएफसी सिक्योरिटीज़ से संबंधित 25 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। viii. इसके अलावा मैसर्स यूपीएफसी ने क.भ.नि.सं. द्वारा दावा की गई ब्याज राशि जो 27.10.2018 को 54,33,03,987.16 रुपये थी, की तुलना में 05.12.2018 को केवल 27,60,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया है। ix. क.भ.नि.सं ने पत्र दिनांक 10.05.2019 के माध्यम से फिर से प्रधान सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य, सिविल सचिवालय, लखनऊ को बकाया ब्याज राशि के शीघ्र भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध किया है। x. चूक की अद्यतन स्थिति के लिए कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में संरक्षक, सलाहकार, बाहरी समवर्ती लेखा परीक्षक तथा पोर्टफोलियो प्रबंधक के साथ पत्राचार किया जा रहा है। xi. केंद्रीय बोर्ड, क.भ.नि. को बकाया राशि प्रेषित करने के लिए जारीकर्ता को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु मामले को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के साथ भी उठाया जा रहा है।
4.	मैसर्स रिचर्ड एण्ड कूडास (आरसीएल) (मार्च, 2002 से)	4,47,68,281.35	i. क.भ.नि.सं. ने देयों की वसूली हेतु रिट याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। क.भ.नि.सं. ने एससी बी को दिनांक 25.07.2014 को पत्र द्वारा अधिवक्ता से उन कागजातों को एकत्र करने के लिए कहा जिसमें यह दिखाया गया है कि क.भ.नि.सं. ने संपूर्ण देयों की वसूली हेतु रिचर्डसन एंड कूडास लिमिटेड (आरसीएल) के संबंध में वर्ष 1992 के बीआईएफआर मामला संख्या 509 में अपना दावा फाइल किया है। ii. मामले को हल करने के लिए हमारे पत्र दिनांक 19.09.2016 तथा दिनांक 17.03.2017 द्वारा विलंबित देयों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के

			साथ इस मामले को उठाया गया है। iii. पत्र दिनांक 22.05.2017 तथा दिनांक 09.11.2017 द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (आर एंड सी एल) के साथ और संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 31.05.2018 द्वारा बकाया ब्याज के यथा शीघ्र भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले को उठाया गया है। संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को एक अनुस्मारक पत्र दिनांक 05-04-2019 को बकाया ब्याज राशि के शीघ्र भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ भेजा गया है, एससीबी, संरक्षक को अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। iv. इसके अलावा, 03 मार्च, 2022 को बिना किसी विलंब के बकाया अतिदेय ब्याज राशि का भुगतान करने के लिए एक पत्र अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रिचर्डसन एंड क्रुडास लिमिटेड को और संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय को इस मामले को देखने और बकाया राशि के शीघ्र भुगतान और निपटान के लिए उचित निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ भेजा गया था। v. मामले को विधि प्रभाग के माध्यम से क.भ.नि.सं. के पैनल अधिवक्ता को उपलब्ध विधिक उपचारों के लिए भेजा गया है ताकि उक्त कंपनी से बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके। vi. पैनल अधिवक्ता द्वारा यह सूचित किया गया है कि माननीय एनसीएलटी, मुंबई बेंच के समक्ष मेसर्स रिचर्डसन एंड क्रुडास लिमिटेड (आरसीएल) के विरुद्ध चंद्रश्रीनिवासुलु बनाम रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड [सी.पी. (आईबी)/434(एमबी)/2021] के नाम से दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 9 के तहत कार्यवाही चल रही है। vii. इस मामले की निगरानी क.भ.नि.सं. के विधि प्रभाग के माध्यम से की जा रही है।
5.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी) बीआईएफ	3,82,00,285.42	i. क.भ.नि.सं ने जुलाई, 1994 में एचएमटी बांड में 25 करोड़ रुपये का निवेश किया था जिसकी परिपक्वता अवधि 1999 में थी। एचएमटी 1 जनवरी,

आर मामला (1996 से)	1996 से ब्याज का भुगतान करने में विफल रही थी। तदनुसार, क.भ.नि.सं ने इस मामले को सचिव, श्रम मंत्रालय के माध्यम से सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय के साथ 31.12.1996 को उठाया। परन्तु नियमित अनुस्मारक के बावजूद एचएमटी अपने देयों का भुगतान करने में विफल रही। ii. देयों की वसूली के लिए, क.भ.नि.सं ने 06/03/1999 को आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अपनी 150वीं बैठक में एचएमटी लिमिटेड के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी। तदनुसार, जारीकर्ता से देय मूलधन और ब्याज राशि की वसूली हेतु 29.06.1999 और 29.10.2000 को सिटी सिविल न्यायालय, बेंगलूर में दो मुकदमे दायर किए गए। माननीय सिटी सिविल न्यायालय, बेंगलूर ने 19.08.2003 को मामले को विवाद से संबंधित समिति (सीओडी) को भेज दिया। सीओडी के निर्णय के बाद, एचएमटी ने 04.12.2004 को 64,72,84,922/- रुपये की राशि भेज दी। iii. सीओडी के निर्णय के अनुसार, एचएमटी को अंतिम निपटान की तारीख तक क.भ.नि.सं. द्वारा घोषित और अंशदाताओं को भुगतान की गई दर पर ब्याज का भुगतान करना था। इस प्रकार 5.12.2004 को एचएमटी द्वारा देय राशि रु 65,65,16,405.07 थी। तदनुसार, एचएमटी ने 92,31,483.07 रुपये का कम भुगतान किया। iv. एचएमटी लिमिटेड को क.भ.नि.सं के पत्र संख्या एसएसबी/पीएमएस/4575 दिनांक 08.12.2004 द्वारा अंतर की राशि भेजने की सलाह दी गई थी, परन्तु एचएमटी ने क.भ.नि.सं के पत्र के साथ-साथ भेजे गए अन्य अनुस्मारक का भी उत्तर नहीं दिया। v. सिटी सिविल न्यायालय, बेंगलूर में वसूली मुकदमे दायर किए गए थे। एच एम टी ने एसआईसीए की धारा 22 के अंतर्गत आगे की कार्रवाही पर स्टे हेतु एक आवेदन फाइल किया है। इस मामले को क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय पीन्या के माध्यम से आगे बढ़ाया गया था। vi. क्षे.का. पीन्या ने पत्र दिनांक 25.02.2022 के माध्यम से, सूचित किया है कि के.न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा दायर किए गए मुकदमे को माननीय XXX अपर सिटी सिविल एंड सेशन जज बेंगलूर ने
---------------------------	---

				आदेश दिनांक 20/03/2020 द्वारा खारिज कर दिया है। vii. माननीय XXX अपर सिटी सिविल एंड सेशन जज, बेंगलुरु ने मुकदमे को खारिज करते हुए कहा कि: " माननीय बीआईएफआर द्वारा मामला संख्या 501/2006 में पारित स्वीकृत योजना दिनांक 12-06-2008 जिसमें याचिकाकर्ता को मुकदमे के दावों पर ब्याज माफ करने का निर्देश दिया गया और रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 की धारा 26 के तहत रोक को ध्यान में रखते हुए, ओएस संख्या.4974/1999 और ओएस संख्या.7157/2000 में दोनों मुकदमे चलने योग्य नहीं हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा दायर दोनों मुकदमों को लागत सहित खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्ली बनें।" viii. इसके अलावा, क्षे.का., पीन्या ने सूचित किया है कि वह कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के आदेश दिनांक 20/03/2020 के खिलाफ एक और अपील यानी रिट याचिका या नियमित प्रथम अपील पैनल अधिवक्ता के परामर्श से दायर करने की संभावनाओं की तलाश कर रहा है और इस संबंध में कानूनी राय भी मांग रहा है। ix. मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की सलाह देने के लिए इसे ईपीएफओ के विधि प्रभाग को भेजा गया है।
6.	मैसर्स पीएसआईडीसी	2,26,00,000	1,10,77,776.69	i. पीएसआईडीसी के अध्यक्ष को 19-04-2016 को के. न्या.बोर्ड, क.भ.नि. को सभी लंबित देय भुगतान प्रेषित करने के लिए एक अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया था। इसके अलावा बकाया ब्याज और परिपक्वता राशि के भुगतान के लिए पत्र दिनांक 16.08.2016, 30.12.2016, 15.03.2017, 13.07.2017, 16.10.2019, 13.12.2019 और 20.02.2020 जारी किए गए। ii. एक अन्य अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 18.03-2020 जारी किया गया जिसके बाद पत्र दिनांक 03.03.2022 जारी किया गया जिसमें अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, चंडीगढ़ से देयों के भुगतान में तेजी लाने के लिए पीएसआईडीसी के साथ उक्त मामले पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

				iii. ब्याज और रिडेम्प्शन भुगतान प्राप्त न होने पर एससीबी, संरक्षक द्वारा पीएसआईडीसी को पत्र दिनांक 20.05.2021 भेजा गया है। iv. क.भ.नि.सं. को देय राशि जल्द से जल्द प्रेषित करने के लिए प्रबंध निदेशक, पीएसआईडीसी को दिनांक 03.03.2022 को एक पत्र भेजा गया था। हमारे पत्र दिनांक 03.03.2022 के उत्तर में, मैसर्स पीएसआईडीसी से एक पत्र दिनांक 01.04.2022 प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में, मैसर्स पीएसआईडीसी ने राज्य सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर केवल मूल राशि के बकाये का निपटान करने की पेशकश की। v. देयों की वसूली के लिए मामले को विधिक मत/आगे की कार्रवाई हेतु क.भ.नि.सं. के विधि प्रभाग को भेजा गया है। vi. केंद्रीय बोर्ड, ईपीएफ को बकाया राशि प्रेषित करने के लिए जारीकर्ता को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए मामले को मुख्य सचिव, पंजाब सरकार के साथ भी उठाया जा रहा है।
7.	मैसर्स पंजाब फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन	56,00,000	9,32,309.94	i. चूक की राशि का भुगतान करने के लिए 12-12-2014 को अध्यक्ष, पीएफसी को एक अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया था। इसके अलावा, मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को 19-04-2016 को एक अर्ध शासकीय पत्र जारी किया गया है जिसमें सभी लंबित बकाया भुगतान केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. को प्रेषित करने के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को भी एक अनुस्मारक पत्र 16.08.2016 को जारी किया गया है। ii. चूंकि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः सभी लंबित देय भुगतानों के तुरंत प्रेषण के लिए मैसर्स पी एस आई डी सी द्वारा जारी बांड पर उनकी गारंटी पूर्ण करने के लिए मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने के लिए आवश्यक निदेश जारी करने के लिए गवर्नर, आर बी आई को दिनांक 03.02.2017 को अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया है। iii. मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को 27-04-2017, 19-9-2017, 13-2-2018 और 4-12-2018, 08-05-2019 को और मैसर्स पीएफसी को 27-04-2017, 19-9-2017, 16-2-2018 को अनुस्मारक तथा पृष्ठांकन पत्र दिनांक 08.05.2019 जारी किया

				गया है । iv.पी.एफ.सी. के चंडीगढ़ कार्यालय में दिनांक 27.05.2019 को एक बैठक हुई थी जिसमें एस.सी.बी. के प्रतिनिधि, संरक्षक तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्मिक उपस्थित हुए थे, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दावे को मजबूती से रखा गया। यह निर्णय लिया गया कि पी.एफ.सी. एक सचिव स्तर की बैठक सुनिश्चित करेगा और सभी बांधधारकों को इस संबंध में सूचित करेगा। v. मामले को आगे की कार्रवाई के लिए संरक्षक/विधि अनुभाग के समक्ष उठाया जा रहा है। vi. केंद्रीय बोर्ड, क.भ.नि. को बकाया देयों को प्रेषित करने के लिए जारीकर्ता को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए मामले को मुख्य सचिव, पंजाब सरकार के साथ भी उठाया जा रहा है।
8	एनआईएनएल	रु. 2,50,000/- (वसूल किए गए)	13,169.86 रुपये (वसूल किए गए)	क.भ.नि.सं संरक्षक मैसर्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने बताया कि देय राशि 04 जुलाई, 2022 को प्राप्त हो गई है।

31 मार्च 2023, को समाप्त वर्ष के
लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(क भ नि सं) के लेखों पर भारत के
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की
पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	ईपीएफओ का उत्तर
हमने 31 मार्च, 2023 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) की संलग्न बैलेंस शीट और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (6) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (दायित्व, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत आय एवं व्यय लेखों तथा प्राप्तियों एवं भुगतान लेखों की लेखा परीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणियों में मुख्यालय, 21 आंचलिक कार्यालय, 139 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का.), पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (पीडीनास) शामिल हैं। इनमें से, मुख्यालय, तीन आंचलिक कार्यालय, 15 क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखों पर की गई टिप्पणियों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया। इन वित्तीय विवरणियों पर अपने लेखा परीक्षा के आधार पर, अभिमत व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।	1. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा प्रक्रियाओं के साथ समानरूपता, लेखा मानक और प्रकटीकरण के मानदंड आदि से संबंधित लेखा निरूपण पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियां निहित हैं। विधि अनुपालन, नियम व विनियम (औचित्य और नियमितता) और दक्षता एवं कार्यपालन पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्ट/सी.ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।	2. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।
3. भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि लेखा परीक्षा इस प्रकार योजना बनाकर की जाए जिससे कि वित्तीय विवरणियों में गलत विवरण न होने के संबंध में उचित आश्वासन मिल सके। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणियों में परीक्षण आधार पर प्रकटित राशियों को समर्थित करने वाले प्रमाणों को परखना शामिल है। वित्तीय विवरणियों के कुल प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के अलावा, प्रबंधकों द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों तथा लेखाकरण सिद्धान्तों का निर्धारण भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत का यथोचित आधार बनेगी।	3. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।

4. लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :- (i) रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों के अनुसार हमने सारी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जोकि हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक था; (ii) समेकित बैलेंस शीट और आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार तैयार किया गया है। (iii) हमारे विचार में, क.भ.नि.सं. की लेखा बहियों एवं अन्य संगत अभिलेखों की जांच के बाद यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (5) के अनुसार इनका रख-रखाव किया जा रहा है। iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:	4. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।
ए. बैलेंस शीट ए.1 परिसंपत्तियां ए.1.1 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम, आदि। ए.1.1.1 चालू परिसंपत्तियों का अधिक विवरण - अनुसूची-21 (चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम) में ₹ 341.39 करोड़ की राशि को 'भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्य ब्याज' के रूप में दर्शाया गया है। ₹ 341.39 करोड़ की प्राप्य राशि में वर्ष 2021-22 तक ब्याज के बकाया के ₹ 148.25 करोड़ शामिल हैं, जैसा कि ईपीएफओ द्वारा 8.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर के रूप में लेते हुए गणना की गई है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने 7.1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की अनुमति दी है। इस प्रकार, खाते में दर्शाए गए प्राप्य ब्याज को ₹ 148.25 करोड़ बढ़ा दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को अधिक दिखाया गया है और साथ ही प्राप्य ब्याज के कॉर्पस खाते को ₹ 148.25 करोड़ अधिक दिखाया गया है।	ए. बैलेंस शीट ए.1 परिसंपत्तियां ए.1.1 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम, आदि। ए.1.1.1 चालू परिसंपत्तियों का अधिक विवरण - 341.39 करोड़ रुपये की प्राप्य राशि में 190.47 करोड़ रुपये (प्राप्त 2,240.78 करोड़ रुपये के बकाये पर बकाया प्राप्य ब्याज), 2.67 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2021-22 के सरकारी अंशदान के वास्तविक और संशोधित आकलन के बीच भेद के कारण अंतर) और 148.25 करोड़ रुपये (8.5% की वास्तविक प्राप्य दर की बजाय 7.1% की दर से ब्याज की श्रम एवं रोजगार मंत्रालय/ वित्त मंत्रालय द्वारा कम गणना के कारण अंतर) शामिल हैं। विवरण निम्नानुसार हैं: 1. 148.25 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंशदान बकाया पर 7.1% प्रति वर्ष की बजाय 8.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर लागू करने के कारण प्राप्त होने वाले ब्याज की अंतर राशि 10,589.20 करोड़ रुपये है) ए. केंद्र सरकार भारत सरकार के लोक लेखे में निवेश किए गए पेंशन फंड पर 8.5%

प्रति वर्ष की दर से ब्याज देती है। तदनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 'वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्राप्त होने वाले अंशदानों के औसत शेष' और '01.04.2021 को प्रारंभिक शेष' पर 8.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की अनुमति दी है। बाद के वर्षों में भी 8.5% प्रति वर्ष की समान ब्याज दर की अनुमति दी गई है।

बी. हालांकि, 01.04.2021 तक सरकारी अंशदान बकाया राशि 10,589.20 करोड़ रुपये (वर्ष 2021-22 में भुगतान) पर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय/ वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ द्वारा लागू 8.5% की ब्याज दर के मुकाबले केवल 7.1% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की अनुमति दी है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के लिए 148.25 करोड़ रुपये कम ब्याज प्राप्त हुआ है।

सी. इस संबंध में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि 10,589.20 करोड़ रुपये के सरकारी अंशदान बकाया का भुगतान वास्तव में देय होने पर किया गया होता, तो उक्त राशि 01.04.2021 को वास्तविक प्रारंभिक शेष राशि का हिस्सा बनती। पिछले वर्षों में 10,589.20 करोड़ रुपये के भुगतान में हुई देरी के कारण ही 01.04.2021 को यह वास्तविक प्रारंभिक शेष राशि का हिस्सा नहीं बन सका। इसलिए, जहां तक इस पर प्राप्त होने वाले ब्याज का संबंध है, 01.04.2021 को सरकारी अंशदान बकाया को इस प्रकार माना जाना चाहिए जैसे कि यह 01.04.2021 को प्रारंभिक शेष राशि का हिस्सा था। तदनुसार, 10,589.20 करोड़ रुपये के बकाया पर 8.5% की उसी दर (जैसा कि प्रारंभिक शेष पर स्वीकार्य है) पर ब्याज की अनुमति दी जानी आवश्यक है।

डी. उपर्युक्त को देखते हुए, 148.25 करोड़ रुपये अभी भी प्राप्य हैं, जो कि 01.04.2021 तक 10,589.20 करोड़ रुपये के अंशदान बकाया पर 8.5% प्रति वर्ष की दर से देय ब्याज के कारण ब्याज का अंतर है, जबकि वास्तव में 7.1% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया गया था।

2. 190.47 करोड़ रुपये (2,240.78 करोड़ रुपये के ब्याज बकाया पर देय ब्याज) ए. 01.04.2021 तक केंद्र सरकार से 2,240.78 करोड़ रुपये का ब्याज बकाया था। उक्त ब्याज बकाया वर्ष 2021-22 में चुका दिया गया।

बी. हालांकि, जैसा कि सरकारी अंशदान बकाया का मामला था, अगर 2,240.78 करोड़ रुपये का ब्याज बकाया उस समय चुकाया गया होता जब यह वास्तव में देय था, तो उक्त राशि 01.04.2021 को वास्तविक प्रारंभिक शेष राशि का हिस्सा बन जाती। पिछले वर्षों में 2,240.78 करोड़ रुपये के भुगतान में हुई देरी के कारण ही 01.04.2021 को यह वास्तविक प्रारंभिक शेष राशि का हिस्सा नहीं बन सका। इसलिए, जहां तक इस पर प्राप्त होने वाले ब्याज का संबंध है, 01.04.2021 को सरकारी अंशदान बकाया को इस प्रकार माना जाना चाहिए जैसे कि यह 01.04.2021 को प्रारंभिक शेष राशि का हिस्सा था।

सी. तदनुसार, 2,240.78 करोड़ रुपये के ब्याज बकाया पर 8.5% (जैसा कि प्रारंभिक शेष पर स्वीकार्य है) की दर से ब्याज, जो कि 190.47 करोड़ रुपये हैं, अभी भी प्राप्य है।

3. 2.67 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2021-22 के संबंध में सरकारी अंशदान के वास्तविक और संशोधित आकलन में अंतर के कारण प्राप्य ब्याज)

ए. संशोधित आकलन 2021-22 में सरकारी अंशदान 6,770 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया था और तदनुसार औसत शेष राशि - 3,385 करोड़ रुपये (सरकारी अंशदान के संशोधित आकलन 2021-22 का आधा) पर 8.5% की दर से ब्याज घटक को श्रम और रोजगार मंत्रालय को 287.73 करोड़ रुपये के रूप में सूचित किया गया था। और तदनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज घटक के रूप में 287.73 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की थी।

बी. हालांकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के समापन के बाद, यह सामने आया कि उक्त वर्ष के लिए देय वास्तविक सरकारी अंशदान 6,832.92 करोड़ रुपये था। इस प्रकार, 2021-22 के संबंध में अंशदान का वास्तविक औसत शेष 3,416.46 करोड़ रुपये था और तदनुसार इस औसत शेष पर 8.5% की दर से देय वास्तविक ब्याज घटक 290.40 करोड़ रुपये था।

सी. इस प्रकार, वर्ष 2021-22 के लिए सरकारी अंशदानों के वास्तविक और संशोधित आकलनों के बीच अंतर के कारण 2.67 करोड़ रुपये के ब्याज और परिणामस्वरूप उन

	पर देय ब्याज घटक का कम भुगतान हुआ। और इसलिए, इस खाते पर ब्याज के रूप में 2.67 करोड़ रुपये अभी भी प्राप्य हैं। उल्लिखित सम्पूर्ण अंतर राशि का दावा पहले ही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से किया जा चुका है तथा जब मामला अंतिम रूप ले लेगा, तो पुस्तकों में तदनुसार आवश्यक लेखांकन किया जाएगा।
बी. आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची - 45) बी.1 कर्मचारी पेंशन योजना का वार्षिक मूल्यांकन बी.1.1 2019-20 के बाद कर्मचारी पेंशन निधि के लिए बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप न दिया जाना कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के पैराग्राफ 32 के अनुसार, केंद्र सरकार को अपने द्वारा नियुक्त मूल्यांकक द्वारा कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन करवाना आवश्यक है। यद्यपि 2018-19 के वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम और प्रभाव को लेखों पर टिप्पणियों में दर्शाया गया था, लेकिन ₹37326.94 करोड़ की बीमांकिक कमी के प्रभाव को लेखा-बही में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, लेखा संख्या IV पर टिप्पणियों के अनुसार, सरकार ने तीन वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया है और मूल्यांकन का कार्य प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार, बीमांकिक मूल्यांकन से संबंधित आवश्यकता पूरी नहीं हुई है।	बी. आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची - 45) बी.1 कर्मचारी पेंशन योजना का वार्षिक मूल्यांकन बी.1.1 2019-20 के बाद कर्मचारी पेंशन निधि के लिए बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप न दिया जाना यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन निधि की स्थापना कएवं प्रकीर्ण नि.भ. अधिनियम, 1952 की धारा 6ए की उपधारा (2) के अंतर्गत की गई है और सदस्यता, अंशदान दरें और लाभ आदि कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस, '95) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किए जाते हैं। उपर्युक्त संदर्भ में उल्लिखित कमी, अनुमानित अंशदान और बीमांकिक मूल्यांकन में प्रयुक्त देयताओं के अनुसार "बीमांकिक कमी है", जो नीचे उद्धृत ईपीएस'95 के पैराग्राफ 32 के अनुसार किया जाता है: "32. कर्मचारी पेंशन निधि का मूल्यांकन तथा अंशदान की दरों और पेंशन तथा अन्य लाभों की मात्रा की समीक्षा (1) केन्द्र सरकार अपने द्वारा नियुक्त मूल्यांकक द्वारा कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन करायगी। (2) किसी भी समय, जब कर्मचारी पेंशन निधि ऐसी अनुमति दे, केन्द्र सरकार इस योजना के अधीन देय अंशदान की दर या इस योजना के अधीन स्वीकार्य किसी लाभ के पैमाने या वह अवधि जिसके लिए ऐसा लाभ दिया जा सकेगा, परिवर्तित कर

सकेगी।"

यह नोट किया जाना चाहिए कि चूँकि बीमांकिक कमी एक अनुमान या सांख्यिकीय अनुमान है, इसलिए इस कमी की भरपाई का कोई सवाल ही नहीं है। बीमांकिक आकलन एक संकेतक है जो ऊपर उद्धृत योजना के पैरा 32(2) के अनुसार इस संबंध में निर्णय लेने में सहायता करता है। यदि लाभ या अंशदान की दर में परिवर्तन किया जाता है, तो ये अनुमान तदनुसार बदल जाएँगे। किंतु योजना को इसके उपबंधों के अनुसार कड़ाई से प्रशासित किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, बीमांकिक मूल्यांकन या किसी अन्य के आधार पर लाभ या अंशदान की दर में परिवर्तन करने का कोई भी निर्णय लेना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए बीमांकिक मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

इसके अलावा, सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड ने न तो समेकन की (जीएसएबी) सिफारिश की है, न ही उसने लेखा पुस्तकों में अधिकता के लिए बीमांकिक कमी की पहचान को संबोधित करने या सिफारिश करने वाले किसी भी भारतीय सरकारी लेखा मानक को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त (आईजीएस), यदि इस तरह के लेखांकन कार्य का सुझाव दिया जाता है, तो यह न केवल लेखों के एकरूप फॉर्मेट से बल्कि नकद आधार पर लेखांकन की स्थापित स्थिति से भी विचलन होगा, जिसके लिए सीएजी के तत्वावधान में जीएसएबी का गठन किया गया है। वर्तमान में, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारी लेखों को नकद आधार पर बनाए रखा जाता है, और भारत सरकार वित्तीय रिपोर्टिंग मानक को अभी (आईजीएफआरएस) तक कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है।

बी.1.2 स्टाफ पेंशन और ग्रेच्युटी फंड का बीमांकिक मूल्यांकन

बीमांकिक की नियुक्ति हो चुकी है और वर्तमान बीमांकिक मूल्यांकन प्रगति पर है,

बी.1.2 स्टाफ पेंशन और ग्रेच्युटी फंड का बीमांकिक मूल्यांकन

लेखा संख्या XIII पर टिप्पणी के अनुसार, 31 मार्च 2019 को अंतिम बीमांकिक मूल्यांकन के आधार

पर 31 मार्च 2023 तक स्टाफ पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में अधिशेष/घाटे की स्थिति को दर्शाया गया है। इस मूल्यांकन के अनुसार, ₹4717.60 करोड़ का घाटा था और 2019-20 से 2022-23 की अवधि के दौरान, ₹6652.13 करोड़ की राशि इस फंड में अंतरित की गई। इसलिए, 31 मार्च 2023 तक, 31 मार्च 2019 तक लेखा स्टाफ पेंशन और ग्रेच्युटी फंड पर देयताओं की तुलना में ₹1934.53 करोड़ का अधिशेष था। चूंकि स्टाफ पेंशन और ग्रेच्युटी फंड का कोई भी बीमांकिक मूल्यांकन 31 मार्च 2019 के बाद नहीं किया गया है, इसलिए, 31 मार्च 2023 तक देयताओं को पूरा करने के लिए ₹ 1934.53 करोड़ का अधिशेष पर्याप्त है या नहीं, यह लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका।					पर 31 मार्च 2023 तक स्टाफ पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में अधिशेष/घाटे की स्थिति पता लग पाएगी।				
सी. सामान्य सी.1 ईपीएफओ द्वारा उचित लेखों का समाधान न करना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखा पदस्थ मैनुअल भाग-1 सामान्य के पैरा 10.6 के अंतर्गत उप-पैरा II (VII) के अनुसार, देयताओं और परिसंपत्तियों दोनों पक्षों में "अवर्गीकृत उचित " के अंतर्गत दर्शाए गए शेषों का विवरण दिखाने वाला एक विवरण हर साल बैलेंस शीट के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, जिसमें लेन-देन की तारीख, राशियों का संक्षिप्त विवरण दर्शाया जाना चाहिए। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया मदों का विश्लेषण करने और उन्हें निपटाने के लिए जोरदार अभियान चलाया जाना चाहिए। इस बात पर जोर दिया जाता है कि देयताओं और परिसंपत्तियों दोनों पक्षों पर अवर्गीकृत उचित के अंतर्गत शेष राशि को न्यूनतम रखा जाना चाहिए और उन्हें निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि उचित लेखों के अंतर्गत बहुत अधिक शेष राशि दर्शाई गई है। सी.1.1 ईपीएफओ, मुख्यालय - वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए उचित लेखों (लेखों पर नोट संख्या VIII) में रखी गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है: -					सी. सामान्य सी.1 ईपीएफओ द्वारा उचित लेखों का समाधान न करना सभी उचित लेखों में पड़ी बकाया राशि के त्वरित निपटान/समाधान के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय ने इन शेष राशियों की पहचान/समाधान करने तथा प्रगति की गंभीरता से मॉनीटरिंग करने और उस अवधि के दौरान समाधान की गई राशि की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट मुख्य कार्यालय को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, उचित लेखों की स्थिति इस प्रकार थी:				
					उचित लेखा (ईपीएफ), अनुसूची संख्या 5 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)				
					आदि शेष		44,09,32,360.86		
					जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत रही राशि		4,36,00,81,638.39		
					कुल		4,80,10,13,999.25		
					घटाएँ: वर्ष के दौरान समाशोधित राशि		4,26,16,85,174.91		

क.भ.नि.सं. मुख्यालय, नई दिल्ली (समेकित बैलेंस शीट)	वर्तमान देयताएं और प्रावधान	5	44,09,32,360.86	53,93,28,824.34
	वर्तमान देयताएं और प्रावधान	15	30,80,03,860.39	23,33,74,038.94
	वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	19	80,76,74,908.50	113,26,29,174.72
	वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	28	21,56,97,522.77	18,49,96,427.30
	शेष राशि का समाधान /समायोजन किया जाना आवश्यक है।			

उचंत लेखा (प्रशासन निधि), अनुसूची संख्या 15 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)				
आदि शेष				30,80,03,860.39
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत रही राशि				2,96,00,89,352.50
कुल				3,27,17,92,384.89
घटाएँ: वर्ष के दौरान समाशोधित राशि				3,03,47,19,173.95
अंत शेष				23,33,74,038.94

उचंत लेखा (ईपीएफ), अनुसूची संख्या 19 (वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम)				
आदि शेष				80,76,74,908.50
जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत रही राशि				128,94,47,929.19
कुल				2,09,71,22,837.69
घटाएँ: वर्ष के दौरान समाशोधित राशि				96,44,93,662.97
अंत शेष				113,26,29,174.72

उचंत लेखा(प्रशासनिक निधि), अनुसूची संख्या 28 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम)				
आदि शेष				21,56,97,522.77

जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत रही राशि		4,42,14,537.56																																
कुल		25,99,12,060.33																																
घटाएँ: वर्ष के दौरान समाशोधित राशि		7,49,15,633.03																																
अंत शेष		18,49,96,427.30																																
जैसा कि स्पष्ट है, उचित लेखों में पड़ी राशियों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है, और हर साल अवर्गीकृत राशियों की पहचान की जाती है और उनका समाधान किया जाता है। सी.1.2 सभी उचित लेखों में पड़ी बकाया राशि के शीघ्र निपटान/समाधान के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस पहल के अंतर्गत, इस अभियान को चलाने और इन बकाया राशियों की पहचान/समाधान करने तथा प्रगति की गंभीरता से मॉनीटरिंग करने और उस अवधि के दौरान समाधान की गई राशि की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट मुख्य कार्यालय को रिपोर्ट करने के लिए विशेष रूप से फील्ड कार्यालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उचित खाते के अंतर्गत राशि का विवरण, जैसे लेन-देन की तारीख, राशियों का संक्षिप्त विवरण अनिवार्य रूप से दिखाया जाना चाहिए और संदर्भ के लिए बैलेंस शीट के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।																																		
सी.1.2 वर्ष 2022-23 के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम के वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए उचित खाते में रखी गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है- <table><tr><th>क्रम सं.</th><th>बैलेंस शीट अनुसूची संख्या</th><th>शीर्ष नाम</th><th>बुक की गई राशि (₹ में)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>विविध जमा</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>अनुसूची 5</td><td>उचित लेखा (अवर्गीकृत ईपीएफ)</td><td>70,78,671.62</td></tr><tr><td>2</td><td>अनुसूची 7</td><td>उचित लेखा (ईपीएस)</td><td>-28,02,13,435.01</td></tr><tr><td>3</td><td>अनुसूची 9</td><td>उचित लेखा (ईडीएलआई)</td><td>8,74,572.73</td></tr><tr><td>4</td><td>अनुसूची 15</td><td>उचित लेखा (प्रशासनिक निधि)</td><td>90,11,439.68</td></tr><tr><td>5</td><td>अनुसूची 17</td><td>उचित लेखा ईडीएलआई प्रशासन</td><td>44,62,098.16</td></tr><tr><td></td><td></td><td>विविध नामे</td><td></td></tr></table>			क्रम सं.	बैलेंस शीट अनुसूची संख्या	शीर्ष नाम	बुक की गई राशि (₹ में)			विविध जमा		1	अनुसूची 5	उचित लेखा (अवर्गीकृत ईपीएफ)	70,78,671.62	2	अनुसूची 7	उचित लेखा (ईपीएस)	-28,02,13,435.01	3	अनुसूची 9	उचित लेखा (ईडीएलआई)	8,74,572.73	4	अनुसूची 15	उचित लेखा (प्रशासनिक निधि)	90,11,439.68	5	अनुसूची 17	उचित लेखा ईडीएलआई प्रशासन	44,62,098.16			विविध नामे	
क्रम सं.	बैलेंस शीट अनुसूची संख्या	शीर्ष नाम	बुक की गई राशि (₹ में)																															
		विविध जमा																																
1	अनुसूची 5	उचित लेखा (अवर्गीकृत ईपीएफ)	70,78,671.62																															
2	अनुसूची 7	उचित लेखा (ईपीएस)	-28,02,13,435.01																															
3	अनुसूची 9	उचित लेखा (ईडीएलआई)	8,74,572.73																															
4	अनुसूची 15	उचित लेखा (प्रशासनिक निधि)	90,11,439.68																															
5	अनुसूची 17	उचित लेखा ईडीएलआई प्रशासन	44,62,098.16																															
		विविध नामे																																

6	अनुसूची 19	उचंत लेखा (अवर्गीकृत ईपीएफ)	1,31,13,036.12
7	अनुसूची 21	उचंत लेखा (ईपीएस)	-29,23,53,440.36
8	अनुसूची 23	उचंत लेखा (ईडीएलआई)	-20,98,352.69
9	अनुसूची 28	उचंत लेखा (प्रशासनिक निधि)	1,03,20,047.79
10	अनुसूची 30	उचंत लेखा ईडीएलआई प्रशासन	40,65,817.74

सी.1.3 क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के पास वित्तीय वर्ष 2022-23 की बैलेंस शीट के विभिन्न शीर्षों में उचंत लेखों में ₹ 86578022.38 (गलत नामे) और ₹ 110227799.98 (गलत जमा) की बड़ी शेष राशि निम्नानुसार है:

क्र.सं.	शीट 22-23 की लेखा शीर्ष	लेखा उपशीर्ष	उचंत राशि ₹ (गलत नामे)	उचंत राशि ₹ में (गलत जमा)
1	अनुसूची 5- वर्तमान-वर्तमान देयताएं और प्रावधान	2. विविध जमा: ए. क्षेत्रीय: ए. उचंत लेखा (अवर्गीकृत) ईपीएफ		6,52,21,137.87
2	अनुसूची 15- वर्तमान-वर्तमान देयताएं और प्रावधान देयताएं ईपीएफ प्रशासन निधि	5. विविध जमा: ए. क्षेत्रीय: ए. उचंत लेखा-प्रशासन निधि		2,05,40,799.67
3	अनुसूची 19- (वर्तमान-वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और परिसंपत्ति	4. विविध नामे: ए. उचंत लेखा-	53,12,157.37	

सी.1.3 यह सूचित किया जाता है कि मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार उचंत लेखों का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा एक समर्पित टीम का गठन किया गया है। 110227799.98 की बकाया गलत जमा राशि से 7,22,967/- रुपये की राशि क्लियर कर दी गई है। आज की तारीख में गलत जमा की गई शेष राशि 109504833/- रुपये और गलत नामे राशि 86578022.38/- रुपये हैं। इसके अलावा, टीम द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि कार्य समय-सीमा के भीतर पूरा हो जाए।

अग्रिम)	यां	(अवर्गीकृत) ईपीएफ		
4 अनुसूची 28- वर्तमानसी. ऋण 3. विविध नामे: परिसंपत्तियां, ऋण और लेखा: ए. उचित लेखा-(प्रशासन अग्रिम) निधि)			9,07,501.80	
5 अनुसूची संख्या 17- वर्तमान देयताएं और प्रावधान		क. विविध जमा: 1. खाता संख्या 22 में अतिरिक्त जमा (ईडीएलआई प्रशासनिक शुल्क लेखा- क्षेत्रीय)		6,28,209.45
6 अनुसूची संख्या 21- वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम		ख. विविध नामे : 1. खाता संख्या 10 (ईपीएस अंशदान लेखा - क्षेत्रीय)	3,14,47,575	
7 अनुसूची संख्या 23- वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम		विविध नामे: खाता संख्या 21 (ईडीएलआई अंशदान लेखा- क्षेत्रीय)	10,65,919.06	
8 अनुसूची संख्या 30- वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम		विविध नामे : लेखा संख्या 22 (ईडीएलआई प्रशासनिक प्रभार लेखा - क्षेत्रीय)	44,869.15	
9 अनुसूची संख्या 7 - वर्तमान देयताएं और प्रावधान		विविध जमा: 1. लेखा संख्या 10 (ईपीएस अंशदान लेखा - क्षेत्रीय)		2,25,63,722.36
10 अनुसूची संख्या 9- वर्तमान देयताएं और प्रावधान		विविध जमा: 1. लेखा संख्या 21 में अतिरिक्त जमा (ईडीएलआई अंशदान		12,73,930.63

		लेखा - क्षेत्रीय)		
कुल		86578022.38	110227799.98	

शेष राशि का समाधान/समायोजन किया जाना आवश्यक है।

सी.2 वर्ष 2022-23 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त जमा

समेकित वित्तीय विवरणों की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि अतिरिक्त जमा के कई उदाहरण हैं। वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणों में दिखाए गए अतिरिक्त जमा का विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2023 को शेष राशि (₹ में)
1	लेखा संख्या 5 में अतिरिक्त जमा (ईपीएफ अंशदान लेखा -केंद्रीय)	5-(वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	307,65,33,588.60
2	ईपीएफ निवेश खातों में अतिरिक्त जमा	5-(वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	13,59,27,112.62
3	लेखा संख्या 21 में अतिरिक्त जमा (ईडीएलआई अंशदान लेखा - क्षेत्रीय)	9-(वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	25221867.15
4	लेखा संख्या 25 में अतिरिक्त जमा (ईडीएलआई अंशदान लेखा - क्षेत्रीय)	9-(वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	96395144.21
5	आरबीआई लेखों में अतिरिक्त जमा	9-(वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	13,44,061.55
6	लेखा संख्या 8 में अतिरिक्त जमा (स्टाफ भविष्य निधि लेखा)	15-(वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	3,21,85,494.88
7	लेखा संख्या 9 में अतिरिक्त जमा (स्टाफ पेंशन सह गैरच्युटि लेखा)	15-(वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	8,29,781.01

सी.2 वर्ष 2022-23 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त जमा अतिरिक्त जमा का अवधि-वार विवरण नीचे दिया गया है:

अतिरिक्त जमा का विवरण					
क्र. म. सं.	विवरण	समय अवधि			31.03.2023 तक कुल शेष राशि (₹ में)
		पूर्व-ईसीआर अवधि (वित्तीय वर्ष 2012-13 से पहले)	संग्रह के तर्क ईसीआर के बाद की अवधि (वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक)	वित्तीय वर्ष 2022-23	
1	खाता संख्या 5 में अतिरिक्त जमा (ईपीएफ अंशदान लेखा -केंद्रीय)	1,12,86,51,431.99	0	18,12,23,545.20	3,07,65,33,588.60
2	ईपीएफ निवेश लेखों में अतिरिक्त			13,59,27,112.62	13,59,27,112.62

जमा।									
लेखा संख्या 21 में अतिरिक्त जमा (ईडीएलआई लेखा- क्षेत्रीय)	25221867.15							25221867.15	
लेखा संख्या 22 में अतिरिक्त जमा (ईडीएलआई प्रशासनिक शुल्क लेखा)	1,27,87,746.47							1,27,87,746.47	
लेखा संख्या 25 में अतिरिक्त जमा (ईडीएलआई अंशदान लेखा - केंद्रीय)	9,60,91,269.21	100	3,03,775.00	0.00				9,63,95,144.21	
लेखा संख्या 8 में अतिरिक्त जमा (स्टाफ भविष्य निधि)	3,16,41,742.88	5,43,752.00	0	0.00				3,21,85,494.88	
3									
4									
5									
6									

8	लेखा संख्या 22 में अतिरिक्त जमा (ईडीएलआई प्रशासनिक प्रभार लेखा - क्षेत्रीय)	17-(वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	1,27,87,746.47
9	लेखा संख्या 24 में अतिरिक्त जमा (ईडीएलआई प्रशासनिक प्रभार लेखा - केंद्रीय)	17-(वर्तमान देयताएं और प्रावधान)	4,83,68,577.89
कुल			3,56,55,20,487.00

लेखा)						
7	लेखा संख्या 9 में अतिरिक्त जमा (स्टाफ पेंशन सह ग्रेज्युटी लेखा)	8,03,000.00	26,780.00	0	0.00	8,29,780.00
8	लेखा संख्या 24 में अतिरिक्त जमा (ईडीएलआई प्रशासनिक प्रभार लेखा - केंद्रीय)	4,83,63,641.39	3,134.00	1,802.50	0.00	4,83,68,577.89
9	आरबीआई लेखों में अतिरिक्त जमा	13,44,061.55	0	0		13,44,061.55

• लेखों में अतिरिक्त जमा प्रविष्टियां तब दिखाई देती हैं, जब ईपीएफओ लेखों में कोई राशि प्राप्त होती है लेकिन इन प्राप्तियों का अन्य उपयुक्त लेखांकन शीर्षों में समाधान करने के लिए संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती/ उपलब्ध नहीं होती ।

• अधिकांश राशि, लगभग 100%, लेखा 5 को छोड़कर, ईसीआर अवधि से पहले की है, यानी 2012-13 से पहले की। इन राशियों को उचित शीर्षों के अंतर्गत समाधान और वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक रिकॉर्ड और जानकारी उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक

संभव हो, इन राशियों की पहचान करने और पता लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जैसे ही आवश्यक जानकारी उपलब्ध होगी, राशियों का तदनुसार समाधान किया जाएगा। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि, चूंकि, ये शेष राशियाँ ईपीएफओ लेखों में वास्तविक प्राप्तियों को दर्शाती हैं, और पर्याप्त जानकारी के बिना इनका समाधान नहीं किया जा सकता है, इसलिए कृपया टिप्पणी को छोड़ दिया जाए।

केंद्रीकृत संग्रह प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद, सभी प्राप्तियां इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक वीडिआर प्रणाली के माध्यम से होती हैं। हालांकि, अगर किसी कारण से ईपीएफओ लेखों में कोई राशि सीधे प्राप्त होती है, जिसके संबंध में संबंधित ईसीआर/वीडीआर उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी राशि को इन शीर्षों में तब तक दर्ज किया जाता है जब तक कि उक्त राशि को जमा करने वाला ईपीएफओ से संपर्क नहीं करता और उसके बाद उक्त राशि के संबंध में वीडिआर/ईसीआर फाईल नहीं किया जाता। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखों में 176.77 करोड़ प्रत्यक्ष प्राप्तियां जोड़ी गईं। इसमें से 173.49 करोड़ का चालू वित्तीय वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 में समाधान कर लिया गया है और यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखों में दर्शाया जाएगा।

डी. योजनाओं के अंतर्गत अनुदान सहायता

तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।

डी. योजनाओं के अंतर्गत अनुदान सहायता					
कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)-1995 और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त हुई है। प्राप्त और उपयोग किए गए अनुदानों का विवरण इस प्रकार है:-					
(र करोड़ में)					
योजना का नाम	01.04.2022 तक आदि शेष	वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त राशि और ब्याज	कुल अनुदान	अनुदान का उपयोग तथा ब्याज वापस किया गया	अप्रयुक्त अनुदान
एबीआरवाई	801.84	4640.42	5442.26	5098.79	343.47

ईपीएस-1995 (सरकार का भाग @1.16%)	शून्य	7785.00	7785.00	7785.00	शून्य
ईपीएस 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह	शून्य	1000.00	1000.00	971.79	28.21
कुल	801.84	13425.42	14227.2 6	13855.58	371.68

ई. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधार के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से ईपीएफओ प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

i. पिछले पेशावाफों में हमारी टिप्पणियों के अनुरूप, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा किए गए कार्य के अनुसार बैलेंस शीट, आय और व्यय लेखे और प्राप्ति और भुगतान लेखे, लेखा-पुस्तकों के अनुरूप हैं।

ii. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण एवं ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

क. जहां तक वे 31 मार्च 2023 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थिति की बैलेंस शीट से संबंधित हैं; और

ख. जहां तक वे उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित हैं।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 04-03-2024

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से
हस्ता /-

(राजीव कुमार पांडे)
महानिदेशक, लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता i. ईपीएफओ मुख्यालय ने ईपीएफओ मुख्यालय सहित 129 इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा की योजना बनाई थी। 129 इकाइयों में से, ईपीएफओ की लेखा परीक्षा शाखा द्वारा 2022-23 के दौरान वास्तव में 42 इकाइयों का लेखा परीक्षण किया गया। ii. लंबित आपति पर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि ईपीएफओ मुख्यालय से संबंधित 232 आंतरिक लेखा परीक्षा पैरा 31 मार्च 2023 तक लंबित थे। क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित बकाया के बारे में ईपीएफओ द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई।	1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता i) लेखा परीक्षा प्रभाग, ईपीएफओ, मुख्यालय नियमित रूप से आंतरिक लेखा परीक्षा की समीक्षा और मॉनीटरिंग कर रहा है। लेखा परीक्षा पार्टियों का दौरा कार्यक्रम उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बनाया गया है ताकि आउटपुट को अधिकतम किया जा सके। आंतरिक लेखा परीक्षा पार्टियों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आज तक 90 इकाइयों का लेखा परीक्षण किया गया है। ii) एक नया मैनुअल अपनाया गया है जो लंबित पैरा को समाप्त करने और लंबित आपतियों के सुधार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी प्रदान करता है। नए लेखा परीक्षा मैनुअल में आंतरिक लेखा परीक्षा पैरा को हटाने के लिए तीन (3) अलग-अलग समितियां हैं।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता i. ईपीएफओ मुख्यालय के साथ-साथ उनकी फील्ड इकाइयों में ट्रायल बैलेंस और हेड वाइज लेजर तैयार नहीं किए जा रहे थे।	2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता i) ईपीएफओ, लेखांकन के सभी बुनियादी सिद्धांतों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा स्वीकृत और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का पालन करता है।
3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली ईपीएफओ मुख्यालय की अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 2022-23 के दौरान किया गया।	3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।
4. इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली वर्ष के दौरान ईपीएफओ मुख्यालय की उपभोग्य सामग्रियों और स्टेशनरी के संबंध में भौतिक सत्यापन किया गया।	4. इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।
5. सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक सांविधिक बकाया के संबंध में कोई भुगतान बकाया नहीं था।	5. सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।